तृतीय माला, खण्ड १२--अंक ३०

गुरुवार, २४ जनवरी, १९६३
४ माघ, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तीसरा सत्र--द्वितीय भाग)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १२ में अंक २७ से अंक ३१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

	पृष्ट
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ४५५, ४५६, ४५९, ४७४, ४५८ और ४६० से ४६७	३५९–८२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ . . .	३८२–८४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४५७, ४६८ से ४७३ और ४७५ से ४८४ .	३८४–९१
अतारांकित प्रश्न संख्या १०५१ से १०८६ और १०८६-क .	३९१–४१०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	४१०–४११
पश्चिम रेलवे के पातालपानी स्टेशन के निकट हुई रेलवे ट्रौली दुर्घटना	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४११–१५
तारांकित प्रश्न संख्या ८२० और २६४ के उत्तर में शुद्धि	
स्वर्ण नियंत्रण योजना के बारे में वक्तव्य	४१५–१६
श्री मोरारजी देसाई . .	४१६
कोलम्बो सम्मेलन की प्रस्थापनाओं के बारे में प्रस्ताव	४१६–४६०
श्री नाथ पाई .	४१७–१९
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	४१९–२१
श्री महताब	४२१–२२
श्री अ० चं० गुह	४२२–२३
श्री प्र० के० देव .	४२३–२४
श्री कमल नयन बजाज	४२४–२७
श्री बसुमतारी	४२७
श्री ब्रजराज सिंह . .	४२७–३०
श्री हरिश्चन्द्र माथुर .	४३०–३१
श्री लक्ष्मीकान्तम्मा	४३१–३२
श्री शिवशंकरन	४३२–३३
श्री त्यागी	४३३–३५
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	४३५–४०
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा	४४०

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ट तीन पर देखिये

लोक-सभा

गुरुवार, २४ जनवरी, १९६३
४ माघ, १८८४ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सरकारी अस्पतालों में फीस लिया जाना

†*४५५. **श्री महेश्वर नायक** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्राधिकारियों को सरकारी औषधालयों और अस्पतालों में जिन में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत आने वाले औषधालय और अस्पताल भी सम्मिलित हैं, रोगियों के उपचार पर कुछ फीस लगाने की हिदायतें जारी की हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस कारण ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० बे० स० राजू)** : (क) और (ख). स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा आयोजना समिति ने निम्न सिफारिश की :—

> "चिकित्सा सुविधा के लिए वित्त-व्यवस्था करने के प्रश्न का सावधानीपूर्ण अध्ययन करने की आवश्यकता है । वस्तुतः निर्धन व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य व्यक्तियों के लिए श्रेणीवार व्यय प्रणाली लागू की जानी चाहिये । स्वास्थ्य उपकर लगाने की संभावना भी खोजी जानी चाहिये ।"

इस सिफारिश की राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों से सिफारिश की गई है कि वे इस पर यथा आवश्यकता कार्यवाही करें । भारत सरकार के नियंत्रण में अस्पतालों और औषधालयों के बारे में सिफारिश भी विचाराधीन है । समिति ने चिकित्सा सुविधा के लिए वित्तीय व्यवस्था के प्रसंग में सिफारिशें की थीं । यह भी महसूस किया जाता है कि थोड़े पैसे लेने से अस्पतालों और औषधालयों में आवश्यकताहीन मुफ्त दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने की प्रवृत्ति में कमी होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महेश्वर नायक** : चिकित्सा सुविधायें हमारी जनसंख्या में बहुत थोड़े भाग को प्राप्य हैं। क्या सरकार का विचार यह है कि इन निर्धन लोगों को और भी अधिक कठिनाई हो जाये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : सभी अस्पताल गरीब जनता की आवश्यकता पूर्ति कर रहे हैं और जो कुछ उन्हें दिया जा रहा है उससे उन्हें वंचित करने का कोई विचार नहीं है। फिर भी, ऐसे लोगों की भी संख्या काफ़ी है जो इतने गरीब नहीं और गरीब लोगों को भी टिकट, आदि खरीदने के लिए ५ नये पैसे लाना बहुत कठिन नहीं होगा।

†**श्री महेश्वर नायक** : यह भी कहा जाता है कि अंशदायी स्वास्थ्य योजना के सदस्यों पर भी यह नियम लागू होगा। अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत वे तो पहिले से ही अंशदान देते हैं, इस कारण उनसे यह अतिरिक्त कर देने के लिए कहने में क्या औचित्य है ?

†**डा० सुशीला नायर** : मेरे माननीय सहकर्मी ने अभी बताया है कि औषधालयों में आवश्यकता न होने पर भी जाने की प्रवृत्ति है। हर बार पुराना पर्चा खो देने और हर बार नया पर्चा बनवाने की भी प्रवृत्ति है, जिससे स्वयं रोगी को भी लाभ नहीं होता, क्योंकि उचित चिकित्सा देने के लिए पुराने पर्चे रखने आवश्यक है। इस दृष्टि से एक सुझाव दिया गया है कि नाममात्र के भुगतान से यह प्रवृत्ति कम हो सकती है।

†**श्री दाजी** : क्या विचार यह है कि रोगी को यह भुगतान प्रत्येक पर्ची, प्रत्येक चिकित्सा के लिए प्रति दिन करना होगा ?

†**डा० सुशीला नायर** : जी नहीं। यह केवल नये पर्चे के लिए है।

†**श्री कछवाय** : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में एम्पलायीज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत मजदूरों का जो इलाज चलता है, उस इलाज से मजदूरों को सन्तोष नहीं है और उनको दवायें हल्की दी जाती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह मध्य प्रदेश का सवाल नहीं है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : यदि उपकर का उद्देश्य कुछ राजस्व प्राप्त करना है, तो सरकार को इस से कितना राजस्व मिलने की आशा है ?

†**डा० सुशीला नायर** : मोटे तौर पर ५ नये पैसे के भुगतान से दिल्ली में १००० रु० प्रति दिन उपलब्ध होने की संभावना है।

सोने का भाव

+

श्री दी० चं० शर्मा
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री पें० वेंकटासुब्या :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

†पत्र अंग्रेजी में

†*४५६. श्री ज० ब० सिं० बिष्ठ :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री हेम राज :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री मंत्री :

क्या **वित्त** मंत्री १५ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में सोने का भाव कम करने के लिये और क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) इस मामले में अभी तक क्या सफलता मिली है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) १० जनवरी, १९६३ से सोने के सौदों तथा सोने से बनने वाली वस्तुओं के नियंत्रण के लिए एक योजना लागू की गई है । सोने का वायदा बाजार बन्द है और यह इस उद्देश्य से १३ नवम्बर, १९६२ को वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार है । सोने या सोने के आभूषणों पर ऋण देना भी कुछ सीमित कर दिया गया है ।

(ख) हाल में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सोने का मूल्य काफी गिर गया है ।

स्वर्ण बौंड योजना

†*४५९. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्र महेश्वर नायक :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री हेम राज :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण बौंड योजना लागू होने के फलस्वरूप अब तक कितना सोने का रक्षित भण्डार बना है ;

(ख) इस योजना से विदेशी मुद्रा समस्या को हल करने में कितनी सहायता मिली है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) देश में छिपे हुए सोने को बाहर निकालने के लिए सरकार ने और क्या कदम उठाये हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). १८ जनवरी, १९६३ तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग १०९ लाख रु० के मूल्य का २०.३७ लाख ग्राम सोना प्राप्त हुआ ।

(ग) ९ जनवरी, १९६३ को घोषित सोना नियंत्रण नियमों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

स्वर्ण नियंत्रण नियम

*४७४. { **श्री ब्रजराज सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन स्वर्ण नियंत्रण नियमों को कब से लागू किया गया है ;

(ख) इस आदेश के अधीन सोने के स्टाकों की जांच में अब तक कितनी प्रगति हुई है और उस का क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या स्वर्ण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो बोर्ड के अधिकारियों तथा सदस्यों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) (क) १० जनवरी, १९६३ ।

(ख) सोना साफ करने वाले और सोने का व्यापार करने वाले जिन व्यक्तियों को स्वर्ण नियंत्रण नियमों (गोल्ड कण्ट्रोल रूल्स) के अनुसार लाइसेंस लेना आवश्यक है उन के लिए सूचना देने का जो समय निर्धारित किया गया था वह १७ जनवरी, १९६३ को ही समाप्त हुआ है । इन लोगों ने सोने के जिन स्टाकों के बारे में सूचना दी है उस में से कुछ की जांच केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग (सेण्ट्रल एक्साइज़ डिपार्टमेण्ट) के अधिकारियों ने कर ली है और कुछ की जांच वे अभी कर रहे हैं । अन्य सूचनाएं देने का समय अभी बाकी है, इसलिए इनके सम्बन्ध में जांच करने का सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) जी हां ।

(घ) उस अधिसूचना (नोटिफिकेशन) की एक प्रति, जिस के अनुसार बोर्ड का गठन किया गया, सभा की मेज़ पर रख दी गयी है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ७६२ ६३**]

†**श्री दी० चं शर्मा** : देश में सोने के आभूषणों पर लगाया गया नियंत्रण कहां तक सफल रहा है और इसे सफल बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री ब० रा०भगत** : नियंत्रण आदेश हाल में लागू किया गया है । सभा को विदित है कि कोई १४ कैरेट से अधिक के आभूषण न बना सकेगा और यह कड़ाई से लागू किया जा रहा है । इस योजना की सफलता का विश्लेषण कुछ समय बाद किया जा सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सरकार को विदित है कि भारत और पाकिस्तान में सोने के प्रचलित मूल्यों के कारण सोना पर्याप्त मात्रा में चोरी छिपे ले जाया जा रहा है और यदि हां तो, सरकार इस के लिए कि पाकिस्तान को चोरी छिपे सोना न ले जाया जाये, सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यह कहना सच नहीं है कि भारत से पर्याप्त मात्रा में सोना पाकिस्तान ले जाया जाता है । हो सकता है कि शोधन कारखानों तथा अन्य वस्तुओं पर नियंत्रण कर के तस्कर व्यापार रोकने के लिए की गई कार्यवाही के फलस्वरूप, कुछ सोना जो चोरी छिपे देश में लाया गया था, वह इस कार्यवाही के कारण न बिक सकने की वजह से चोरी छिपे बाहर चला गया हो । परन्तु उस की मात्रा अधिक नहीं होगी ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या सरकार को विदित है कि आजकल बाज़ार में आभूषण अति अधिक मूल्यों पर बिक रहे हैं और साथ ही स्वर्ण नियंत्रण नियमों से देश में १० लाख या अधिक सुनार पूर्णतया बेरोजगार हो गये हैं, यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें वैकल्पिक कार्य देने की कोई व्यवस्था की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** मैं इस विषय पर प्रश्न काल समाप्त होने पर एक वक्तव्य दे रहा हूं । उस से सारा प्रश्न स्पष्ट हो जायेगा । परन्तु यहां मैं यह बता दूं कि यदि सोने के आभूषण बिकते हैं, और बेचने के लिए एक मास है जो शीघ्र समाप्त हो जायगा—और जनता उन्हें खरीदती है, तो सोने के आभूषणों के मूल्य में अस्थायी रूप से वृद्धि होना आवश्यक है । अतः, हम लोगों से कहते हैं कि वे ऐसा न करें । हम भी इसे रोक रहे हैं । जो लोग इस पर मुनाफा उठाना चाहते हैं, उन्हें भारी आय कर देना होगा । अतः इस सब की जांच हो रही है । सुनारों के बेकार होने के बारे में, मेरा ख्याल है कि इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, क्योंकि यह तो मेरे स्वर्ण नियंत्रण नियम जारी करने से पहिले भी हुआ था । उस समय भी मुझे पत्र मिलते थे कि वे बेरोजगार हैं और मैं नहीं जानता कि इस का क्या कारण है । वे कहते हैं कि क्योंकि मैं लोगों से आभूषण न खरीदने को कहता हूं, इसलिए व बेरोजगार हो गये हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** नहीं, नहीं ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** जब माननीय सदस्य को सही स्थिति का ज्ञान नहीं है, तो "नहीं" कहने से क्या लाभ ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** हमारे पास भी उन अभ्यावेदनों की प्रतियां हैं ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** सारी कापियां नहीं हैं । मैं प्रतिनिधियों से मिला हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** हम भी प्रतिनिधियों से मिले हैं ।

†**श्री मोरार जी देसाई :** मैं माननीय मित्र की जानकारी के साथ स्पर्धा नहीं कर रहा । मैं मान सकता हूं कि उनकी जानकारी मेरी से अधिक है । मैं जो जानता हूं, बता रहा हूं । मैं कह रहा था कि ऐसा परिवर्तन होने से उन के बेरोजगार होने का प्रश्न नहीं है । यह बड़ा भारी परिवर्तन है और इस के होने पर कुछ समय के लिए कुछ अस्तव्यस्त होना अनिवार्य है । परन्तु वह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि आभूषण बनाने या बेचने पर प्रतिबन्ध नहीं है । केवल सोने से ही आभूषण नहीं बनते हैं । फिर, हम तो १४ कैरट सोने के आभूषण बनाने को कहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : जो असंभव है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : कहा जाता है कि १४ कैरट सोने से साधारण रूप में आभूषण बनाना संभव नहीं है और इस के लिए मशीनें की आवश्यकता है । मेरे अधिकारियों ने देखा है कि दिल्ली में एक सुनार ९ कैरट सोने के आभूषण बना रहा है । अतः यह विचारना सर्वथा गलत है कि यह नहीं हो सकता । हम इस की जांच कर रहे हैं और उन को अपना व्यापार चलाने के लिए सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं । अतः मैं नहीं समझता कि यह कोई समस्या होगी ।

श्री बेरवा कोटा : क्या मैं जान सकता हूं कि नये रूल्स लागू होने के बाद सोने के तस्कर व्यापार में कुछ कमी होने के संकेत मिले हैं, और क्या यह सच है कि पहले गुप्त सोना देश में आता था और अब बाहर जाने लगा है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मेरा ख्याल है कि इसका उत्तर दे दिया गया है ।

श्री बेरवा कोटा : मेरे सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदा : जवाब तो मिल चुका है, आप ने ध्यान नहीं दिया ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि स्वयं दिल्ली में १०,००० सुनारों ने अभ्यावेदन किया है कि उन्हें किसी संगठित कारखाने में सूक्ष्म यंत्र बनाने जैसा कोई वैकल्पिक रोजगार दे दिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वित्त मंत्री कहते हैं कि इन आदेशों से कोई बरोजगारी नहीं हुई ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह सर्वथा गलत है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य मुझ से यह कहलवाना चाहते हैं कि माननीय मंत्री का कथन गलत है । प्रश्न काल में केवल जानकारी मांगी जाती है और वित्त मंत्री ने जानकारी दे दी है । यदि माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं हैं और कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो वह बात अलग है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यदि वे ऐसी जानकारी देते हैं जो सही न हो, तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम सरकार को उचित जानकारी प्राप्त करने में सहायता दें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष जानकारी है, तो मैं निवेदन करता हूं कि वह उसे वित्त मंत्री को दे दें ताकि वह उस पर विचार कर सकें ।

†**श्री रा० शि० पांडे** : कुछ समय पहिले एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि हमारे देश ने ४,५०० करोड़ रु० के मूल्य का सोना जमा किया है । क्या यह बात सच है । मंत्रालय ने यह गणना कैसे की ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री सोनावने** : क्या देश के अनेक सुनारों ने अभ्यावेदन किया है कि १४ कैरट सोने के आभूषण बनने असंभव हैं ? यदि हां, तो उन सुनारों की शंका निवारण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर दिया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** इस बात को ध्यान में रखकर कि स्वर्ण बाण्ड योजना द्वारा प्राप्त हुए सोने की मात्रा माननीय मंत्री के अनुसार लगभग २० लाख ग्राम है जब कि जनता ने अब स्वैच्छा से १० लाख ग्राम से अधिक सोना दिया है, सरकार सापेक्षत: थोड़े से धनी व्यक्तियों के सोना बाण्ड योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? उन्होंने बाण्ड क्यों थोड़े खरीदे हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** हाल में की गई कार्यवाही के फलस्वरूप, अर्थात् सोना नियन्त्रण आदेशों के फलस्वरूप, सोना बाण्ड योजना में अंशदान बढ़ गया है । पिछले सप्ताह या १० दिन के आंकड़ों से विदित होता है कि वृद्धि हो रही है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या सरकार को यह पता है कि गोल्ड रूल्स के अन्तर्गत कुछ एसे लोग रह गये हैं जिन के लिये लाइसंस लेना जरूरी नहीं है अर्थात् सुनार और कुछ दूसरे लोग जो इसी तरह से रोजगार करते चले जा रहे हैं जैसे पहले करते थे, और जो नहीं करना चाहिये । यदि यह सत्य है तो क्या गोल्ड रूल्स में कोई पाबन्दी उन पर लगाई जा रही है ? इन रूल्स के अन्तर्गत एसे लोग आते हैं जो कि एक्साइज चुकात हैं या दूकान रखत हैं । लेकिन गोल्ड स्मिथ्स लोग रह जाते हैं । उनके लिये लाइसेंस लेना जरूरी है, लेकिन रूल्स में यह लैकुना रह गया है ।

†**श्री मोरार जी देसाई :** यह लैकुना नहीं है । जो लोग सोना खरीदते और बेचते नहीं हैं उनके लिये लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है । लेकिन जो लोग सोना खरीद कर आर्नामेंट्स बना कर बेचते हैं उनके लिये लाइसस लेना जरूरी है । अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो सजा के पात्र होंग ।

†**श्री अ० क० गोलन :** देश के विभिन्न भागों से आने वाले तारों और पत्रों को मंत्री महोदय तक भजा जाता है, क्या माननीय मंत्री इस की जांच करेंग और पता लगायेंगे कि क्या जानकारी, अर्थात् अत्यधिक बेरोजगारी है और लाखों व्यक्ति बरोजगार हैं (**श्री उ० म० त्रिवदी :** २७ लाख) ठीक है या नहीं ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** यहां कहा गया है कि २७ लाख व्यक्ति बेरोजगार हैं; जब मैं मद्रास गया था, उन्होंन बताया था कि १ १/२ करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं । ये सारे आंकड़े आसानी से दिये जा सकते हैं । मैंने कहा था कि ऐसा परिवर्तन होने पर, कुछ अस्त-व्यस्त होना अनिवार्य है, परन्तु वह स्थिति अस्थायी होगी और सदैव नहीं रहेगी ।

विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि

†***४५८. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ८ जून, १९६२ से अब तक कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई है ;

(ख) वह किन प्रयोजनों के लिये काम में लाई गई है ; और

(ग) २१-१-६३ को भारत की विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि में कितनी राशि थी ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) जून से सितम्बर, १९६२ तक कुल लगभग ६३८ करोड़ रु० के विदेशी मद्रा के व्यय होने का अनुमान है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विदेशी मुद्रा रख रखाव तथा विकास संबंधी आयात का भुगतान करने पर और ब्याज देने तथा ऋणों का भुगतान करने, शिक्षा आदि के लिए धन भेजने पर व्यय हुई ।

(ग) १८ जनवरी, १९६३ को विदेशी मुद्रा रक्षित निधि में २५३.४७ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा थी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि जून में इस तारीख के बाद विदेश गये, कुछ सरकारी या गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडलोंकी पत्नियों तथा परिवारजनों को भी विदेशी मुद्रा दी गई? यदि हां, तो इन व्यक्तियों को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मण्डलों को विदेशी मुद्रा देने पर बहुत प्रतिबन्ध है । इस बात की भी जांच होती है कि प्रतिनिधि मण्डल कैसा है और उसके अनुसार विदेशी मुद्रा की मात्रा कम कर दी जाती है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मझे खेद है कि माननीय उपमंत्री या तो मेरे प्रश्न को पूरी तरह गलत समझी हैं या उसे टाल गई है। मेरा प्रश्न यह था कि यदि प्रतिनिधि मण्डल के कार्य के लिए अनिवार्य व्यक्ति जैसे पत्नी को शामिल किया गया था, तो उन्हे कितनी विदेशी मुद्रा दी गई। यदि माननीय उपमंत्री के पास आज जानकारी नहीं है.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय उपर्मत्री यही कहना चाहती थी कि श्री कामत जिन व्यक्तियों को अनिवार्य समझते हैं, वे उन मामलों जिन में भेजे गये अनिवार्य समझे गये थे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उन्हे कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : प्रतिनिधि मण्डल में किसी भी अनिवार्य व्यक्ति को नहीं भेजा जाता ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : माननीय सदस्य जिन व्यक्तियों का उल्लेख कर रहे हैं मैं उन्ह जानना चाहता हूं ताकि मैं बता सकूं कि विदेशी मद्रा दी गई थी या नहीं और यदि दी गई थी तो कितनी दी गई थी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : वह प्रतिनिधिमण्डलों के सदस्यों की सूची सभा पटल पर रखें।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके लिए अलग प्रश्न पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक जैसे विश्व निकायों ने सीधे सहायता करके या रुपयों में भगतान स्वीकार करके भारत को क्या सहायता दी है ताकि भारत वर्तमान संकट का सामना कर सके ? किन किन देशों ने इस प्रकार के सौदों के लिए सहमति प्रकट की है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : ऐसे प्रश्न पर इतना विस्तृत उत्तर देना संभव नहीं है । यदि वह यह जानकारी चाहे, तो मैं अलग प्रश्न पूछे जाने पर पूरी जानकारी दे दूंगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : छ : मास में जब ६३८ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा व्यय हुई, तब उसी काल में कितनी विदेशी मद्रा अर्जित की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं छः मास के आंकड़े दे सकती हूं । मैं नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी के अन्तिम आंकड़े देती हूं। नवम्बर में २३९.७३ करोड़ रु० थे । दिसम्बर, १९६२ में ये आंकड़े २४७.९१ करोड़ रु० थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह छः मास में विदेशी मद्रा की कुल प्राप्ति जानना चाहते हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जून से दिसम्बर तक आंकड़े ६३८ करोड़ हैं ।

श्री मोरारजी देसाई : ब्यौरा मैं बताता हूं जो निम्न है :—३४८.४९ करोड़ रु० निर्यात से प्राप्त हुए हैं। पी० एल० ४८० के अन्तर्गत मिली सहायता सहित २७५.७० करोड़ रु० प्रयोग किये गये । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ११.९० करोड़ रु० निकाले, और संचित निधि में २.४६ करोड़ रह गये ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि सोना खरीदने पर एक वर्ष में २५ से ५० करोड़ रु० तक की विदेशी मद्रा व्यय होती है, और यदि हां, तो सरकार ने तस्कर व्यापार से सोना खरीदने को रोकने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की है ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : समूची स्वर्ण नीति इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है और मैं समझता हूं कि यह सफल हो रही है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मंत्री महोदय ने प्रतिनिधिमण्डलों पर प्रतिबन्धों का उल्लेख किया था । इन प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप हुई बचत के द्योतक आंकड़े क्या हैं और वे थोड़े प्रतिबन्धों के समय के आंकड़ों से कम हैं या अधिक ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यदि अलग प्रश्न पूछा जाये तो मैं जानकारी दे दूंगा ।

†**श्री उ० मु० त्रिवेदी** : क्या सरकार का ध्यान इस मास की १९ तारीख के 'स्टेटसमेन' में प्रकाशित एक विज्ञापन की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें एक यात्रा अभिकरण अमरीका जाने वाले सभी को ५०,००० रु० की विदेशी मुद्रा देने का प्रस्ताव किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह जानकारी दी गई है ।

आयुर्वेदिक कालिज, दिल्ली

*४६०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री ३१ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक कालिज, दिल्ली को भारत सरकार के सीधे नियन्त्रण में ले लेने के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : यह निश्चय किया गया है कि आयुर्वेदिक कालेज में दिल्ली को फिलहाल भारत सरकार के सीधे नियन्त्रण में न लिया जाय ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या उन कारणों पर प्रकाश डाला जाएगा जिनके कारण यह निर्णय किया गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनायी गयी है कि तिब्बिया कालिज का भविष्य क्या होना चाहिए और इस में क्या फर्क होना चाहिए और

---

†मूल अंग्रेजी में

उस कमेटी ने सिफारिश की है कि इसमें कई एक चीजें और होनी चाहिएं। उसने यह भी सिफारिश की है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही यह कालिज चलता रहे और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बोर्ड स्थापित किया है उसी के नीचे यह चलता रहे। इस रिफारिश के आधार पर इसको न लेने का फैसला किया गया।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो निश्चय किया गया है यह स्थायी है या यह सोचा गया है कि कुछ दिनों के बाद इस पर फिर विचार किया जा सकेगा, और इस समय जो उसकी हालत खराब है क्या उसको सुधारने के लिए भी कोई कदम उठाया जाएगा ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन् उसकी हालत पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। मेरे पास कमेटी की रिपोर्ट है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको सारी चीज बता दूंगी। इसमें कोई एक सुधार करने के लिए सिफारिशें की गयी हैं जिनके ऊपर अमल किया जा रहा है। यह कहना तो कठिन है कि न लेने का यह निश्चय स्थायी है या नहीं। जीवन में स्थायी तो कुछ भी नहीं है। हमेशा परिवर्तन हो सकता है।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच रैंड विद्युत् का वितरण

+

†*४६१. { **श्री स० मो बनर्जी** :
श्री ब्रज राज सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच रैंड विद्युत् के वितरण के बारे में कोई अन्तिम निश्चय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के सभा-सचिव (श्री सैं० अ० मेहदी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस कारण कि मामला काफी समय से अनिश्चित पड़ा है, निश्चय करने में केन्द्रीय सरकार को क्या कठिनाई है और क्या इसके समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई विशेष सुझाव दिया है ?

†**श्री सैं० अ० मेहदी** : केन्द्रीय प्रादेशिक परिषद् ने सिफारिश की थी कि दोनों मुख्य मंत्रियों की इस मामले को अन्तिम रूप से निश्चित करने के लिए बैठक होनी चाहिये। अब २९ जनवरी को बैठक होगी और आशा है कि उसमें इस मामले पर विचार किया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या कोई मित्रतापूर्ण निश्चय करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने मार्ग दर्शन किया हैं ? यदि हां, तो क्या मार्ग दर्शन किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : मेरी स्वयं उनसे बात हुई थी। इस बारे में अनेक बातें कही गईं जो मैं अभी बताना नहीं चाहता।

†**श्री दाजी** : क्योंकि २९ तारीख को बैठक होनी है, क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की मांग सर्वथा गलत है और उस पर विचार नहीं किया जायेगा ? यदि हां.....

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दाजी: यह वक्तव्य प्रेस में आ चुका है। अब २६ तारीख को बैठक होगी। क्या भारत सरकार ने ऐसे वक्तव्य पर ध्यान दिया है ? क्या ऐसे वक्तव्य असहायक नहीं हैं? अन्तिम निश्चय न होने तक सरकार ऐसे वक्तव्यों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

†हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : अन्तिम निश्चय न होने तक, केवल उनसे कहा जा सकता है। इस काल में मैंने चार बार उत्तर प्रदेश से कहा है। मैंने व्यक्तिगत रूप में भी बात की थी और मैंने कहा है कि अब वे उस मामले पर अगली बैठक में विचार विमर्श करेंगे जो इस मास के अन्त में होगी।

†श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या रक से विद्युत् संभरण में मध्य प्रदेश के भाग के बारे में सरकार के समक्ष कोई अस्थायी प्रस्ताव रखा गया है ?

†हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : अभी किसी भाग का प्रश्न नहीं उठता। जब दोनों पक्षों में निश्चय हो जाये कि वे देते और लेते हैं, उस समय यह प्रश्न उत्पन्न होगा।

प्रशासन में मितव्ययता

†*४६२. { +श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री कपूर सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री यू० द० सिंह }

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान राष्ट्रीय आपात स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में मितव्ययता के लिये क्या उपाय किये हैं ;

(ख) इन उपायों से मन्त्रालयवार कितनी राशि की बचत होने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को भी मितव्ययता के उपाय करने के लिये कहा गया है ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). वर्तमान राष्ट्रीय आपात स्थिति को देखते हुये प्रशासन में, विशेषत: उस व्यय में जिसका प्रतिरक्षा से सम्बन्ध नहीं है, मितव्ययता के लिये अनेक उपाय किये गये हैं। इनमें से मुख्य उपाय ये हैं : कागज, मुद्रण और आकस्मिक प्रकार की अन्य मदों में मितव्ययता, यात्रा भत्ते, अधिक समय तक काम करने के भत्ते और कर्मचारीगण बजट पर होने वाले व्यय में कटौती। असारभूत तथा प्रतिरक्षा प्रयासों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध न रखने वाली योजनाओं पर होने वाले व्यय को इन योजनाओं को स्थगित या समाप्त करके कम कर दिया गया है। १९६३–६४ के लिये केन्द्रीय योजना व्यय क्या पुनरीक्षण और परिष्कार पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं की सापेक्ष पूर्ववर्तिता का उचित पुनर्निर्धारण करते हुये क्या गया है। इन उपायों के प्रभाव का पता अगले वित्तीय वर्ष के आयव्ययक प्राक्कलनों से चलता।

सरकार द्वारा व्यय में मितव्ययता के उपायों का ब्यौरा तथा १९६२–६३ और १९६३–६४ में होने वाली प्रत्याशित बचत दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या ७५८।६३] कुछ मन्त्रालयों से जानकारी की अभी प्रतीक्षा की जा रही है और यथा समय एक अनुपूरक विवरण सभा पटल पर रखा दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

हाल ही में एक उच्चस्तरीय मितव्ययता समिति बनाई गई है जिसमें गृह-कार्य सचिव, वित्त सचिव (व्यय) तथा अतिरिक्त सचिव, योजना आयोग, होंगे । यह समिति विभिन्न मन्त्रालयों में कर्मचारियों की स्थिति तथा व्यय सम्बन्धी अन्य बातों का संक्षिप्त अध्ययन करेगी और मितव्ययता के लिये सिफारिश करेगी ।

(ग) जी हां ।

श्री सरजू पांडेय : देश में आपातकालीन स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को क्या इस बात का परामर्श दिया है कि उन के मन्त्रिमण्डलों में मन्त्रियों की संख्या घटाई जाय ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जैसा कि मैंने अपने जवाब के पार्ट सी में बतलाया हमने राज्य सरकारों से इस बात को कहा है कि वह इमरजेंसी को देखते हुए अपने यहां ज्यादा से ज्यादा एकोनामी करें ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मितव्ययता के ये उपाय रेलवे जैसे विभिन्न विभागों में किये गये हैं और क्या यह देखने का प्रयत्न किया गया है कि इनसे कार्यकुशलता में तो कोई कमी नहीं आई ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे कि कार्य कुशलता में कोई कमी न आने पाये ।

श्री यशपाल सिंह : इमरजेंसी को देखते हुए सेंटर के मिनिस्टरों ने अपनी तनख्वाहों में कितने फीसदी की कमी की है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**:सेंटर के मिनिस्टर्स पहले ही १० परसेंट अपनी तनख्वाह कम लेते थे और उसके अलावा उन्होंने डोनेशंस भी दिये हैं ।

†**श्री रंगा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन मितव्ययता उपायों पर सोचविचार करने तथा उन्हें लागू करने के किसी प्रक्रम पर प्राक्कलन समिति और उसके सदस्यों को इनके साथ सम्बद्ध करने के लिये कोई उपाय किये जा रहे है या किये जाने वाले है ताकि वे अपने अनुभव और सुझावों का लाभ दे सकें ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: प्रश्न के उत्तर में मैं कह चुकी हूं कि एक बहुत ही उच्च स्तरीय अन्तर्विभागीय समिति नियुक्त की गई हे । प्राक्कलनों की जांच करते समय प्राक्कलन समिति किसी भी समय मितव्ययता के उपायों के बारे में सुझाव दे सकती है । मैं समझती हूं कि वे बड़ी जिम्मेदारी और प्रभावपूर्ण ढंग से बहुत ही अच्छा काम कर रहे है ।

†**श्री रंगा** : किसी समय स्वयं मन्त्रिमण्डल में इस उद्देश्य के लिये एक समिति थी । क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि इस मामले में वह समिति प्राक्कलन समिति से परामर्श कर लिया करे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सुझाव है । श्री जसवन्त मेहता ।

श्री रामेश्वरानन्द उठे---

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्वामी जी को नहीं बुलाया । मैं ने श्री जसवन्त मेहता को पुकारा था । वह प्रश्न पूछना नहीं चाहते । श्री द्विवेदी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मन्त्री महोदय को यह बात मालूम है कि उपमन्त्रियों और मंत्रियों के ऊपर बिजली का खर्च २५० रुपये प्रतिमास से ऊपर आता है ? इस को बन्द करने की दिशा में क्या सरकार ने किसी मन्त्री या मन्त्रियों से लिखा पढ़ी की है और यदि हां, तो बिजली के खर्चे को घटाने और मन्त्रियों के दूसरे खर्चों को घटाने की दिशा में क्या कमी की गई है ? क्या यह सही नहीं है कि किसी किसी मन्त्री का ७०० या ८०० के करीब प्रतिमास बिजली का खर्च आता है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): बिजली के खर्च में हम काफी कमी कर रहे है और उसको और घटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहीं २५० के ऊपर है तो कहीं कम भी है। बहरहाल यह कोशिश की जा रही है कि पानी और बिजली के खर्च में जितनी भी कमी की जा सके, वह की जा रही है।

†श्री हेम बरुआ : यह देखते हुए कि पश्चिम बंगाल जैसी कुछ राज्य सरकारों ने मितव्ययता के उपाय अपनाये हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये योजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मितव्ययता के प्रतिरूप के साथ मिलती-जुलती हैं अथवा वे उससे भिन्न हैं ?

†श्री मोरारजी देसाई : इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों के लिए कोई प्रतिरूप निर्धारित नहीं किया जा सकता था। इस मामले में उनका अपना प्रतिरूप है ।

†श्री पें० वेंकटा सुब्बैया : क्या सरकार ने सामुदायिक परियोजना विकास समिति के इस सुझाव पर विचार किया है कि इन में से कुछ अधिकारियों को, जैसे कि एस० ई० ओज०, हटा दिया जाये और यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: माननीय सदस्य को विवरण से ज्ञात होगा कि इस मंत्रालय में पर्याप्त बचत की गई है और १९६३-६४ में हम इस मंत्रालय से और भी अधिक बचत की आशा करते हैं ।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

†*४६३. { श्रीमती गायत्री देवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री भक्त दर्शन :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री मोहसिन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री हेम राज :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक राष्ट्रीय रक्षा कोष में स्वर्ण तथा नकदी दोनों में कुल कितना अंशदान (भारत में राज्य-वार तथा विदेशों से) प्राप्त हुआ है ;

(ख) इस धन के किस प्रकार प्रयोग किये जाने का विचार है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिये महालेखा परीक्षक को प्राप्ति तथा व्यय के ब्यौरों की जांच करने की शक्ति दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्र ब० रा० भगत)** : (क) दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० ७५९/६३]**

(ख) राष्ट्रीय रक्षा कोष समिति इस कोष का प्रबन्ध करती है और इसका प्रयोग देश की रक्षा से सम्बन्धित सभी प्रयोजनों के लिये, जिसमें सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के लिये सुविधायें भी सम्मिलित हैं, प्रयोग किया जाएगा ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्रीमती गायत्री देवी** : रणक्षेत्र में लड़ने वाली सेनाओं को सुविधायें आदि देने में अभी तक इसमें से कितने धन का प्रयोग किया गया है और कितना नागरिक समितियों तथा ऐसी ही अन्य चीजों पर व्यय किया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : अभी तक ३७ लाख रुपये व्यय करने का निर्णय किया गया है जिसमें घायल या मारे गये सैनिकों को सहायता या सुविधायें देने का व्यय सम्मिलित है। इस कोष को बढ़ाने तथा अन्य बातों पर खर्च करने के लिये प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री को १२ लाख रुपये दिये गये हैं . . .

†**श्री रंगा** : हमें बिल्कुल सुनाई नहीं देता । मुख्य मंत्रियों को किस लिये राशि दी गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आप कुछ ऊंचा बोलिये ।

†**श्री ब० रा० भगत** : . . . . . सैनिकों के परिवारों को सुविधायें देने के काम को तीव्र गति से चलाने के सम्बन्ध में खर्च के लिये ।

†**श्री रंगा** : इसका अभिप्राय यह है कि यह धन रुपया अधिक तेजी से इकट्ठा करने के लिये खर्च किया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने अपना उत्तर ठीक करते हुए कहा है कि यह सैनिकों की सुविधायें प्रदान करने के लिये है ।

†**श्री रंगा** : लगता है कि कोई बात छुपाई जा रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें उत्तर सुनना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत**: वह जो कह रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहें हैं । अनुपूरक प्रश्न करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिये कि उन्हें कितना रुपया दिया गया है और किस लिये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : तभी तो मैं उन्हें प्रश्न का उत्तर देने के लिये कह रहा हूं ।

†**श्री ब० रा० भगत** : घायल या मारे गये सैनिकों को सुविधायें देने, तत्सम्बन्धी अन्य बातों के लिये तथा धन इकट्ठा करने पर होने वाले व्यय के लिये मुख्य मंत्रियों को १२ लाख रुपये की अग्रदाय राशि दी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा :** यही तो मुख्य बात है । क्या इसका यह अभिप्राय है कि धन इकट्ठा करने पर होने वाला व्यय भी इसी लेखे में दिखाया जायेगा ? क्या इस ढंग से हम अपने जवानों की सहायता करने तथा उनके लिये सुविधायें प्रदान करने जा रहे हैं ? क्या इसका यह भी अर्थ निकाला जाये कि इस बारे में हिचकिचाहट से काम लिया जा रहा है क्यों मेरे माननीय मित्र एक बात कह कर स्वयं ही उसे ठीक करते हैं कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों को तेजी से धन संग्रह करने के लिये १२ लाख रुपये दिये गये हैं । हम चाहते हैं कि इस पर और प्रकाश डाला जाये ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि प्रचार के लिये रुपया कहां से लाया जायेगा । यह तो कम से कम खर्चा है जो ये समितियां करती हैं और वह भी इसी कोष में से आयेगा । और कहां से यह आयेगा ? निस्संदेह यह कम से कम है । वह लेखा भी केन्द्रीय कोष में भेजा जाता है परन्तु वह कोई बहुत अधिक नहीं है । सच तो यह है कि सरकार भी खर्च कर रही है । सरकारी कर्मचारी ही कार्यालयों तथा अन्यत्र काम कर रहे हैं । हो सकता है कि कुछ न्यूनतम व्यय ऐसा हो जो इसी कोष में से पूरा करना पड़े । इसके अतिरिक्त, सरकारें इसमें से खर्च नहीं करेंगी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या मैं जान सकता हूं कि किसी प्रक्रम पर इस कोष में से किये जाने वाले व्यय के बारे में संसद से परामर्श किया जायेगा या उसे सूचित किया जायेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** जी नहीं ।

श्री विभूति मिश्र : नेशनल डिफेंस फण्ड में से विभिन्न मुख्य मंत्रियों को जो एक-एक लाख रुपया दिया गया है, जो रसीद वगैरह वे ग्रांट करते हैं, वह ख़र्चा इसमें शामिल है या कोई और ख़र्चा भी शामिल है ?

श्री मोरारजी देसाई : वह खर्चा है । कुछ दफ्तर का भी थोड़ा खर्चा होगा । इस तरह का ख़र्चा है । कोई ट्रैवलिंग एलाउंस नहीं दिये जाते हैं ।

†**श्री रा० गि० दुबे :** क्या मैं जान सकता हूं कि भूतपूर्व राजाओं ने लगभग कितना अंशदान दिया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं अलग से आंकड़े नहीं दे सकता ।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मेरी जानकारी है, अकेले उत्तर प्रदेश में साढ़े चार करोड़ रुपया एकत्र हुआ है, लेकिन खाते में सिर्फ २४ लाख और कुछ हज़ार रुपया दिखाया गया है । इसी तरह पंजाब में साढ़े चार करोड़ से ज्यादा रुपया एकत्र हुआ है, लेकिन इसमें २६ लाख रुपया दिखाया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका हिसाब रखने का क्या तरीका है, किस तरीके से यह रुपया केन्द्रीय खाते में जमा किया जाता है और किस तरह से राज्यों में उसका बंटवारा होता है ।

श्री मोरारजी देसाई : सब प्रदेशों में अलग अलग कमेटीज़ हैं । उन कमेटीज़ में ही पैसा जमा होता है और वह पैसा सेंट्रल फ़ंड में जमा करने के लिये ही है । मगर जब तक वह सैंट्रल फ़ंड में जमा नहीं होता है, तब तक उसको सैंट्रल फ़ंड में नहीं बताया जाता है, बल्कि प्रादेशिक कमेटीज़ के फ़ंड्ज़ में बताया जाता है । वह सारा पैसा सैंट्रल फ़ंड का है, न कि किसी प्रादेशिक फंड का ।

†**श्री इन्द्र जीत गुप्त :** क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि बहुत से मामलों में बड़ी बड़ी औद्योगिक संस्थाओं के मालिकों ने श्रमिकों की मजूरी में एक दिन की मजूरी की कटौती करके जो राशि राष्ट्रीय रक्षा कोष में जमा कराई है वह वास्तव में एक दिन की मजूरी के संग्रह से कम है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली ।

श्री प० ला० बारूपाल : जिन लोगों ने रक्षा कोष में सोना या रुपया आदि दिया है, क्या सरकार की ओर से उनकी सूची प्रकाशित की जाएगी और क्या उस सूची को क्षेत्रों में भेजा जायेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : हजारों आइटम हैं । मैं नहीं समझता कि उनकी सूची कैसे प्रकाशित की जाये ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : क्या सरकार को ऐसी सूचनायें मिली हैं कि अनेक मामलों में अनुचित दबाव या जबरदस्ती का प्रयोग किया गया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने अधिकारियों और अन्य लोगों को ऐसे निदेश दिये हैं कि अमीरों और गरीबों से रक्षा कोष के लिये धन संग्रह करने में कोई ऐसा दबाव न डाला जाये ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : हमने सार्वजनिक भाषणों तथा परिपत्रों द्वारा यह बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि कोई भी अधिकारी या कोई और कहीं पर भी दबाव से काम न ले ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : अधिक प्रभाव नहीं हुआ ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : दबाव डाले जाने की कुछ शिकायतें तो हैं लेकिन अभी तक किसी व्यक्ति से मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि उसे ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया (**अन्तर्बाधायें**)

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : यह बहुत हास्यास्पद है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री मानसिंह पृ० पटेल ।

†**श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या मैं जान सकता हूं कि किन परिस्थितियों के अधीन गुजरात में इसे सैनिक कोष का अलग नाम दिये जाने की अनुमति दी गई थी ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : क्योंकि वह नाम केन्द्रीय कोष के चालू होने से पहले रखा गया था इसलिये उसे जारी रहने दिया गया । उसमें बुरा ही क्या है ? मेरी तो समझ में नहीं आता ।

†**श्री रामेश्वरानन्द** : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्र के मंत्रियों और उप-मंत्रियों तथा प्रदेशों के मंत्रियों और उप-मंत्रियों ने रक्षा कोष में कितना रुपया दिया है और अपने वेतनों से कितना रुपया कटवाया है ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या दिया है । मैंने डिफेंस फंड में पांच हजार रुपया दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल पहले ही हो चुका है ।

†**श्री नरसिम्हा रेड्डी** : आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कुछ समय पहले एक वक्तव्य दिया था कि यदि धनी व्यक्ति राष्ट्रीय रक्षा कोष में अंशदान नहीं देंगे तो ऐसा करने पर उन्हें विवश करने के लिये विधान लागू करना पड़ेगा । क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि क्या ऐसा विधान विचाराधीन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह बात आयव्ययक से सम्बन्ध रखती है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

गुलाटी आयोग का प्रतिवेदन

†*४६४. **श्री मोहसिन** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलाटी आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार गुलाटी आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार के विनिश्चय की प्रतीक्षा किये बिना ही नागार्जुनसागर (द्वितीय प्रक्रम), श्रीसैलम तथा पोचमपाद परियोजनाओं के निर्माण का कार्य कर रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) गुलाटी आयोग की रिपोर्ट सरकार के सामने विचाराधीन है ।

(ख) सरकार को ऐसी किसी कार्यवाही का ज्ञान नहीं है ।

†**श्री मोहसिन** : क्या यह सच नहीं है कि कुछ केन्द्रीय मंत्रियों की भी, जो आंध्र प्रदेश का दौरा करने गये थे, यही मत था कि इन दोनों परियोजनाओं को गुलाटी आयोग की रिपोर्ट पर विचार तथा निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना ही आरम्भ कर दिया जाना चाहिए ?

†**श्री अलगेशन** : मैं भी आंध्र प्रदेश के दौरे पर गया था । परन्तु प्राविधिक सलाहकार समिति ने अभी इन परियोजनाओं को स्वीकृत नहीं किया है ।

†**श्री मोहसिन**: गुलाटी आयोग की रिपोर्ट कब मिली थी और उस पर क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अलगेशन** : गत नवम्बर में रिपोट मिली थी कि और हम विभिन्न राज्य सरकारों के परामर्श से निर्णय करने की प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : क्या यह सच है कि गुलाठी आयोग की रिपोर्ट मिलने से पहले केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश को इस आशय का निदेश दिया था कि श्रीसैलम, पोचमपाद और नागार्जुनसागर परियोजनाओं को तब तक शुरु न किया जाये जब कि रिपोट न निकल जाये और उस पर निर्णय न हो जाये ?

†**श्री अलगेशन** : ऐसा कोई अवसर नहीं आया था ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : क्या सरकार ऐसी कोई सावधानी बरत रही है कि नागार्जुन परियोजना के दूसरे चरण को पूरा करने के फलस्वरुप मैसूर राज्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†**श्री अलगेशन** : ये बातें अभी विचाराधीन हैं ।

कार्यालयों का दिल्ली से बाहर भेजा जाना

+

श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

---

†मूल अंग्रेजी में

*४६५. श्री हेम राज :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री मंत्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री यू० द० सिंह :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान आपात के कारण दिल्ली में आवास समस्या उग्र रुप धारण कर गई है ;

(ख) (१) कार्यालय स्थान, तथा (२) निवास स्थान के लिये कितनी कितनी मांग है;

(ग) इस मांग को किस प्रकार पूरा किया जायेगा; और

(घ) किन कार्यालयों को, यदि कोई हों, दिल्ली से बाहर भेजने का प्रस्ताव है?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां, यह समस्या सदैव ही उग्र रुप में रही है। आपात काल के कारण यह और भी उग्र हो गई हैं।

(ख) (१) ५४.४४ लाख वर्ग फुट।

(२) लगभग ९०,००० एकक

(ग) कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये गये हैं: (१) प्रदर्शनी मैदान में बने मंडपों में कार्यालय खोलना (२) उन लोगों से सरकारी मकान खाली कराना जो उनके हकदार नहीं हैं; (३) कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजना, (४) अधिक स्थान किराये पर लेना, (५) नये कार्यालयों तथा निवास स्थानों का निर्माण आदि।

(घ) जिन कार्यालयों को पूणतः या अंशतः दिल्ली के बाहर भेजने का विचार है, उनकी एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है।

सूची

क्रमांक	कार्यालय/विभाग का नाम	टिप्पणी
१	एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल आर्गनाइजेशन . . .	पूर्णतः
२	नेशनल बिल्डिंग्स आर्गनाइजेशन . . .	,,
३	प्लांट प्रोटेक्शन कोरेन्टाइन एण्ड स्टोरेज डाइरेक्टोरेट .	,,
४	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन . .	,,
५	भाखड़ा एण्ड व्यास डैम डिजाइन डाइरेक्टोरेट .	,,
६	सेन्ट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट . .	अंशतः
७	डिपार्टमेंट आफ टूरिज्म	,,

†मूल अंग्रेजी में

क्रमांक	कार्यालय/विभाग का नाम	टिप्पणी
८	डिपार्टमेंट आफ लाइट हाउसेज एण्ड लाइट शिप्स	अंशत:
९	इण्डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च	,,
१०	पब्लिकेशनस डिवीजन . .	,,
११	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	,,
१२	नेशनल सैम्पल सर्वे . .	,,
१३	खादी एण्ड विलेज इन्डस्ट्रीज कमीशन	,,
१४	फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया	,,
१५	आयल एण्ड नेचरल गैस कमीशन .	,,
१६	ब्रिजेस एण्ड फ्लड डिजाइन्स डाइरेक्टोरेट आफ मिनिस्ट्री आफ रेलवेज	,,
१७	दी आल इंडिया हैंडीक्रैफ्ट्स बोर्ड	,,
१८	दी सेंट्रल हिन्दी डाइरेक्टोरेट	,,
१९	डाइरेक्टोरेट आफ एकोनोमिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स	,,

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : कार्यालयों को बाहर भेजने से स्थिति में कितना सुधार होगा और अभी उनको बाहर भेजने का मामला किस स्थिति में है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : लगभग १५०,००० से २००,००० वर्गफुट तक स्थान मिल जायेगा हाल में ही यह निर्णय किया गया है। एक दो महीने में कार्यालय बाहर जाने शुरू हो जायेंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इन कार्यालयों को विभिन्न स्थानों पर बाहर भेजने के मामले में किस कसौटी को अपनाया गया है। क्या उन स्थानों पर उन्हें किराये की इमारतों में रखा जायेगा या नई इमारतें बनाई जायेंगी और क्या इस मामले में अर्द्ध–विकसित राज्यों का ध्यान रखा जायेगा?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं, आपात काल आदि को ध्यान में रख कर यह निर्णय किया गया है। मंत्रालय ने इस मामले की छानबीन की और प्रधानमंत्री से परामर्श किया। उसके बाद मंत्रिमंडल की आपात समिति को मामला सौंप दिया गया और उसके बाद निणय किया गया। 'क' और 'ख' दो सूचियां बनाई गई हैं । इस समय 'क' सूची पर कार्यवाही की जा रही है। जिन स्थानों पर इन कार्यालयों को भेजना है, हम उन स्थानों की राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं और उनके सुझाव पर हम ये इमारतें ले रहे हैं। कुछ इमारतें राज्य सरकारों की हैं और कुछ किराये पर ली जायेंगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन १९ दफ्तरों की सूची दी गई है, क्या यह भी आशा है कि उनके सिवा और भी दफ्तर दिल्ली से बाहर ले जाये जायेंगे ?

†मूल अंग्रेजी में

श्री मेहर चन्द खन्ना : १९ दफतरों की लिस्ट बन चुकी है और २० की लिस्ट अभी जेरे-गौर है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई इमारत मथुरा रोड पर बनकर तैयार हो गई है और खाली पड़ी हुई है?

अध्यक्ष महोदय : हां एक-एक बिल्डिंग में कैसे जा सकते हैं?

श्री मा० ला० द्विवेदी : भारत भर में भूतपूर्व राजाओं-महाराजाओं की जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्ज खाली पड़ी हुई हैं, या केन्द्रीय सरकार की जो इमारतें खाली पड़ी हुई हैं, क्या इस इमर्जेन्सी में उनका उपयोग करने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी इमारतों हैं, जिन के बारे में सरकार ने विचार किया है?

श्री मेहर चन्द खन्ना : सरकार की बिल्डिंग्ज तो मेरे खयाल में कहीं खाली नहीं पड़ी हुई हैं। मैंने इसकी कोशिश की है। लेकिन अगर माननीय सदस्य के पास इसके बारे में कोई इत्तिला है तो मुझे बतायें और मैं उनका बड़ा मशकूर हूंगा। बाकी जगहों में, दूसरे प्रदेशों में, राजा-महाराजाओं की हैं, या सरकारों की जो हैं, उनके बारे में तो मैं देख रहा हूं।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : इस प्रकार उपलब्ध स्थान में से कुछ स्थान क्या दिल्ली के उन पदाधिकारियों तथा अधिकारियों के लिए अलग रखी जायेगी, जिन्हें अभी तक कोई मकान नहीं दिया गया है?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : प्रमुखता प्रतिरक्षा संबंधी जरूरत को दी जायेगी। बाकी बातें बाद में देखी जायेंगी।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या प्रतिरक्षा की दृष्टि से सरकार इन कार्यालयों को दक्षिण भारत भेजना चाहती है?

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : इन कार्यालयों को दिल्ली के बाहर भेजने के बाद कितना स्थान बच जायेगा?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : कुछ नहीं बचेगा। आपात काल आरंभ होने के बाद हम ३,५०,००० वर्गफुट जगह दिल्ली में दे चुके हैं और हमारे पास अभी २½ लाख वर्ग फुट की मांग और पड़ी हुई है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या सरकार इनमें से कोई कार्यालय राजस्थान के किसी स्थान पर भेजना चाहती है। यदि हां, तो क्या वहां के मुख्यमंत्री का ऐसा संकेत सरकार को मिल गया है कि वह इनमें से किसी भी कार्यालय के लिए जगह नहीं दे सकते?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : ऐसा कोई विचार नहीं है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या कोई कार्यालय राजस्थान भेजे जायेंगे?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं वैसे नहीं बता सकता। यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं कागजात देखकर उन्हें बता सकता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स० मो० बनर्जी: क्या इस बात का निणय लेते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो कार्यालय बाहर भेजे जायेंगे, उनको वहां रहने के मकानों की दिक्कत होगी, यदि हां, तो उन्हें उन स्थानों पर मकान देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना**: दिल्ली में हर सरकारी कर्मचारी को क्वार्टर नहीं दिये गये हैं। मैं बता चुका हूं कि कुल मांग ९०,००० मकानों की है। हम ३०,००० मकान दे चुके हैं; ६०,००० लोग मकान किराये के हकदार हैं। उनके लिए भी हम मकान ढूंढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि हम उनके लिए मकान की व्यवस्था कर पाते हैं तो ठीक है, अन्यथा हर सरकारी पदाधिकारी चाहे दिल्ली में हो या कलकत्ता या बम्बई चला जाये, सरकारी कर्मचारी के रूप में कुछ सुविधाओं का अधिकारी होता है और वे सुविधाएं उसे दी जायेंगी।

†**श्री रंगा**: क्या सरकार इन्दौर, ग्वालियर और नागपुर में उपलब्ध स्थान का उपयोग करने का प्रयत्न कर रही है क्योंकि ये स्थान पहले राजधानी थे और वहां बहुत सी इमारतें बनाई गई थीं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना**: इस समय हम कुछ मुख्य मंत्रियों से बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नागपुर में हमें काफी जगह दी है।

†**श्री प्रिय गुप्त**: दिल्ली से कार्यालयों को बाहर भेजने के प्रश्न पर क्या किसी संगठित मजदूर संघ से परामर्श किया गया है या इस मामले में किसी सम्मेलन में उनसे चर्चा की गई है? क्या राजस्थान जाने वाले कर्मचारियों को वहां भी यहां की ही दर से भत्ते मिलते रहेंगे; यदि नहीं तो क्या उन्हें आर्थिक रूप में कोई प्रतिकरात्मक सहायता दी जायेगी?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना**: हमारा संबंध केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से है; उद्योगों के मजदूरों से नहीं है।

†**श्रीमती सावित्री निगम**: माननीय मंत्री को पता है कि १९ कार्यालयों को बाहर भेजने के साथ दिल्ली में १९ नये कार्यालय खोले जा चुके हैं। दिल्ली में नये कार्यालय खोलने का क्रम बन्द करने के लिए वह क्या उपाय कर रहे हैं?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना**: मैं सभा को बता चुका हूं कि हम केवल प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रख रहे हैं। दिल्ली में नये कार्यालय खोलने के लिए हमने यही कसौटी अपनाई है।

†**अध्यक्ष महोदय**: अगला प्रश्न।

श्री यशपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने क्वेश्चन लिख कर दिया है, उनको भी मौका नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: बहुत दफा हो जाता है। मेरी मजबूरी है कि जिन्होंने दिया होता है उनकी भी बारी नहीं आती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अपर सिलेरू जल-विद्युत् योजना

+

†*४६६. { **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपर सिलेरु जल-विद्युत् परियोजना का कार्य मशीनों तथा इस्पात के संभरण में गतिरोध पैदा हो जाने के कारण रुक गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इन गतिरोधों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री सै० अ० मेहदी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). कुछ समय पूर्व आन्ध्र प्रदेश के कुछ संसद-सदस्यों ने मांग की थी कि इस परियोजना के लिए मशीन और इस्पात मंगाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। इन मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या यह सच है कि इस परियोजना के लिए टरबाइन मंगाने के लिए आदेश नहीं दिये गये हैं, जिसका परिणाम यह होगा कि बिजली उत्पादन का कार्यक्रम निश्चित योजना के अनुसार नहीं चल पायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : बिजली संयंत्र और उपकरण के आदान-प्रदान की अनुमति दे दी गई है और इसी के अन्तर्गत उन्हें मंगाने का आदेश दे दिया गया है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या यह सच है कि जहां तक टरबाइनों का संबंध है, निर्माताओं को इनके बारे में कोई विशिष्ट आदेश नहीं दिये जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह होगा कि जेनेरेटर तो हमें मिल जायेंगे पर टरबाइन नहीं मिलेंगे ।

†**श्री अलगेशन** : मैं परियोजना के अधिकारियों से इन बातों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करके सभा के सामने रख सकता हूं ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मैं जानना चाहता हूं कि बाली मेला परियोजना अपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है या आपातकाल के कारण उसका काम रोक दिया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : बाली मेला बांध का काम रोक दिया गया है क्योंकि उसके बारे में उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में कोई करार नहीं हो पाया है । अभी हाल में दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच बात हुई थी और दोनों एक समझौते पर पहुंच गये हैं । अतः अब बाली मेला परियोजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलेगी ।

†**डा० क० ला० राव** : क्या यह सच है कि अपर सिलेरू परियोजना में केवल सिविल इंजीनियरिंग भाग ही १९६४ में पूरा हो जायेगा और बिजली उत्पादन का काम रुक जायेगा क्योंकि मशीनें मंगाने के लिए आदेश नहीं दिये गये हैं और अभी इस्पात की भी व्यवस्था नहीं की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : मैं परियोजना के अधिकारियों से मालूम करूंगा कि मशीनें मंगाने के लिए आदेश दिया गया है या नहीं ? उसके बाद ही में इस प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा । जहां तक मैं समझता हूं, टरबाइन या अन्य मशीनों के न आने की वजह से कोई विलम्ब नहीं होगा ।

†**श्री रंगा** : जब कि बिजली की मांग अधिकाधिक बढ़ रही है बिजली की इतनी कमी है और अनेक छोटी-छोटी बिजली योजनाओं के लिए प्रयत्न किये जाने वाले हैं, तो अपर सिलेरू परियोजना को पूरा करने में इतना विलम्ब क्यों होने दिया गया ?

†**श्री अलगेशन**: कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

सहायक-नर्स प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

†*४६७. { **श्रीमती विमला देवी** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विशनचन्द्र सेठ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सहायक नर्सों के प्रशिक्षण के लिये कोई अल्पकालीन पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अधीन कितनी सहायक नर्सों को प्रशिक्षित किया जायेगा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा कितना व्यय किया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) जी हां ।

(ख) १९६३-६४ के अन्त तक १०,००० के लगभग सहायक नर्सों को प्रशिक्षण देने का विचार है ।

(ग) १९६३-६४ में लगभग २५ लाख रुपये

†**श्रीमती विमला देवी** : दो पाठ्यक्रम हैं : एक ३ महीने का और दूसरा १५ दिन का । मैं जानना चाहती हूं कि क्या दिल्ली के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में १५ दिन वाला पाठ्यक्रम आरम्भ किया है और क्या यह पाठ्यक्रम सम्पूर्ण भारत पर लागू होगा ?

†**डा० द० स० राजू** : जिस पाठ्यक्रम का यहां जिक्र है, वह ३ महीने की सहायक नर्स प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है । जिस १५ दिन वाल पाठ्यक्रम का जिक्र माननीय सदस्या ने किया है, वह होम नर्सिंग कोस है ।

†**श्री यशपाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि शार्ट पीरियड ट्रेनिंग से इस काम में इनएफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा०सुशीला नायर)**: ऐसा सोचा गया ह कि तीन महीने की इंटेंसिव ट्रेनिंग दे कर उन को काम पर रक्खा जाये, और अगर यह माना जाय कि इमर्जेन्सी के कारण उन की आवश्यकता नहीं होती ह तो उन को आगे भी सीखते रहने की सुविधा प्रदान की जाये जिस से कि अगर वह चाहें तो फुलफ्लेज्ड नर्सेज बन सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह अधिकार है तो एक दुकानदार के सर्टिफिकेट पर भरोसा क्यों किया गया ऐसी स्थिति में ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : मैं ने तो वैसे ही इस बात का उल्लेख किया कि उस के पास एक स्थानीय व्यापारी का प्रमाणपत्र था, जोकि स्वयं भी एक व्यापारी था ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ताप विद्युत् जनन'

†*४५७. **श्री सं० चं० समन्त :**
डा० पू० ना० खां :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप विद्युत् जनन में कोयला धोने के कारखानों से प्राप्त दरम्यानी किस्म के कोयले (वाशरी मिडलिंग्स) के प्रयोग के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) कोयला तथा "मिडलिंग्स" (दरम्यानी किस्म का कोयला) का प्रयोग करने वाले विद्युत् केन्द्र में कितना लाभ होता है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में बिजली बनाने के लिए दरम्यानी किस्म के कोयले (वाशरी मिडलिंग्स) का कोई उपयोग नहीं होता था । तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में १७.७ लाख टन दरम्यानी किस्म के कोयले का प्रयोग किया गया । आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक ५२.२ लाख टन दरम्यानी किस्म के कोयले का उपयोग होने लगेगा ।

(ख) दरम्यानी किस्म के कोयला की तुलना में कम राख देने वाले अच्छे किस्म के कोयले की समान मात्रा से जबकि अधिक बिजली उपलब्ध होगी, परन्तु बड़े पैमाने पर बिजली के उत्पादन के लिए अच्छी किस्म का कोयला उपलब्ध नहीं है । वाशरी मिडलिंग्स को तापीय बिजली कारखानों में इस्तेमाल किया जा सकता है और यह बड़ी मात्रा में उपलब्ध है । इस के अलावा मिडलिंग्स में राख की मात्रा लगभग निश्चित होती है, परन्तु अच्छे किस्म के कोयले में यह बात नहीं होती : ऐसी स्थिति में मिडलिंग्स का प्रयोग राष्ट्रीय दृष्टि से लाभप्रद होगा ।

लोक निर्माण विभाग का पुनर्गठन

†*४६८. **डा० उ० मिश्र :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना परियोजना सम्बन्धी समिति द्वारा नियुक्त योजना कार्यक्रमों को शीघ्र क्रियान्वित करने के प्रश्न पर विचार करने वाले दल ने केन्द्र और राज्यों दोनों में लोक निर्माण विभाग के पूर्ण सुधार करने की सिफ़ारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफ़ारिश को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां, मुख्य मुख्य सिफारिशें सभा पटल पर रखी जाती हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ७६० / ६३]**

(ख) सरकार सिफारिशों पर विचार कर रही है और शीघ्र ही निर्णय लेगी कि किन-किन सिफारिशों को स्वीकार किया जाये और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिएं।

दाहिने किनारे की भाखड़ा विद्युत् परियोजना

†*४६९. **श्री बशनचन्द्र सेठ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दाहिने किनारे की भाखड़ा विद्युत् परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए रूसी इंजीनियरों ने भारत सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये भारत का दौरा किया है या कर रहे हैं ;

(ख) क्या उन के द्वारा प्रस्तुत किये गये नमूनों के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार का कितना खर्च आयेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (घ). मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) परियोजना अधिकारियों से चर्चा करने के बाद रूसी इंजीनियरों का एक दल २४ नवम्बर, १९६२ को भारत आया कि अपने द्वारा तैयार की गई परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे सकें। उपकरण के संभरण के लिए करार को अन्तिम रूप देने के लिए एक अन्य रूसी दल फरवरी १९६३ में भारत आयेगा।

(ख) कुछ छोटे रूपभेद के साथ डिजाइन का अनुमोदन कर दिया गया है।

(ग) इन डिजाइनों में बिजली कारखानों की इमारत, कांक्रीट की छोटी इमारतों, बिजली तथा मशीनी प्रणालियों, गेटों और ड्रावायस्टों, इस्पात के ढांचों, बिजली पैदा करने वाले कारखानों, स्टेशन सेवा सहित टरबाइनों और जनरेटरों, सहायक यंत्रों तथा २०० किलोवाट के सब-स्टेशन की डिजाइनें हैं।

(घ) ट्रांसमिशन लाइनों आदि सहित परियोजना का कुल खर्च लगभग ३५.३५ करोड़ रुपय है।

अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों के लिये भारतीय पदाधिकारी

†*४७०. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय आपात और विदेशी मुद्रा स्थिति को देखते हुए सरकार ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए पदाधिकारियों और गैर-पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में कौन से कदम उठाये हैं या उठाने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : आपात काल तथा विदेशी मुद्रा की स्थिति को देखते हुए विदेशों में प्रतिनियुक्ति की प्रस्थापनाओं की कड़ाई के साथ छानबीन की जाती है, और केवल उन्हीं मामलों में, यथासंभव, अनुमति दी जाती है, जिन को रोका नहीं जा सकता, या जिन से विदेशी मुद्रा में काफी बचत की आशा होती है या जो प्रतिरक्षा प्रयत्नों से सम्बन्धित होते हैं या प्रशासन के लिए प्रत्यक्षत: लाभप्रद होते हैं ।

एम० बी० बी० एस० कोर्स

†*४७१. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हेम राज :
श्री मंत्री :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को एम० बी० बी० एस० कोर्स की अवधि घटा कर साढ़े चार वर्ष करने के लिए कहा है और डाक्टरों के स्थायी पंजीकरण से पूर्व उन के द्वारा सैनिक अथवा सरकारी औषधालयों में अनिवार्य सेवा की जाने का भी उपबन्ध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

. विवरण

भारतीय चिकित्सा परिषद् ने अद्यतन गतिविधियों को देखते हुए एम० बी० बी० एस० के पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण किया है । पुनरीक्षित पाठ्यक्रम साढ़े चार वर्ष का है जिस के बाद एक वर्ष तक व्यावहारिक प्रशिक्षण होगा । परिषद् ने १९६३-६४ से पुनरीक्षित पाठ्यक्रम अपनाने के लिये विश्वविद्यालयों से कहा है । अन्य बातों के अतिरिक्त यह सिफारिश की है कि एम० बी० बी० एस० की फाइनल परीक्षा पास करने के पश्चात् उम्मीदवारों का अस्थायी पंजीयन कर दिया जाये और स्थायी पंजीयन से पूर्व किसी मंजूरशुदा अस्पताल अथवा हैल्थ सेंटर में १२ महीने तक काम करना ज़रूरी ठहराया जाये । इस से उन का प्रशिक्षण बेहतर हो जायेगा । प्रतिरक्षा चिकित्सा सेवा अथवा किसी स्वीकृत चिकित्सा संस्था में काम करने से भी वही प्रयोजन सिद्ध हो जायेगा । भारत सरकार ने राज्य सरकारों और चिकित्सा संस्थाओं आदि से निवेदन किया है कि परिषद् द्वारा सुझाये गये उपायों को तुरन्त लागू कर दिया जाये ताकि वर्तमान आपातकाल को देखते हुए डाक्टरों की बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सके ।

राजस्थान नहर

†*४७२. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर की बस्ती बसाने की नीति को अन्तिम रूप देने के लिये दो या तीन मास पूर्व पंजाब और राजस्थान के मुख्य सचिवों की एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस में क्या निश्चय किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). पंजाब और राजस्थान सरकारों के प्रतिनिधियों की दो और सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के सचिव और पंजाब और राजस्थान के मुख्य सचिवों की तीन बैठकें १९६२ में हुई थीं। गत १४ सितम्बर, १९६२ को हुई थी, बातचीत अभी समाप्त नहीं हुई और नीति निर्धारित करने में कुछ समय लगेगा।

दिल्ली में बिजली का संकट

†*४७३. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ९ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७ और ५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष १९६१ और १९६२ में दिल्ली में बिजली के संकट की जांच करने के लिए नियुक्त की गई कुमार समिति, धर्मवीर समिति और दामले समिति की सिफ़ारिशों पर कोई निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्योरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). डाम्ले समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। अन्य दो समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ७६१/६३]**

दिल्ली में परिवार नियोजन

†*४७५. **श्री यू० द० सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित उन समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनमें परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रति दिल्ली की स्थानीय संस्थाओं तथा जनता के विरोध का संकेत दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को 'धीमे चलाने' का निर्णय कर लिया है; और

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रति इस रुख के परिणामस्वरुप कितना धन बच जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) सरकार ने वे समाचार देखे हैं जिन में बताया गया है कि दिल्ली नगर निगम ने १९६३–६४ के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये निधि की व्यवस्था कर दी है और जनता में उत्साह दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है।

(ख) और (ग). सरकार ने कार्यक्रम की गति धीमी करने का निश्चय नहीं किया है।

विद्युत् परियोजनायें

†*४७६. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ ऐसी विद्युत् परियोजनाओं को जो पूरी होने वाली थीं, सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कौन सी परियोजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी; और

(ग) काम को शीघ्रता से निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ७६३/६३]**

खाद्य पदार्थों तथा औषधियों में मिलावट

†**४७७. श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २६ अक्तूबर, १९६२ से अपमिश्रित नकली तथा घटिया किस्म के खाद्य पदार्थों तथा औषधियों के निर्माण तथा बिक्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का विचार कोई कानून बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो उपयुक्त विधेयक के संसद् में कब तक पुरस्थापित किये जाने की संभावना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ७६४ / ६३]**

सशस्त्र सेनाओं के लिये रक्त दान

***४७८. श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान संकटकालीन स्थिति में जो लोग घायल सैनिकों की सहायता के लिये अपने रक्त का दान करना चाहते हैं उनकी सुविधा के लिए दिल्ली और नई दिल्ली में अब तक कितने केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) रक्त दान करने वालों को क्या वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधायें दी जा रही हैं; और

(ग) दिल्ली तथा नई दिल्ली में कितने पुरुषों तथा स्त्रियों ने रक्त दान किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) ९ ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) २६० ।

कोलार की सोने की खानें

†***४७९. श्री मोहसिन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसूर सरकार से कोलार की सोने की खानें ले ली हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को किन शर्तों पर तथा कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार मैसूर राज्य की अन्य सोने की खानों को भी लेने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार को प्रतिकर देने की बात चल रही है। प्रतिकर के अलावा मैसूर सरकार को खानों से निकलने वाले सोने के बिक्री मूल्य का ६ ¼ प्रतिशत रायल्टी के रुप में और खनिज रियायत नियमों के अन्तर्गत खानों का किराया भी दिया जायेगा। वह कुछ कर भी वापस लेने के हकदार होंगे जो अन्यथा उन्हें देने पड़ते।

(ग) जी हां। सिद्धान्ततः यह बात मान ली गई है कि हट्टी कोयला खानों पर केन्द्रीय सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण होना चाहिये।

कैंसर के लिये हिमालय की जड़ी बूटियां

†***४८०. श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून क्षेत्र में हिमालय में एक बूटी उगती है जो कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) पता चला है कि हिमालय की पहाड़ियों पर पैदा होने वाली बूटी "हिपोफी सेलिसिफोलियां" कैंसर के उपचार के लिए लाभप्रद है।

(ख) बम्बई स्थित भारतीय कैंसर केन्द्र ने इस पौदे की खाल पर कुछ प्रयोग किये हैं।

(ग) अभी तक चूहे के दो प्रकार के प्रयोगात्मक फोड़ों पर प्रयोग किये गये हैं। अभी प्रयोग किये जा रहे हैं।

गोदावरी तथा कृष्णा नदियां

†***४८१. श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी और कृष्णा नदियों को मिलाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें गोदावरी के फालतू पानी से कृष्णा नदी के बेसिन की मांग पूरी की जा सके;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में इस मामले पर विचार किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी हां, ऐसी एक प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है।

(ख) अभी ब्योरा तय किया जाना है।

(ग) जी नहीं ।

ठेकेदारों के लिये लाभांश (बोनस)

†***४८२. श्री यशपाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने घोषणा की है कि जो ठेकेदार आपात से

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्धित काम कम से कम समय में पूरा कर लेंगे उनको लाभांश (बोनस) दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां।

(ख) आपातकालीन निर्माण कार्य तैयार करने की गति बढ़ाने के लिये निम्नलिखित दर पर ठेकेदारों को बोनस दिये जाने की सम्भावना है :—

(एक) १० लाख रुपये से अधिक मूल्य के ठेके :—

१००० रुपये प्रति दिन, जो बचाया गया हो, परन्तु अधिक से अधिक २०,००० रुपये।

(दो) ५ लाख रुपये के ठेकों के लिये :—

हर बचाये गये दिन के लिये १००० रुपये परन्तु कुल बोनस १०,००० रुपये से अधिक नहीं।

(तीन) ५ लाख रुपये से कम मूल्य के ठेकों के लिये कुल राशि का १/२ प्रतिशत अथवा ५०० रुपये प्रति दिन जो कुल ५,००० से अधिक न हो।

दिल्ली की वृहद योजना

†*८३. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की बृहद् योजना के सिलसिले में गृह-कार्य मंत्री के सभापतित्व में एक उच्चाधिकारी समिति उत्तर प्रदेश और पंजाब के विकास के सम्बन्ध में नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति की कोई बैठक हुई है और कब हुई है; और

(ग) राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए क्या प्रस्ताव हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अभी कोई बैठक नहीं हुई। मास्टर प्लान में सिफारिश की गई है कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और लोनी, पंजाब में फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़, गुड़गांव और सोनीपत और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में नरेला का विकास भी दिल्ली के साथ-साथ किया जाये ताकि दिल्ली की जनसंख्या में असाधारण वृद्धि न हो।

'बैंक आफ चाइना"

†*४८४. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'बैंक आफ़ चाइना' बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या कोई सरकारी परिसमापक नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या बैंक के भूतकालीन लेनदेन तथा कार्यों के बारे में कोई जांच की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि जांच हुई है, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने न्यायालय के समापक को बैंक का समापक नियुक्त कर दिया है ।

(ग) विधि के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही समापक ही निश्चित करेगा ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केरल में समुद्र द्वारा तट के कटाव को रोकना

†१०५१. **श्री इम्बीची बावा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय योजना काल में समुद्री तट के कटाव को रोकने के कार्य के लिये केरल सरकार को कोई सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) राज्य में इस कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). बाढ़ नियन्त्रण, जल निस्सारण, वाटर लागिंग को रोकना और समुद्र द्वारा तट के कटाव को रोकना इसी कार्यक्रम का भाग है । तृतीय योजना काल में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ४२१ लाख रुपये ऋण दिया जा रहा है । तीसरी योजना के प्रथम वर्ष १९६१–६२ में राज्य सरकार को ५९ लाख रुपये ऋण स्वीकृत किया गया ।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सितम्बर, १९६२ तक २० मील और १६२५ फुट समुद्री दीवार और ३७० ग्रोयन का निर्माण किया जा चुका है ।

गोआ के व्यापारियों द्वारा देय केन्द्रीय बिक्री कर

†१०५२. **श्री बाल्मीकी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ के व्यापारियों को 'सी' फार्म नहीं दिये गये हैं जिसके फल-स्वरूप उन्हें अन्तर्राज्यिक बिक्री पर ७ प्रतिशत बिक्री कर देना पड़ता है जबकि अन्य राज्यों में १ प्रतिशत देना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ को गोआ, दमन और दीव (विधियां) विनिमय, १९६२ द्वारा गोआ, दमन और दीव पर लागू किया गया था । लैफ्टेनेंट गवर्नर उपरोक्त विनियमों की धारा ३(२) के अन्तर्गत एक अधिसूचना द्वारा वह तिथि निर्धारित कर रहा है जिससे उक्त अधिनियम को इन राज्य क्षेत्रों पर लागू किया जायेगा । इन राज्य क्षेत्रों के लिये सी फार्म छापने की व्यवस्था सीक्यूरिटी प्रेस नासिक में कर दी गई है । इन राज्य क्षेत्रों के व्यापारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन करा सकते हैं और उक्त अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् ही सी फार्म प्राप्त कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रियासतों के भतपूर्व शासकों द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कोष में अंशदान

†*१०५३. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती विमला देवी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की भूतपूर्व रियासतों के शासकों से राष्ट्रीय रक्षा कोष में कितना अंशदान प्राप्त हुआ है और उसमें से कितना सोना है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : इसका अलग विवरण उपलब्ध नहीं है । सरकार साधारण दानियों और राजाओं में भेदभाव नहीं रखना चाहती । दिल्ली में प्राप्त होने वाली १००० रुपये या अधिक और १० या अधिक तोले सोना मिलने पर उनकी सूची पहले ही प्रकाशित की जा रही है । राज्य सरकारों से भी इसका पालन करने के लिये कहा गया है ।

जवानों के लिये रक्त दान

†१०५४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात काल के दौरान जवानों के लिये दिया गया कुछ रक्त व्यर्थ नष्ट हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सतपुरा तापीय विद्युत् परियोजना

†१०५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने सतपुरा स्टेशन प्लांट में अतिरिक्त विद्युत् शक्ति के उत्पादन के लिये ११.९५ करोड़ रुपये का एक और ऋण भारत को दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं और इसका प्रयोग कैसे किया जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) अमरीकी सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में सतपुरा तापीय विद्युत् परियोजना के लिये भारत सरकार को ११.९५ करोड़ रुपये का ऋण देने का इरादा जाहिर किया है । अभी ऋण सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं ।

(ख) ऋण का प्रयोग ३०० मेगावाट तापीय विद्युत् संयन्त्र परियोजना में काम आने वाले सामान की अमरीका से आयात करने तथा अमरीका से कर्मचारी आदि बुलाने पर दिया जायेगा यह ऋण ४० वर्ष में डालरों में लौटाना पड़ेगा और १० वर्ष का विलम्ब काल मिलेगा । उस पर ब्याज नहीं बल्कि ३/४ प्रतिशत ऋण शुल्क देना पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जीवन बीमा निगम द्वारा बोनस

†१०५६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने १९६० और १९६१ की मूल्यांकन अवधि के लिये उतना ही बोनस घोषित किया है जितना पूर्वगामी मूल्यांकन अवधि के लिये किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या जवानों को उनके बीमा पत्रों के बारे में कोई छूट दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) ३१ दिसम्बर, १९६१ के मूल्यांकन के परिणाम में फालतू राशि के आधार पर यह सिफारिश की गई थी कि बोनस की दर वही घोषित की जानी चाहिये जो ३१ दिसम्बर, १९५९ के गत मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया गया था ।

(ग) और (घ) आपातकाल के कारण प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारियों को निम्नलिखित रियायतें दी गई हैं :—

(एक) यदि कोई प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारी लापता हो जाता है परन्तु वापस लौट कर छः मास के भीतर अपनी प्रीमियम की सारी रकम ५ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत ब्याज सहित चुका देता है तो उसकी पालिसी जारी रहेगी। यदि यह घोषणा की जाती है कि वह व्यक्ति मर चुका है तो प्रीमियम और उस पर ब्याज की राशि काट कर पालिसी की सारी राशि का भुगतान कर दिया जायेगा ।

(दो) जीवन बीमा निगम की वेतन बचत योजना के अन्तर्गत साधारणतः यदि बीमा धारी अपनी नौकरी छोड़ देता है तो उसको अधिक दर के हिसाब से प्रीमियम चुकाना पड़ता है । यह निश्चय किया गया है कि यदि वह व्यक्ति नौकरी छोड़ कर सेना में भर्ती हो जाता है तो उसे कम दर पर ही प्रीमियम देना पड़ेगा परन्तु उसे यह वायदा करना होगा कि वह नियमित रूप से मासिक प्रीमियम देता रहेगा । यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे अधिक दर अनुसार प्रीमियम देना होगा ।

शव रक्त[1]

†१०५७. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान आपातकाल में संक्रामण के लिये शव रक्त एकत्र करने और प्रयोग करने की व्यवस्था हमारे देश में है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cadaveric Blood.

उच्चतर शिक्षा के लिये विदेश जाने वाले भारतीय छात्र

†१०५८. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन छात्रों पर कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जो अपने खर्च अथवा सरकारी खर्च पर चिकित्सा, इंजीनियरिंग अथवा अन्य अध्ययन के लिये विदेश जाना चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पारस्परिक आधार पर विदेशी मुद्रा की व्यवस्था उन देशों के साथ करने का प्रयत्न किया जा रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो उच्चतर शिक्षा के लिये अपनी सरकार और दूसरे देश की सरकार से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के सामान्य नियम क्या हैं ;

(घ) १९६०–६२ में कितने छात्रों ने विदेश जाने की अनुमति मांगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** (क) जी हां ।

(ख) दूसरे देश छात्रवृत्तियां दे रहे हैं परन्तु उसका प्रतिबन्धों से कोई सम्बन्ध नहीं है । उपलब्ध छात्रवृत्तियों का सर्वोत्तम प्रयोग किया जा रहा है ।

(ग) समय समय पर निर्धारित की जाने वाली कसौटी पर पूरे उतरने वाले छात्रों को आवेदन पत्र देने पर रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा स्वीकृत करता है । जो छात्र विदेशी छात्रवृत्ति पाकर विदेश जाते हैं उन्हें विदेशी मुद्रा स्वीकृत करने की तभी जरूरत पड़ती है जब छात्रवृत्ति आवश्यकता से कम हो । ऐसी स्थिति में यदि नियम इजाजत देते हों तो मंजूरी दे दी जाती है ।

(घ) अंक इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।

(ङ) जनवरी, १९६० से सितम्बर, १९६२ तक भारत के रिजर्व बैंक को विदेश जाने वाले ११९४४ छात्रों को विदेशी मुद्रा स्वीकृत की । इनमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो पहले से विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ।

नर्सों की ट्रेनिंग

†१०५९. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** :
श्री बाल्मीकी :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथमोपचार अथवा पूर्ण नर्सिंग कोर्स के नर्सों की ट्रेनिंग के लिये देश में इस समय कुल कितने ट्रेनिंग केन्द्र चल रहे हैं ;

(ख) कितनी नर्सें प्रशिक्षित की जा चुकी हैं और कितनी प्रशिक्षाधीन हैं ;

(ग) प्रत्येक मामले में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं ;

(घ) क्या उन प्राइवेट डाक्टरों और नर्सों के पते बताने वाला कोई रजिस्टर बनाया गया है जो यथाशीघ्र सम्भव सूचना प्राप्त होने पर युद्ध स्थल अथवा सरकारी अस्पतालों या असैनिक प्रथमोपचार शिविरों में काम करने के लिये प्रस्तुत हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इनकी कितनी संख्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) ३१-१२-१९६१ से नर्सों की ट्रेनिंग के लिये २४१ केन्द्र थे । राज्य सरकारों द्वारा सहायक नर्सों के लिये स्थापित किये गये केन्द्रों की संख्या एकत्र की जा रही है, राज्य सरकारों ने प्रथमोपचार और होम नर्सिंग के लिये ट्रेनिंग केन्द्र स्थापित किये गये हैं किन्तु उनकी संख्या मालूम नहीं है । सहायक नर्स दाइयों के लिये २३४ केन्द्र थे । १९६१ के अन्त तक, ३५,५८४ नर्सें । ३२६५१ स्त्रियां और २९३३ पुरुष राज्य नर्सिंग परिषदों में रजिस्टर की गई थीं । ३१ दिसम्बर, १९६१ को देश में विभिन्न संस्थाओं में ११६६८ विद्यार्थियों (१०,८६७ स्त्री और ८०१ पुरुष) को ट्रेनिंग दी जा रही थी और १९६१ में २,८५१ नर्सों ने अर्हता प्राप्त की । सहायक नर्सों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है; उनकी संख्या के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(घ) और (ङ). स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक रजिस्टर रखते हैं— प्राइवेट डाक्टर (ग्रेजुएट, लाइसेंस प्राप्त और होम्योपैथ) पोस्ट ग्रेजुएट, डाक्टर और नर्सें—जिन्होंने भी परवर्ती क्षेत्रों में अपने नाम असैनिक रक्षा कार्य और सैनिक नर्सिंग कार्य के लिये स्वैच्छिक नाम दिये हैं । अभी तक रजिस्टर किये गये निम्नलिखित हैं:—

(१) डाक्टर (ग्रेजुएट, लाइसेंस प्राप्त और होम्योपैथ)	५५	
(२) पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टर (विशेषज्ञ)	४६	
(३) नर्सें (२१ से ३५ वर्ष	३५०	४२९
३५ वर्ष से ऊपर)	७९	

राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार के रजिस्टर रखने के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली में बिजली की दरें

†**१०६०. श्री महेश्वर नायक** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम ने एक नई अनुसूची निर्धारित की है जिस के अन्तर्गत दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है जिस के परिणामस्वरूप दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम की आय में ५० लाख रुपये प्रतिवर्ष बढ़ जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित वृद्धि के लिए स्वीकृति दे दी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) प्रस्तावित अनुसूची पर दिल्ली नगर निगम विचार कर रहा है ।

(ख) उक्त प्रस्ताव निम्न बातों को शामिल करने के लिए किया गया है :—

(१) पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के वृहद परिमाण में बिजली प्राप्त करने की दर में वृद्धि ;

(२) कोयले की लागत में वृद्धि ;

(३) गांवों में बिजली लगाने का कार्यक्रम जिस से दिल्ली विद्युत् सम्भरण उपक्रम कार्यान्वित करने का विचार रखता है ;

(४) सड़कों पर बिजली लगाने का खर्च—बिजली की लागत और उस का निर्वहन खर्च ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) नई योजनाओं पर लगाई गई पूंजी पर ब्याज देने के लिए अतिरिक्त रकम की आवश्यकता ।

(ग) जी नहीं । दिल्ली नगर निगम एक्ट, १९५७ के अधीन बिजली सम्भरण दरें निर्धारित करने की शक्ति सर्वांशतः नगर निगम में ही निहित है ।

भूमि अर्जन और विकास योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम की निधियां

†१०६१. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने तीसरी योजना की शेष अवधि में भूमि अर्जन तथा विकास योजनाओं के लिए वित्त प्रदान करने के लिए उनके मंत्रालय को १६।। करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों और दरों पर ; और

(ग) यह निधि विभिन्न राज्यों में किस प्रकार वितरित की गई है ;

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में भूमि अर्जन और विकास योजनाओं के लिए २६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से १६.५ करोड़ रुपये का प्रबन्ध भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा करने की आशा है और शेष ९.५ करोड़ रुपये योजना के अधीन जुटाये जायेंगे ।

(ख) निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर ऋण वितरित करते समय व्याप्त बैंक दर से एक प्रतिशत अधिक सूद लगेगा किन्तु यह न्यूनतम ५ प्रतिशत है ; इसकी मूल और सूद मिला कर दस समान वार्षिक किश्तों में पुनः अदायगी की जायेगी ; ऋण मंजूर करने के पांच वर्ष बाद इस की अदायगी प्रारम्भ होगी और प्रथम चार वर्ष में निर्धारित दर से वार्षिक रूप में केवल सूद दिया जायेगा ।

(ग) योजना के लिये निर्धारित २६ करोड़ रुपये का वितरण (जिस में जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले १६.५ करोड़ रुपये सम्मिलित हैं, निम्न प्रकार किया गया है :—

क्रम संख्या	राज्य	रकम (लाख रुपयों में)
१	आंध्र प्रदेश	१०९
२	आसाम	२८
३	बिहार	१५०
४	गुजरात	६८
५	जम्मू और काश्मीर	५०*
६	केरल	४०
७	मध्य प्रदेश	९०

†मूल अंग्रेजी में

क्रम संख्या	राज्य	रकम लाख रुपयों में
८	मद्रास	१७०
९	महाराष्ट्र	३५०
१०	मैसूर	१००
११	उड़ीसा	५०
१२	पंजाब	२००
१३	राजस्थान	५०
१४	उत्तर प्रदेश	३००
१५	पश्चिम बंगाल .	२३५
१६	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	६००
	अभी तक आवंटित नहीं की गई	१०
	कुल . . .	२६००

*अस्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया है किन्तु अभी आवंटित नहीं किया गया है ।

दण्डकारण्य में परिवारों को बसाना

†१०६२. **श्री महन्ती :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष (१९६२) में दण्डकारण्य में बसने के लिए आये सब परिवार ग्राम स्थलों पर पहुंचा दिये गये हैं ।

(ख) क्या खेती योग्य सम्पूर्ण भूमि उन सब को आवंटित कर दी गई है ;

(ग) क्या सब परिवारों को बैल और उपकरण सप्लाई कर दिये गये हैं ; और

(घ) क्या आवंटित सब भूमि पर इस वर्ष खेती की गई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) १९६२ में कुल २७०७ विस्थापित व्यक्तियों के परिवार पश्चिम बंगाल से दण्डकारण्य गये थे । १५ मई, १९६२ तक दण्डकारण्य पहुंचने वाले परिवारों में से ९७१ परिवार ३० नवम्बर, १९६२ तक ग्राम स्थलों पर भेज दिये गये थे । जून से अक्तूबर तक वर्षा ऋतु में दण्डकारण्य में ग्राम स्थलों में भेजने का कार्य नहीं होता है ।

(ख) और (ग) ८११ परिवारों को खेती योग्य बनाई गई भूमि आवंटित की गई थी और १५१ परिवारों को बैल तथा ५९४ परिवारों को उपकरण १९६२ में नवम्बर के अन्त तक दिये जा चुके थे ।

(घ) जी हां ।

†मूल अंग्रेजी में

नेफा के शरणार्थी

†१०६३. **श्री ह० च० सौय :**
श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी आक्रमण के परिणामस्वरूप नेफा से आये शरणार्थियों को मकान देने और पुनः बसाने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजना क्या है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** नेफा के शरणार्थियों को मकान देने अथवा उनके पुनर्वास के लिए उत्तरपूर्व सीमान्त प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । यदि कभी इस प्रकार का निर्देश प्राप्त हुआ तो उस पर विचार किया जायेगा ।

देश में जादू टोना का प्रचलन

†१०६४. **श्री ह० च० सचौय :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में आदिम-जाति और गैर आदिमजाति क्षेत्र में धंधा करने वाले व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे जादू टौनों और नीम हकीमों की प्रथा समाप्त करने के लिए अभी तक क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** महाराष्ट्र, केरल और गुजरात राज्यों में नीम हकीमों के विरुद्ध कानून बना हुआ है । अन्य राज्यों को मई, १९६१ में परामर्श दिया गया था कि वे नीम हकीमों और गैर-रजिस्टर्ड व्यक्तियों द्वारा इलाज करने वालों के विरुद्ध उपयुक्त कानून बनायें । अधिकांश राज्य सरकारें इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रहे हैं ।

संसद् सदस्यों क लिये फ्लेटस

१०६५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री ८ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली में वर्तमान बैरकों को गिराकर संसद् सदस्यों के लिए जो नये फ्लैट्स बनाये जाने वाले थे, अभी तक भी उन का निर्माण-कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है ;

(ख) यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस निर्माण कार्य को शीघ्र आरम्भ करके पूरा करने के लिए कौन-से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ।?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग) इस स्थान पर बनी हुई बैरकों को ढहा दिया गया है और संसद् सदस्यों के लिए नये फ्लैटों के निर्माण का कार्य शीघ्र ही शुरू हो जायेगा ।

पंचकुइयां मार्ग, नई दिल्ली पर नये क्वार्टरों का निर्माण

१०६६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री १५ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचकुइयां मार्ग, नई दिल्ली स्थित चौथी श्रेणी के पुराने क्वार्टरों को तोड़ कर नये क्वार्टर बनाने का काम अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पाया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हा, तो इस कार्य में इतनी देरी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन नये क्वार्टरों के निर्माण-कार्य को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). इस स्थान पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए ८०४ दो कमरों वाले दुमंज़िले क्वार्टरों के निर्माण की मंजूरी दी जा चुकी है और काम शीघ्र ही शुरू हो जायेगा ।

आवास योजनायें

१०६७. श्री बाल्मीकी : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय संकटकाल को दृष्टि में रखते हुए आवास की किन-किन योजनाओं को रोका गया है और किस हद तक ;

(ख) इससे कितना धन बचाया जा सकेगा;

(ग) आवास के लिये कर्जा देने के दायरे क्या सीमित किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्रयमेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). जो आवास योजनाएं पंचवर्षीय आयोजना का अंग हैं, उनमें से किसी को बन्द नहां किया गया है । परन्तु १९६३–६४ में इन योजनाओं के लिए जितने वित्त की व्यवस्था की गई थी, उसमें आपात (इमर्जेन्सी) के कारण कमी किये जाने की सम्भावना है । यह प्रस्तावित कमी लगभग १० करोड़ रुपये की होगी ।

पंचवर्षीय आयोजना की विभिन्न आवास योजनाओं के अलावा प्रति वर्ष बजट में एक योजना के अन्तगत केन्द्रीय सरकारी कमचारियों को गृह निर्माण ऋण देने की व्यवस्था भी की जाती है । आपात को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चय किया गया था कि इस वर्ष के बाकी बचे भाग के लिए इस योजना को निलम्बित (सस्पेंड) कर दिया जाये और इस योजना के अन्तर्गत नये आवेदकों को ऋण न दिये जायें । परन्तु जिस समय यह योजना निलम्बित की गई थी, उस समय जो आवेदन विचाराधीन थे, उन पर कार्रवाई की जा रही है और यदि दिये जा सकते हों, तो ऋणों की मंजूरी दी जा रही है; किन्तु ऋण की सीमा २४ महीने के वेतन तक होगी और किसी को २५,००० रुपये से अधिक ऋण नहीं मिलेगा ।

विदेशों में प्रतिरक्षा बांडों की बिक्री

†**१०६८. श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशों में भी प्रतिरक्षा बांडों की बिक्री का प्रबन्ध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी कितनी बिक्री हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी दसाई)** : (क) जी हां। ब्रिटेन और अमेरिका में हमारे मिशनों द्वारा २० दिसम्बर, १९६२ से १० वर्षीय प्रतिरक्षा सर्टीफिकेट बेचने का प्रबन्ध किया गया है।

(ख) अभी तक हुई बिक्री के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

वंशधारा जल विद्युत् परियोजना

†**१०६९ श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वंशधारा जल-विद्युत् परियोजना के निष्पादन के लिये अन्तिम अनुमोदन दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो मंजूरी न देने के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** :(क) और (ख). आंध्र प्रदेश में वंशधारा नदी पर किसी जल-विद्युत् योजना की सरकार को जानकारी नहीं है। तथापि वंशधारा नदी पर आधारित एक सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई थी और केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग उस पर विचार कर रहा है।

बिहार में सिंचाई और जल विद्युत् योजनायें

†**१०७०. श्री ह० च० सौय** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में कौन सी सिंचाई और जल-विद्युत् योजनाएं केन्द्रीय सरकार के समक्ष अन्तिम अनुमोदन के लिये निलम्बित हैं; और

(ख) क्या संकट काल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का विचार है तथा क्या किन्हीं योजनाओं को स्थगित किया जा रहा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) (१) गंडक जल विद्युत् योजनाएं जिनकी प्रतिष्ठापित क्षमता १६ मेगावाट है।

(२) कोसी जल-विद्युत् योजना जिसकी प्रतिष्ठापित क्षमता २० मेगावाट है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित निम्नलिखित सिंचाई योजनाओं के बारे में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के टिप्पण पर राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है :—

(१) गुमानी परियोजना।

(२) कपला परियोजना।

(३) सिकिता बांध परियोजना।

(४) सोन उच्च स्तर नहर योजना।

(ख) इस मंत्रालय के प्रतिनिधियों के परामर्श से योजना आयोग ने इस प्रश्न की जांच की थी। उनकी चर्चा से यह बात मालूम हुई कि सिंचाई की सब मध्यम योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित की जायें और संभव हो तो उन्हें अधिक गति से पूरा किया जाये ताकि शीघ्र ही उनके लाभ प्राप्त हो सकें। जहां तक सिंचाई की वृहद् योजनाओं कासम्बन्ध है, यह विचार किया गया

---

†मूल अंग्रेजी में

कि पश्चिम कोसी नहर परियोजना की गति धीमी की जा सकती है अथवा उसे स्थगित किया जा सकता है। कोई जल विद्युत् परियोजना स्थगित नहीं की जा रही है।

जीवन बीमा निगम के निर्धारित व्यापार में कमी

†१०७१. **श्रीमती बिमला देवी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम द्वारा १९६२ में निर्धारित व्यापार लक्ष्य की पूर्ति में काफी कमी होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो कितने अंश में यथाथ कमी है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** (क) से (ग). पत्री वर्ष १९६२ के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये व्यापार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि भविष्य में जीवन बीमा निगम ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के आधार पर अपना वार्षिक लेखा तैयार करेगा। अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि प्रारम्भ में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में किये गये व्यापार में कमी हुई है अथवा होने की संभावना है।

नई दिल्ली में रिहायशी मकानों का सामान्य पूल

†१०७२. **श्री बूटा सिंह** :
श्री गुलशन :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी पदाधिकारी का दिल्ली से बाहर स्थानांतरण होने के बाद नई दिल्ली के रिहायशी मकानों के सामान्य पूल में वह पदाधिकारी (प्रतिरक्षा सेवाओं के अतिरिक्त) अधिकतम कितनी अवधि तक मकान अपने अधिकार में रख सकता है;

(ख) २० दिसम्बर, १९६२ को ऐसे पदाधिकारियों की कितनी संख्या थी जिनके परिवारों ने मान नगर और शान नगर में ३ महीने से अधिक मकानों पर कब्जा बनाये रखा; और

(ग) वर्तमान आपात स्थिति में आवास की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिये इन मकानों को खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) भारत में स्थानांतरण की स्थिति में दो महीने और भारत के बाहर जाने पर ६ महीने।

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

बाल पक्षाघात की रोकथाम

†१०७३. **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री प० कुन्हन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल पक्षाघात की रोकथाम के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या हैदराबाद में सबीन के जीवित रक्त कीटाणु युक्त व्यापक टीके के प्रयोग सफल हुए हैं;

(ग) क्या देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार के टीके लगाये गये हैं; और

(घ) पक्षाघात के इलाज के लिये सुविधाओं में सुधार के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) मुख से सेवन किये जाने वाले पक्षाघात टीके हाफकीन इंस्टीट्यूट, बम्बई और पास्चर इंस्टीट्यूट, कुन्नूर में उत्पादन करने की संभावना पर डा० एलबर्ट ए० सबीन के परामर्श से विचार किया जा रहा है। डा० सबीन विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्शदाता के रूप में इन केन्द्रों में जा रहे हैं।

(खं) प्रयोगशाला के आंकड़े और आंध्र प्रदेश में बाल पक्षाघात के मामलों, जिन पर टीकों का प्रयोग किया गया था, से यह सिद्ध हुआ है कि सेबीन टीका लाभकारी है।

(ग) और (घ). एम० सी० एच० तथा अन्य राज्यों के अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये और जनता के लिये टीके उपलब्ध कराने का विचार है। सर्वप्रथम, इस टीके पर उन स्थानों में विचार किया जायेगा जहां यह अधिक व्याप्त है।

दिल्ली में सीमेंट और ईंटों के दामों में वृद्धि

१०७४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेन्ट और ईंटों के भाव बढ़ जाने से दिल्ली और नई दिल्ली में निर्माण-कार्य रुक गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनको ठीक करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पलाई सैन्ट्रल बैंक

†१०७५. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलाई सेंट्रल बैंक के डाइरेक्टरों के दुष्करण के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या जमाकर्ताओं को और लाभांश देने की कोई संभावना है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) राजकीय समापक द्वारा बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ की धारा ४५जी के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर केरल उच्च न्यायालय ने तीन डाइरेक्टरों की खुली जांच का आदेश दिया है। तथापि इन डाइरेक्टरों को केरल उच्च न्यायालय की पूरी बैंच ने उच्चतम न्यायालय में अपील की स्वीकृति दे दी है। अभी उच्चतम न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया है किन्तु इसी बीच हानि के सूले के बावत आवेदन प्रस्तुत करने का प्रश्न, जो बैंक के डाइरेक्टरों तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के दुष्करण स्वरूप उत्पन्न हुआ है विचारधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जमाकर्ताओं को और लाभांश की घोषणा का प्रस्ताव राजकीय समापक द्वारा शीघ्र ही केरल उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है।

कोट्टागुडम में तापीय विद्युत् संयंत्र

†१०७६. **श्री ईश्वर रेड्डी**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में गोट्टागुडम में १,२०,००० किलोवाट थरमल प्लांट की स्थापना के बारे में नवीनतम प्रगति क्या है ;

(ख) क्या उपेक्षित विदेशी मुद्रा की रकम का अन्तिम निर्धारण कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति किस प्रकार होगी ; और

(घ) क्या पूर्व कार्यक्रम के अनुसार, १९६५–६६ में इस संयंत्र के कार्य प्रारम्भ करने की सम्भावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) परियोजना के लिये परामर्शदाता इंजीनियर नियुक्त कर दिये गये हैं। टर्बो जनरेटर्स और ब्यालर्स के प्रमापों को अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा उनके लिये टेंडर आमंत्रित किये गये हैं। जनवरी, फरवरी, १९६३ तक इनके प्राप्त होने की आशा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन से प्राप्त ऋण द्वारा ।

(घ) जी हां ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कृत्य और शक्तियां

†१०७७. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कृत्य और शक्तियों की परिभाषा करते हुए संसद् में विधेयक सरकार कब प्रस्तुत करने का विचार रखती है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : संकट स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस विधान को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि यह विशेषत: आवश्यक नहीं था। क्योंकि इस विधेयक के सम्बन्ध में शीघ्र ही स्थिति पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है।

पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों द्वारा भारत में बैंकों को रकम भेजना

†१०७८. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन बैंकों के क्या नाम हैं जिनके पूर्वी अफ्रीका में बैंकों के साथ खाते हैं ;

(ख) क्या पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों द्वारा वहां स्थित बैंकों की मार्फत भारत में बैंकों को रकम भेजने के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो पांच वर्ष अर्थात् १ अप्रैल, १९५७ से १ अप्रैल, १९६२ में से प्रत्येक वर्ष में इस प्रकार कितनी रकम हर वर्ष भेजी गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) निम्नलिखित भारतीय बैंकों के पूर्वी अफ्रीका में बैंकों के साथ सीधे खाते हैं: —

१. बैंक आफ बड़ौदा लिमिटेड

२. बैंक आफ इण्डिया लिमिटेड

३. ब्रिटिश बैंक आफ मिडिलईस्ट

४. कानाडा बैंक लिमिटेड

५. सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया लिमिटेड

६. चार्टर्ड बैंक

७. कम्पटोयर नेशनल ड एसकोम्पटे डी पेरिस

८. ईस्टर्न बैंक लिमिटेड

९. हबीब बैंक लिमिटेड

१०. हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन

११. इण्डियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड

१२. मर्केण्टाइल बैंक लिमिटेड

१३. नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड

१४. नीदरलैण्डस ट्रेडिंग सोसाइटी

१५. स्टेट बैंक आफ इण्डिया

१६. यूनियन बैंक आफ़ इण्डिया लिमिटेड

१७. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड

इन बैंकों के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा में सौदा करने वाले अन्य अधिकृत व्यापारी भी उपरोक्त क्षेत्र में ब्रिटेन में अपने संवाददाताओं की मार्फत अथवा उक्त सूची में उल्लिखित अन्य बैंकों की मार्फत यह सौदा कर सकते हैं।

(ख) और (ग). पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश राज्य क्षेत्र में भारतीयों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा भेजी गई रकम रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों से प्रकट होती है । तथापि यह अनुमान है कि ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका से आने वाली रकम सामान्यत: उक्त क्षेत्र के भारतीयों द्वारा भजी जाती है और यह बचत, परिवार निर्वहन, पूंजी विनियोग इत्यादि के कारण की जाती है । निम्नलिखित तालिका से १ अप्रैल, १९५७ से १ अप्रैल, १९६२ तक भेजी

---

†मूल अंग्रेजी में

जाने वाली वार्षिक रकम प्रकट होती है :—

वर्ष	रकम (लाख रुपयों में)
१९५७–५८	९११
१९५८–५९	७९३
१९५९–६०	८१०
१९६०–६१	६१३
१९६१–६२	३४६

प्रीफेब्रीकेटिंग प्लांट[1]

†१०७९. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस के साथ आधुनिक प्रीफेब्रिकेटिंग प्लांट (बने हुए ढांचे तैयार करने वाले कारखाने) के लिये बातचीत हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) देश में प्रीफेब्रिकेटेड गृह निर्माण उद्योग का विस्तार करने के लिये क्या योजनाएं हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां।

(ख) यह बातचीत अब काफी प्रगति पर है।

(ग) प्रीफेब्रिकेटेड गृह निर्माण के लिये बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में कारखाने स्थापित करने का विचार है ।

व्यास परियोजना नियंत्रण बोर्ड

†१०८०. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यास परियोजना नियंत्रण बोर्ड की सितम्बर से दिसम्बर, १९६२ तक की अवधि में कितनी बैठकें हुई ;

(ख) उसकी विभिन्न बैठकों में किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई ;

(ग) उनमें क्या निर्णय किये गये और उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा ;

(घ) पोंग बांध क्षेत्र में १९६२–६३ और १९६३–६४ में कितने गांवों को हटाया जायेगा ; और

(ङ) ऐसे गांवों के निवासियों को कहां पर बसाया जायेगा ?

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pre-fabricating Plant.

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) एक ।

(ख) (१) पुनर्वास समिति के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव ; और
(२) व्यास परियोजना की क्रियान्विति में मितव्ययता ।

(ग) इन विषयों के सम्बन्ध में बोर्ड के निर्णय निम्न प्रकार हैं :—

(१) प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और व्यास नियंत्रण बोर्ड के सचिवसे मामले में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिये कहा गया है ।

(२) १-१२-१९६२ से कुछ शहरों में दिया जाने वाला परियोजना प्रतिकर भत्ता और निःशुल्क रहने का स्थान खत्म कर दिया गया है ।

(घ) १९६२-६३ . कोई नहीं ।
१९६३-६४ . तीन ।

(ङ) राजस्थान नहर क्षेत्र में ।

रक्त प्लाज्मा

†१०८१. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने रक्त को प्लाज्मा में परिवर्तित करने की व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितने संयत्र स्थापित किये जा रहे हैं और किन स्थानों में ;

(घ) अभी तक जनता द्वारा कुल कितना रक्त दिया गया है ; और

(ङ) उसे कहां तक काम में लाया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां ।

(ख) (१) इस समय विभिन्न राज्यों में चल रहे तरल प्लाज्मा एककों का विवरण निम्न प्रकार है :—

राज्य	एककों की संख्या	स्थिति
१. बिहार . . .	एक	दरभंगा
२. मध्य प्रदेश . .	एक	जबलपुर
३. मद्रास	एक	गिंडी
४. महाराष्ट्र	छै	बम्बई और पूना
५. उत्तर प्रदेश . .	दो	वाराणसी और इजत-नगर
६. पंजाब .	दो	अमृतसर और कसौली
७. पश्चिम बंगाल	एक	कलकत्ता
८. दिल्ली . . .	दो	दिल्ली

†मूल अंग्रेजी में

(२) इस समय निम्नलिखित स्थानों में 'ड्राई प्लाज्मा' एकक चल रहे हैं :—

राज्य	एककों की संख्या	स्थान
१. महाराष्ट्र . . .	दो	बम्बई और पूना (आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कालेज)
२. पंजाब . . .	एक	कसौली

(ग) चार और 'ड्राई प्लाज्मा' एकक अहमदाबाद, कलकत्ता, चंडीगढ़ और मद्रास में स्थापित करने का विचार किया जा रहा है। प्रतिरक्षा मंत्रालय का भी दो 'ड्राई प्लाज्मा' एकक स्थापित करने का विचार है।

(घ) ७०० एकक जिसमें से प्रत्येक में ५०० सी० सी० रक्त है।

(ङ) जनता से एकत्रित समस्त रक्त प्रतिरक्षा प्रयोजनों के काम में लाया जा रहा है।

फेनी नदी पर बांधों का निर्माण

†१०८२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान दोनों सरकारों के बीच १९५९ में हुए समझौते का उल्लंघन कर के त्रिपुरा राज्य और पूर्वी पाकिस्तान के बीच की दक्षिण पश्चिम सीमा पर फेनी नदी के विभिन्न स्थानों पर बांध (स्पर्स) बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान ने अब तक कितने छोटे बांध बना लिये हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) २ जनवरी, १९६३ तक पाकिस्तान सबरूम के १४ तथा वैशणवपुर में ३ छोटे बांध बना चुका था।

(ग) त्रिपुरा प्रशासन ने पूर्व पाकिस्तान सरकार को विरोधपत्र भेज दिया है। पाकिस्तान द्वारा छोटे बांध को निर्माण का भारतीय प्रदेश पर बुरे प्रभाव को रोकने के लिए त्रिपुरा प्रशासन द्वारा क्या आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली में बाल स्वास्थ्य योजना

†१०८३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने बाल स्वास्थ्य योजना को हटाने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय बाल कल्याण परिषद् तथा योजना आयोग का परामर्श लिया गया था ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस योजना के हटाने के क्या कारण हैं?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (ख) से (ग). जी नहीं। आपातकाल के कारण दिल्ली प्रशासन ने एक वर्ष के लिये महरौली विकास खंड में एकत्रित प्रसूति तथा स्कूल स्वास्थ्य सेवा के लिए महरौली प्राथमिक परियोजना को अस्थगित कर दिया है।

(ख) जी नहीं।

सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

१०८४. श्री कछवाय : क्या **निर्माण, आवास और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये कुछ नये क्वार्टर इस वर्ष बने हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है ;

(ग) ये क्वार्टर-किन-किन इलाकों में बनाये गये हैं ; और

(घ) इन पर कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). दिल्ली में सन् १९६२-६३ में सामान्य पूल में ४४५६ क्वार्टरों का निर्माण पूरा हो गया और नियतन (अलौटमेंट) के लिए उपलब्ध हो गये।

(ग) रामकृष्णपुरम और श्रीनिवासपुरी में।

(घ) लगभग २.८९ करोड़ रुपये।

दामोदर घाटी निगम में मुख्यालय का स्थानान्तरण

†१०८५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री ब्रज राज सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को कलकत्ता से महियान ले जोन की योजना छोड़ दी गई है है ;

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय का कोई विभाग अथवा उसका कोई अंश महियान स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस स्थानान्तरण के क्या कारण हैं तथा इस में कितने कर्मचारी हैं ;

(घ) इस प्रकार के स्थानान्तरण पर कितना धन व्यय हुआ तथा संबधित तीनों सरकारों के बीच इनका आवंटन किस प्रकार किया गया ; और

(ङ) स्थानान्तरित कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने के लिये क्या सरकार ने क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। निगम के विद्युत् विभाग की चालन तथा संधारण शाखा का माहयान को स्थानान्तरण किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) चालन दक्षता को बढ़ाने के लिए स्थानान्तरण किया गया है। बासठ कर्मचारियों का हस्तान्तरण किया गया है ।

(क) भाग लेने वाली तीनों सरकारों में १५.६१ लाख रुपये बराबर बंट जायेंगे ।

(ङ) हाई स्कूल तक शिक्षा सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है । वर्तमान सुविधाओं को सुधारा जा रहा है। माइथान में चालन और संधारण शाखा के लिये क्वार्टरों के निर्माण में शीघ्रता की जा रही है । आशा है कि सभी क्वार्टर अक्तूबर, १९६३ तक बनकर तैयार हो जायेंगे । इस समय माइथान में उनके लिये अस्थाई निवासस्थान के लिए यथासंभव प्रबन्ध कर दिए गए हैं। निगम ने एक वर्ष तक विशेष भत्ते के रूप में वेतन का २० प्रतिशत अधिकतम १०० रूपये महावार की वित्तीय रियायत भी स्वीकार की है ।

कुढियाडी और बलियापट्टम परियोजनायें

†१०८६. **श्री अ० व० राघवन:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल की कुढ़ियाडी जल-विद्युत् परियोजना तथा बलियापट्टम परियोजना की कार्यान्विति को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना कब तक पूर्ण हो जायगी ; और

(ग) क्या इन के लिए योजना आयोग द्वारा आवश्यक मंजूरी दे दी गई है?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) आशा है कि ये परियोजनाएं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी हो जायेंगी ।

(ग) जी, नहीं । कूड़ियाडी जल-विद्यत् परियोजना की कार्यान्विति में विलम्ब को रोकने के लिए, योजना आयोग ने यह बताया है कि उन्ह राज्य सरकारों द्वारा कछ प्रारम्भिक तथा सहायक कार्य वाही करने और कुछ मदों पर व्यय करने में कोई आपति नहीं है । जहां तक बलियापट्टम (वालापट्टनम्) सिंचाई परियोजना का संबंध है, इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। किन्तु योजना आयोग ने अभी तक इस के लिए स्वीकृति नहीं दी है।

राजस्थान में जल संभरण

†१०८६.क **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने इस वर्ष एक विशेष आवेदन प्रस्तुत किया है और केन्द्रीय सरकार से तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जल सम्भरण में सहायता करने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार की कितनी मांग है और केन्द्र सरकार की उस के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). राजस्थान सरकार ने ग्राम-जल संभरण योजनाओं के लिए , राज्य की योजना में विद्यमान अप्वंटन के अतिरिक्त, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान १३ करोड़ २०लाख रूपये की व्यवस्था करने की मांग की है। राज्यों में ग्राम जल संभंरण योजनाओं के लिए अतिरिक्त अनुदानों के प्रश्न पर तब विचार किया जायेगा जब कि

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों में स्थापित किए जा रहे विशेष गवेशषणा विभागों द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षणों तथा समस्या के अध्ययन के आधार पर देश की ग्राम जल संभरण योजना का पूर्व चित्र प्रस्तुत हो जायेगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पश्चिम रेलवे के पातालपानी के निकट हुई रेलवे ट्राली दुर्घटना

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर): नियम १९७ के अन्तर्गत मैं रेलवे मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करवाता हूं और उन्हें वक्तव्य देने के लिए निवेदन करता हूं :—

"१८ जनवरी, १९६३ की पश्चिम रेलवे के पातालपानी स्टेशन के निकट हुई रेलवे ट्रालों की दुर्घटना ?"

†**रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : १८ जनवरी, १९६३ के चोरल के "असिस्टेंट परमानेट वे इंस्पेक्टर" पातालपानी और कालकुंड स्टेशनों के बीच , इस मार्ग पर गाड़ियों का आना जाना रोक कर, सामान ढोने वाली ट्राली के द्वारा पटरियां ले जा रहे थे । ट्राली में ५०—५० पौंड की ३६ पटरियां थी और २३ व्यक्तियों के साथ 'असिस्टेंट परमानेन्ट वे इन्स्पेक्टर" उस पर सवार थे। ट्राली हाथों से चलाई जा रही थी । लगभग १२—४५ बजे यह पटरी से उतर गयी और फलस्वरूप "असिस्टैंट परमानेन्ट वे इस्पेक्टर" समेत १० व्यक्तियों की मृत्य हो गयी । चार व्यक्तियों को गम्भीर चोट आई । घायल व्यक्तियों को सहायता गाड़ी द्वारा इन्दौर ले जाया गया और अस्पताल में दाखिल करा दिया गया । सभी १३ व्यक्ति खतरे से बाहर बताये जाते हैं।

शव सफाई के बाद उन के संरक्षकों को दे दिये गये । कछ आर्थिक सहायता भी उन्हें दी गयी ।

जनरल मैनेजर ने दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिये कनिष्ट प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त जांच का आदेश दे दिया है।

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)**: महत्व पूर्ण बात यह है कि काम करने वाले रेलवे कर्मचारी थे और ट्राली हाथ से चलाई जा रही थी । ठीक है जो कछ भी उन्होंने किया वह उन्हें आंखें खोल कर करना चाहिये था। माननीय सदस्य और किस प्रकार का नियंत्रण चाहते हैं। वैसे दुर्घटना किन हालात में हुई, इसके बारे में जांच के परिणान प्राप्त हो जाने पर ही कछ कहा जा सकता है।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या इस तरह की ट्रालियां लादने के बाद इस बात की जांच की जाती है कि वे सही तौर पर लादी गई हैं और पैसिंजर सही हालत में बैठे हैं ? यदि नहीं, तो क्या आयन्दा गवर्नमेंट ऐसा प्रिकाशन लेने का विचार रखती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने अर्ज किया इस में कोई पैसिंजर नहीं थे ? काम करने वाले आदमी थे ।

श्री ब्रजराज सिंह : काम करने वाले आदमी भी तो उस पर चढ़ कर जा रहे थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स्वर्ण सिंह : काम करने वाले आदमी थे और उनके साथ एक ए० पी० डब्ल्यू० आई० था, अगर उस के ऊपर भी आप चेक चाहते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि चेक ही होता रहेगा या काम भी होगा ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या जांच प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां :** समय लगेगा, परन्तु यदि आप चाहेंगे, तो इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** (कानपुर) ट्राली में भार अधिक था और इसके लिये दिये गये आदेशों का पालन नहीं किया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** तथ्यों का पता तो जांच प्रतिवेदन से होगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यदि, कुछ बताया ही नहीं जाता तो अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा करने का क्या लाभ है ?

†**श्री स्वर्ण सिंह :** मैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहना चाहता कि जांच द्वारा ही सब बातों का पता लगेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बात मुझ से पूछी जानी चाहिये थी, और मैं यही बात कह चुका हूं । जब जांच हो रही है तो सारे तथ्यों का पता तो जांच के पूर्ण होने पर ही लग सकता है । १८ जनवरी वाली दुर्घटना के सम्बन्ध में सारी बातों की जांच की जायेगी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

बीमा (संशोधन) नियम इत्यादि

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :** मैं निम्न लिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१)

(क) बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा ११४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक १ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६०४, में प्रकाशित बीमा (संशोधन) नियम, १९६२ ।

(ख) आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा ५ की उप-तारा (६) के अन्तर्गत, दिनांक २८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३९४५ में प्रकाशित आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा योजना ।

(ग) आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत, दिनांक २८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३९४६ में प्रकाशित आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा योजना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

(घ) आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक २८ दिसम्बर, १९६२ का एस० ओ० संख्या ३९५३, जिसमें उक्त एक्ट के अधीन बीमा न की जा सकने वाली वस्तुएं बताई गई हैं।

(२) आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा २० के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २८ दिसम्बर, १९६२ की एस० ओ० संख्या ३९४७।

(ख) दिनांक २८ दिसम्बर, १९६२ की एस० ओ० संख्या ३९४८।

(३) जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २९ के अन्तर्गत, दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६१ को भारत के जीवन बीमा निगम की तीसरी मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ७१३/६३ से ७१८/६३]**

राष्ट्रीय इमारत निर्माण निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**निर्माण, आवास और संम्भरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :**

मैं निम्न लिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) (क) सामान्य अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९ क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष १९६१–६२ के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त नियम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत, हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष १९६१–६२ के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महा–लेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० ७११/६३ से ७२०/६३]**

खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: १९५४, की धारा २४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(क) दिनांक २१ जुलाई, १९६२ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित त्रिपुरा खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एफ० ५ (१८) एम० पी० एच०/६०।

(ख) दिनांक ५ दिसम्बर, १९६२ के अन्देमान और निकोबर गजट में प्रकाशित अन्देमान और निकोबर द्वीप समूह खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९६० में

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ और संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या २५४/६२/१०६–२७/६२–(जी)–खण्ड १।

१८ से २४ सितम्बर, १९६२ तक नई दिल्ली में हुये विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया को क्षेत्रीय समिति के पन्द्रहवें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ७२१/६३ तथा ७२२/६३]**

दिल्ली बिक्री कर नियमों में संशोधन

†**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री-कर) अधिनियम, १९४१, की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री-कर नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १७ नवम्बर, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ४ (३३)/६२–फिन–(ई) की एक प्रति।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६५२।

(ख) दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६९३।

(ग) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १७३७।

(घ) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १७३८।

(ङ) दिनांक ८ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० ५८।

(च) दिनांक १२ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० ७३।

आय-कर अधिनियम, १९६१ की धारा २८७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत, दिनांक २२ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३८६८ की एक प्रति जिसमें उन व्यक्तियों के नाम और अन्य ब्योरा दिया हुआ है, जिनमें से प्रत्येक पर पांच हजार रुपये से अधिक जुर्माना किया गया।

समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३—ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६१४।

(ख) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६५७

(ग) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६५८।

(घ) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६५९।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब०रा० भगत]

(ङ) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६६० ।

(च) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६६१ ।

(छ) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६६२ ।

(ज) दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १७०१ ।

(झ) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १७४२ ।

(ञ) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १७४३ ।

(ट) दिनांक २९ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १७९४ ।

समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १९५६ ।

(ख) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६६४, जिसमें दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १४०३ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(ग) दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६९८ ।

(घ) दिनांक १२ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० ६९ ।

(ङ) दिनांक १२ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० ७० ।

निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(क) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, औद्योगिक वित्त निगम (बांडों का जारी किया जाना) विनियम, १९४९ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या १६/६२ ।

(ख) सम्पदा-शुल्क (वितरण) अधिनियम, १९६२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक , १२ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५ में प्रकाशित सम्पदा शुल्क (वितरण) नियम, १९६३ ।

(ग) पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १६ की उपधारा (४) के अन्तर्गत, ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त हुये वर्ष के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के लेखे की एक प्रति, उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० संख्या ७२३ / ६३ से ७२५ / ६३, ७२७/ ६३ तथा ७२८ / ६३ से ७३० / ६३]

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : समद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ का उल्लेख मद संख्या ४ में किया है । क्या पुराना अधिनियम रद्द कर दिया गया और नये अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : पुराने अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाये जा रहे हैं । नया अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : शायद प्रथम फरवरी से लागू होंगे। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**खान तथा ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजारमबीस)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष १९६१–६२ के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उपरोक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ७३१/६३]**

भारतीय रक्षित नौ सेना तथा भारतीय नौ सेना स्वयंसेवक (संशोधन) नियम १९६२

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चावन)**: मैं नौसेना अधिनियम, १९५७ की धारा १८५ के अन्तर्गत दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३२९ में प्रकाशित भारतीय रक्षित नौसेना और भारतीय रक्षित नौसेना स्वयंसेवक (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ७३२/६३]**

उड़ीसा विधान सभा, १९६१ के लिये आम चुनावों का प्रतिवेदन

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिभुवेन्द्र मिश्र)** : मैं उड़ीसा विधान सभा, १९६१ के लिये तीसरे आम चुनाव के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ७३३/६३]**

तारांकित प्रश्न संख्या ८२० के उत्तर में शुद्धि

†**इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: मैं तारांकित प्रश्न संख्या ८२० के संबंध में श्री त्यागी द्वारा इस्पात के मुख्य उत्पादकों पर बकाया राशि के संबंध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने निम्नलिखित आंकड़े दिये थे :—

टिस्को . . .	११.९९ करोड़ रुपये
इस्को	५.१३ करोड़ रुपये
मैसूर आयरन और स्टील वर्क्स . . .	१.१९ करोड़ रुपये
भिलाई . .	१.५८ करोड़ रुपये
रूरकेला .	२५ लाख रुपये
दुर्गापुर	३९ लाख रुपये

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

उपरोक्त आंकड़े १-१-१९६१ को जारी किये गये बिलों की स्थिति बताते हैं। क्योंकि मुख्य प्रश्न के उत्तर में ३१-७-१९६२ की स्थिति दी गयी थी। अतः मैं यह बताना चाहूंगा कि उस तारीख को कुल बकाया दावों की स्थिति निम्न प्रकार थी :—

	लाख रुपये
टिस्को	६२२.९६
इस्को	५१३.९६
मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स . .	१३.६८
भिलाई . . .	१४५.३५
रूलफ़ेला	१४२.५२
दुर्गापुर	१२.७८

जैसा कि मैं श्री हेडा द्वारा एक अन्यान्य प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं कि यह आंकड़े कुल बकाया राशि के हैं तथा उनमें उन भुगतानों का विचार नहीं किया गया है जो कुछ दावों के कारण कम्पनियों को देय थे तथा जिससे यह बकाया राशि कुछ कम हो जायेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या २६४ के उत्तर में शुद्धि

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) २० नवम्बर, १९६२ को तारांकित प्रश्न संख्या २६४ के अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुये कुछ कहा था जो कि स्थिति के अनुसार ठीक नहीं था, अतः उन उत्तरों को शुद्ध करने वाला अपना एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी० ७५/६३]

स्वर्ण नियंत्रण योजना के बारे में वक्तव्य

†वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) मैं स्वर्ण नियंत्रण योजना संबंधी एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी० ७३४/६३]

कोलम्बो सम्मेलन की प्रस्थापनाओं के बारे में प्रस्ताव—(जारी)

†श्री प्रिय गुप्त (कटिहार): श्रीमान् एक औचित्य का प्रश्न है। समाचारपत्र में एक समाचार है कि चीन ने कोलम्बो प्रस्ताव पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिये हैं। क्या इस बात को देखते हुये श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सभा के समक्ष चर्चा के लिये रखा जा सकता है?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कोलम्बो प्रस्ताव सदन के सामने हैं और उन पर जो स्पष्टीकरण दिये गये हैं वे उनका हिस्सा हैं। उन क्लैरिफिकेशंस के भाग (१) में यह कहा गया है :—

"जैसा कि चीन सरकार द्वारा परिचालित नक्शा ३ और ४ में दिखाया गया है"

तो यह मैप्स कौन हैं और उनकी क्या स्थिति है और यदि यह उनके हिस्से हैं....

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये। आप उस समय सदन में हाजिर नहीं थे। सदन में यह प्वाएंट पहले उठ चुका है और जवाब भी आ चुका है अब दुबारा इसको उठाने की जरूरत नहीं है।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण.....

अध्यक्ष महोदय : अब अगर यह प्वाएंट पहले एक मेम्बर साहब उठा चुके हैं और उसका जवाब आ चुका है तो क्या मैं फिर नये सिरे से उन्हें उठाने दूं। कल को कोई दूसरा मेम्बर जो आज हाजिर नहीं है वह इसी को उठा सकता है तो क्या यह रोज इसी तरह से चला करेगा? इस तरह सदन की कार्यवाही कैसे चल सकेगी?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री नाथ पाई।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद): मेरा सुझाव है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा का समय बढ़ा दिया जाये। यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रयत्न करूंगा।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय): मैं एक बात जानना चाहता हूं। यह सुना गया है कि संसदीय कार्य मंत्री ने समाचारपत्र प्रतिनिधियों से हुई एक भेंट में उनसे यह अनुरोध किया था कि वे अपने समाचारपत्रों में सभा में दिये गये आलोचनात्मक भाषणों को महत्व न दें। यदि ऐसा है तो यह एक बहुत गम्भीर बात है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य को कुछ कहना है तो वह उसे लिख कर दें तब मैं उस पर कार्यवाही करूंगा।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं, यह है कि कोलम्बो प्रस्ताव मूल रूप में पीकिंग प्रस्ताव ही है। हमें भय है कि कहीं दुनिया यह नहीं समझे कि हम एशियाई—अफ्रीकी एकता को ख़तरे में डालना चाहते हैं। और यह एशियाई—अफ्रीकी—एकता भी बड़ी विचित्र। चीन आक्रामक होकर भी इसका आधार स्तम्भ है किन्तु हम यदि इस आक्रमण के सामने झुकने से इन्कार कर दें तो हम पर इसे खतरे में डालने का आरोप लगाये जाने की संभावना है।

मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि हम ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिये तो भारत की अखंडता नष्ट हो जायगी और फिर एशिया—अफ्रीका में रहेगा ही क्या ?

कल इन प्रस्तावों के समर्थन में तीन मुख्य बातें कहीं गई थीं। पहली यह है कि यह हमारी मांगों से अधिक लाभदायक हैं। दूसरी बात यह थी कि यह अन्तिम समझौता नहीं अपितु अग्रेतर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नाथ पाई]

समझौता-वार्ता का आधार मात्र है और तीसरी सब से महत्वपूर्ण यह कि हमने अपने किसी भी सिद्धांत को नहीं छोड़ा।

जहां तक पहली बात का प्रश्न है श्री ढेबर ने अपने भाषण में यह समझाने का प्रयत्न किया है कि ३० या ३५ मील की संयुक्त पट्टी में हमें किस प्रकार अधिक लाभ होगा। किन्तु चीन इतना भूखा नहीं है कि वह ऐसी बात को, जो उसके हित में नहीं है, स्वीकार कर ले।

यह सच है कि स्पानगूर और रेजान्गल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर हैं किन्तु समझुन्ग-लिंग के उत्तर में आक्रामक को ही लाभ पहुंचा है। प्रश्न एक या दो मील का नहीं है। प्रधान मंत्री ने जो निर्देशक सिद्धांत सभा के सम्मुख रखे थे उन में स्पष्ट कहा गया था कि प्रश्न एक या दो इंच भूमि का नहीं है, इस बात का है, कि हम इस प्रकार के दबाव के सामने न झुकें। और एक सिद्धांत यह था कि आक्रामक को आक्रमण से कोई लाभ प्राप्त नहीं करने दिया जायगा। किन्तु वह फायदे में ही है। वह पीछे हटने के बाद भी उसी स्थान पर रहेगा जहां से उसने आक्रमण आरम्भ किया था। वह हमारी भूमि पर ही २० किलोमीटर पीछे हटेगा। हमें हमारी भूमि पर असैनिक चौकियां स्थापित करने की रियायत दी जायगी और इसे आप कहते हैं फायदा।

इस में भी संदेह है कि क्या सरकार ने इस चीनी संघर्ष के विषय में अपना रूख निश्चित कर लिया है। एक ओर राज्य सभा में प्रधान मंत्री ने कहा है कि यह "सीमा-संघर्ष" मात्र है और दूसरी ओर शांतिनिकेतन जाते हुए वे कहते हैं कि यह एक "बड़ा संघर्ष" है। मैं चाहता हूं कि एक बार हमेशा के लिए इसका निश्चय कर ही लिया जाय।

मैं आपका ध्यान चीन के दीर्घकालीन ध्येय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसका ध्येय भूमि का छोटा-मोटा टुकड़ा हथियाना नहीं है। वह सारे एशिया को सैद्धांतिक और राजनैतिक रूप से अपने दबाव में लेना चाहता है। हमें चीन के हर कदम को—शांति की इच्छा को, पीछे हटने और आगे बढ़ने को—इस ध्येय को दृष्टि में रख कर देखना चाहिये।

इन प्रस्तावों को स्वीकार कर के हम राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों में "जिसकी लाठी उसकी भैंस" वाले सिद्धांत की स्थापना कर देंगे। इसलिए हमें यह प्रस्ताव पूर्ण रूपेण और दृढ़ता पूर्वक अस्वीकृत कर देने चाहियें।

हम शांति पूर्ण समझौते की बात करते हैं। क्योंकि यह महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी की जन्म भूमि है। हम चाहते हैं कि हमारे देश को शांति पूर्ण रीति से कार्य करने का प्रमाणपत्र मिल जाय। किन्तु सच बात तो यह है कि चीन की सैनिक शक्ति ने हमारी सरकार के हाथ पांव ढीले कर दिये हैं और उसे यह भी डर है कि कहीं दुनियां यह आरोप न लगा दे कि उसने शत्रुतापूर्ण रुख अपना लिया है और शांति का मार्ग त्याग दिया है। हम भी शांति में विश्वास करते हैं हम भी उसी संस्कृति से संबंध रखते हैं जिस से श्री ढेबर और प्रधानमंत्री। सम्भवत: श्री ढेबर भी गीता के विद्यार्थी हैं। उस में लिखा है कि युद्ध से दूर रहो। किन्तु तुम सदैव ऐसा नहीं कर सकते। एक समय ऐसा भी आता है कि शांति, शांति चिल्लाने से कुछ भी नहीं काम निकलता है। यदि हम अपमानित होने के बाद भी शांति का ही गीत गाते रहेंगे तो शत्रु और मित्र दोनों के सामने अपना सम्मान खो बैठेंगे।

मैं यह कहूंगा कि शांति का गीत गा गा कर और चीन का अत्याचार सहन कर के हम दुनियां के सामने चीन के तरीकों, उपायों और मार्ग की श्रेष्ठता ही सिद्ध कर रहे हैं। कल सरकार ने

और उसके समर्थकों ने अपने भाषणों में कहा था कि हम अपने को झुका नहीं रहे हैं हमें कुछ अधिक हानि नहीं हो रही । हमें अभी अंतिम समझौता नहीं करना ; केवल उसे आरम्भ करना है । किन्तु वे, काश्मीर, कोरिया, वियतनाम आदि फिलस्तीन की बात भूल गये । वहां युद्ध विराम के बाद अस्थायी सीमा रेखा थी ; किन्तु वे स्थायी हो गई हैं और कोई भी उन में परिवर्तन करने का साहस नहीं कर सका । यही बात चीन और भारत के सम्बन्ध में भी हो सकती है । इसलिये हमें इन प्रस्तावों का विरोध करना चाहिये ।

और मान लिया जाय कि यदि समझौता वार्ता असफल हो गई ? सरकार फिर क्या करेगी ? कौन सी नयी बात जो पिछले वर्षों में नहीं बताई गई वह चीन को बतायेगी ? कौन से न करो । कौन से साक्ष्य वह उपस्थित करेगी जिस के आधार पर वह आशा करती है कि चीन वह प्रदेश जो उस ने तलवार की धार पर जीता था उसे वापिस कर देगा ?

दूसरी बात यह है कि हम शांति पूर्ण समझौते के विरूद्ध नहीं किन्तु इस के नाम पर शांति-पूर्ण समर्पण के विरुद्ध हैं । यही बात अब हो रही है । और यही बात उस समय होगी जब हम छेः तटस्थ राष्ट्रों से, उन राष्ट्रों से जिन में चीन को नैतिक आक्रामक कहने का साहस नहीं था नैतिक समर्थन प्राप्त कर चीन के साथ वार्ता आरम्भ करेंगे । मैं इन तटस्थ राष्ट्रों के प्रति अन्याय नहीं करता । किन्तु स्वेज नहर पर आक्रमण होने पर हमने भी तो स्पष्ट रूप से इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल को आक्रामक घोषित कर दिया था ।

प्रधान मंत्री ने २२ अगस्त को चीन सरकार को भेजे गये एक टिप्पण में कहा था कि जब तक पूर्व स्थिति कायम नहीं हो जाती समझौता वार्ता का प्रश्न नहीं उठता किन्तु अब कहा जाता है कि परिस्थितियां बदल गयी हैं । इसलिए सरकार उस बात पर कायम नहीं रह सकती । चीन इन बातों का गलत अर्थ निकालेगा । वह समझेगा कि हम उसकी सैनिक शक्ति के सामने झुक गये ।

सरकार का एक प्रस्तुत तर्क, जिसे वह प्रकटतः तो नहीं कहती किन्तु चुपके से जनता के कान में डालती है, यह है कि : "हम क्या कर सकते हैं ? चीन शक्तिशाली है ।" इस प्रकार वह जनता के हृदय में आतंक पैदा करती है ।

अंत में भाषण समाप्त करते हुए यह कहूंगा कि हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हिटलर के मास्को तक पहुंच जाने पर भी रूस ने शांति की बात कभी नहीं सोची ।

थर्ल हार्बर में जापान द्वारा आक्रमण किये जाने के तुरन्त पश्चात् अमरीका ने उसे खदेड़ने का संकल्प कर लिया था । इसलिये हम दुनियां को यह नहीं कहने दें कि उसने चीन के सामने घुटने टेक दिये । हमें इस अपमान से बचना ही पड़ेगा और इसी में देश का परित्राण निहित है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, इस में कोई संदेह नहीं कि चीन के आक्रमण ने हमारे विश्वास को डिगा दिया है । किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजनयिकता भी राजनीति का एक भाग है । जैसा कि श्री ढेबर ने कहा है यह सच है कि प्रश्न किसी दावे को छोड़ने का नहीं उसका निबटारा करने का है । हमें यह भी याद रखना है कि दुनियां के और भी राष्ट्र हैं जिन्हें हमें अपने दावों के उचित और युक्ति संगत होने में विश्वास दिलाना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

सभा में दिये गये भाषणों में यह कहा गया है कि कोलम्बो सम्मेलन के राष्ट्र चीन के प्रस्तावों के सामने झुक रहे हैं और उन के प्रस्ताव तटस्थता की हंसी उड़ाने वाले हैं। मुझे आश्चर्य है कि हम इस बात को कैसे कह रहे हैं कि भारत के जो थोड़े बहुत मित्र हैं वे भी चीन की ओर हैं। भारत के जनसंघ आदि दलों का ध्येय क्या है ? वे भारत को बदनाम करते हैं। वे चाहते हैं कि हम पश्चिमी गुट में मिल जायें। राजाजी ने भी एक पत्र में, जो कल टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था, अपना यही विचार व्यक्त किया है।

कोलम्बो सम्मेलन के राष्ट्र एक ऐसे शक्तिशाली तटस्थ ग्रुप के सदस्य हैं जिनका संयुक्त-राष्ट्र संघ में भी काफ़ी प्रभाव है, । श्री ख्रुश्चेव और दूसरे साम्यवादी देशों ने तटस्थ राष्ट्रों के ग्रुप की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि यह शांति के समर्थक हैं इसलिए साम्यवादी राष्ट्रों को इन से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहिए। यह राष्ट्र हमारी तरह ही तटस्थ राष्ट्र हैं और सब से मित्रता चाहते हैं। उन्होंने चीन को आक्रमक नहीं कहा किन्तु तटस्थता पर आघात पहुंचा कर और हमें सैनिक गुटों की ओर धकेलने वाली शक्तियों को सबल बना कर चीन ने जो भारी अपकार किया है उसे वे अनुभव करते हैं।

हम कोलम्बो सम्मेलन के राष्ट्रों के हृदय से आभारी हैं। लज्जा की बात है कि कुछ सदस्यों ने उनकी निन्दा की है। श्री एन्थोनी ने कल कहा था कि हम चीन के सामने धूल चाट रहे हैं। समाचार पत्रों में भी ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऐसी बातों से हमारा अपकार ही होता है। श्री नाथपाई ने भी कहा था कि ये प्रस्ताव दो छोटी छोटी बातों को छोड़कर चीन के ही प्रस्ताव हैं। और वे छोटी बात क्या हैं? एक तो यह कि हमें पीछे नहीं हटना होगा और दूसरा यह कि उस क्षेत्र पर हमारा संयुक्त नियन्त्रण होगा। क्या यह छोटी बातें हैं ? उन्होंने इस बात द्वारा आक्रमक और आक्रम्य में विभेद कर दिया है कि चीन को पीछे हटना पड़ेगा जब कि हमें नहीं। जहां तक विसैन्यीकृत क्षेत्र में संयुक्त नियन्त्रण का प्रश्न है हमने ८ सितम्बर की रेखा वाले प्रस्ताव में ८ सितम्बर के पहले की स्थिति कायम करने के लिए कहा था। कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्तावों द्वारा चीनियों के २० किलोमीटर पीछे हट जाने से भी लगभग वही स्थिति कायम हो जाती है और ८ सितम्बर को ही क्या स्थिति थी ? हमारी और चीन की चौकियां उस क्षेत्र में बिखरी पड़ी थीं। चीनियों की कुछ चौकियां हमारी चौकियों के सामने थीं और कुछ पीछे। इस प्रकार उस समय भी संयुक्त प्रशासन जैसा ही था। मेरे विचार से इन प्रस्तावों से हमें कुछ लाभ भी पहुंचता है क्योंकि समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिये जाने पर हमारे सैनिक की संख्या चीनी सैनिकों के, जिनकी संख्या पहले अधिक थी, बराबर हो जायेगी। कुछ सदस्यों का यह कहना कि सभा ने ८ सितम्बर वाली रेखा को स्वीकार नहीं किया गलत है। हमने सरकार द्वारा अपनाई गई नीति और उपायों का अनुमोदन करते समय इसे भी स्वीकार कर लिया था। और फिर यह रेखा अन्तिम समझौते की रेखा तो है नहीं हमारे दावे वहीं हैं जो पहले थे और हम उनके लिये लड़ेंगे।

श्री त्रिवेदी ने कहा था कि हम शब्दों से नहीं तलवार से लड़ेंगे। किन्तु आज तलवार से लड़ने का ज़माना नहीं। और आणविक युद्ध में लगभग सारी दुनियां नष्ट हो जायेगी। इसलिए हमें महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचना है। यदि हमने राजा जी के परामर्श के अनुसार कार्य किया तो तीसरा विश्वयुद्ध भारत की भूमि पर ही लड़ा जायगा।

हम साम्यवादी सम्मानपूर्ण शांति का समर्थन करते हैं। और कोलम्बो प्रस्तावों में इसका उपबन्ध है। इस रास्ते में कुछ कठिनाइयां भी हैं। चीन द्वारा प्रकाशित एक संयुक्त विज्ञप्ति से यह प्रतीत होता है कि उसकी राय में समझौता वार्ता आरम्भ करने के लिए स्पष्टीकरणों को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है। किन्तु हम सम्मानपूर्ण समझौता चाहते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि दोनों देश इन स्पष्टीकरणों को स्वीकार कर लें।

मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि जबकि हम अपने सीमा क्षेत्र के दावे पर लड़ने में कमी नहीं रखेंगे, काश्मीर नहीं छोड़ेंगे। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि हमारी दूसरे देशों पर निर्भर रहना हमारी स्वतंत्रता को ख़तरे में डाल देगा। हमें अपने आपको, प्रतिरक्षा साधनों को, प्रतिरक्षा निर्माण शाखाओं आदि को, सबल बनाना है।

हमारा ध्येय न्यायापूर्ण है और हमारी नीति दृढ़ है। हम किसी सैनिक गुट में शामिल नहीं होंगे। हमने बता दिया है कि तटस्थता में कितनी शक्ति है। हम कोलम्बो प्रस्तावों को उनके स्पष्टीकरण सहित स्वीकार कर लेंगे।

†**श्री महताब** (अंगुल) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, कोलम्बो प्रस्तावों पर सभा में की गयी आलोचना से ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम चीन के साथ शांति की संधि के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन प्रस्तावों पर आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जा रहा है।

मैं आपको इस घटना चक्र का स्मरण कराता हूं। भारत चीन की लुक-छिप घुसपैठ का विरोध करने के साथ साथ सीमा चौकियों को मज़बूत बना रहा था कि चीन ने उस पर विशाल आक्रमण आरम्भ कर दिया। हमें कुछ पीछे हटना पड़ा। इसी समय चीन ने शांति वार्ता का प्रस्ताव किया जिसे भारत ने यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि जब तक चीन के प्रस्ताव की सचायी का आभास न मिल जाय वार्ता करने का कोई लाभ नहीं। इस सम्बन्ध में यह भी कहा गया कि यदि चीन के शांति वार्ता के प्रस्ताव में कोई सचाई है तो वह ८ सितम्बर की रेखा तक लौट जाय। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इसी दौरान में कुछ तटस्थ राष्ट्रों ने वार्ता का आधार ढूंढने का प्रयत्न किया। जिसके फलस्वरूप ये प्रस्ताव हमारे सम्मुख विचाराधीन प्रस्तुत हैं।

इन प्रस्तावों पर किस दृष्टिकोण से विचार किया जाय? मेरे विचार से हमें यह देखना है कि क्या इन प्रस्तावों में कोई ऐसी बात है जिस से चीन की सच्चाई का पता लगाया जा सके?

यदि हम इन प्रस्तावों को एकदम अस्वीकार कर देंगे तो इसे हमारे लोग ही अनुचित समझेंगे। क्योंकि चीनियों ने चालाकी से इस प्रकार का प्रचार कर दिया है। पहिले पहल उन्होंने युद्ध विराम किया, वह सामरिक महत्व का युद्ध विराम था। बहुत से लोग विभिन्न रूपों में इसका अर्थ निकालते हैं। माओ ने स्वयं ही इसके बारे में कहा है, 'दो कदम पीछे हटो, तीन कदम आगे बढ़ाओ'। पता नहीं चीनियों के दिल में क्या है। अतः मेरा कहना है कि हमें इन प्रस्तावों को एकदम रद्द नहीं करना चाहिए। इस से चीनियों की नेकनियत का भी पता चल जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महताब]

यदि चीन ने इसे स्वीकार कर लिया तो बात यहां ही तो समाप्त नहीं होगी। फिर चर्चा चलेगी। इस चर्चा में कुछ सफलता मिलती है कि नहीं यह तो बाद की बात है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमारा देश ही नहीं, लगभग सभी देश यह चाहते हैं कि वे शांतिपूर्वक ढंग से अपने क्षेत्र की रक्षा करते रहेंगे। अपने अधिकारियों के प्रति जागरक रहे। जरूरत पड़ ही जाय तो शस्त्र भी उठा लिये जाये। अतः आक्रान्ता को अपनी पवित्र धरती से निकाला जायेगा इस विषय में कोई सन्देह ही नहीं है। इन प्रस्तावों को स्वीकार करने का यह मतलब कदापि नहीं है कि सरकार ने अपना मन्तव्य बदल लिया है। चीनियों को तो बाहर निकालना ही है और हम इस दिशा में पूर्णरूप से तैयार हैं।

दूसरे देशों से सहायता लेने की जहां तक बात है, हम इस सहायता को एक दम छोड़ नहीं सकते। परन्तु चीनी आक्रमण के संदर्भ में यह बड़ी साधारण सी बात है। एक बात स्पष्ट है कि अन्तिम विजय के लिए हमें अपने पैरों पर ही खड़ा होना होगा। देश की सुरक्षा के लिए हमें अपनी ताकत पर ही भरोसा करना होगा। इस के लिए हम किसी अन्य देश से ऐसा करने को नहीं कह सकते। हमें अपने राष्ट्र के गौरव का पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। यदि हमने ऐसा किया तो हम अपनी सेनाओं का साहस कायम नहीं रख सकेंगे। हमें अपने ही साधनों पर अरक्षित रहना होगा। तटस्थता नीति की धारा भी अब बदल गयी है। पहिले तो तटस्थता का अर्थ लिया जाता रहा है कि रूस और अमरीका के गुटों से अलग रहना। परन्तु अब तो चीन से हमारी लड़ाई है और जो भी चीन का शत्रु है वह हमारा मित्र है। हम उस से सहायता लेंगे।

सारी बातों के बावजूद अन्त में मेरा यही कहना है कि कोलम्बो प्रस्तावों को एक दम अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हमें इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है कि इस सदन के बाहर जनता का मत क्या है। हमें हर कीमत पर अपने देश की रक्षा के लिये तैयार रहना है।

†श्री अ० च० गुह (वारसाट) : किसी से बात चीत करने का तो सरकार का अधिकार ही होता है। वह किसी भी राष्ट्र से कोई समझौता भी कर सकती है। सरकार के लिये यह जरूरी नहीं कि वह हर बात संसद् के परामर्श से ही करे और इस प्रकार का संसद् का कोई आदेश भी नहीं था।

कोलम्बो प्रस्तावों के बारे में मेरा निवेदन है कि ये हमारी अधिकतर मांग के अनुरुप नहीं है। ये तो हमारी न्यूनतम मांग बहुत ही कठिनाई से पूरा करते हैं। अतः इन्हें बात चीत का आधार माना जा सकता है। इस बारे में हमें जनमत का भी ध्यान रखना होगा। इसमें जनमत को बिगड़ने नहीं देना चाहिये। कोलम्बो प्रस्तावों को यदि चीन ने अस्वीकार किया तो इससे हमारी स्थिति बहुत ही कम खराब होगी।

प्रस्ताबों में दो बातें जो हमारे पक्ष में हैं, ये हैं कि हमें कहीं से पीछे नहीं हटना है। हम अपनी जगह पर बने रहेंगे। पीछे केवल चीनी सेनायें ही हटेंगी। खाली किये गये क्षेत्र में संयुक्त नियन्त्रण होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार करने से हम चीन के साथ कोई समझौता स्वीकार नहीं कर रहे, केवल बात चीत करन के लिये कुछ शर्तें मान रहे हैं। यदि यह भी समझा जाये कि इन प्रस्तावों को स्वीकार करने से हमें अपने पहले दावे से कुछ पीछे हटना पड़ेगा, तो भी इससे हमारे राष्ट्र की मर्यादा को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता।

यदि चीन कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता, तो वह विश्व राजनीति में बिल्कुल अलग हो कर रह जायेगा। यदि हम स्वीकार न करें, तो हम तटस्थ देशों की सहानुभूति और समर्थन खो बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें शायद उन से कुछ सहायता न मिल सकेगी। ऐसे तटस्थ राष्ट्र राष्ट्र संघ के देशों का ५० प्रतिशत है। हम साम्यवादी दल के देशों की सहानुभूति भी खो बैठेंगे और हमें केवल आंग्ल-अमरीकी गुट की सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसी सहायता पर निर्भर रहना एक खतरनाक बात होगी। इस का अर्थ यह होगा कि भारत अमरीकी गुट के साथ मिल गया है। किन्तु सदन तटस्थ रहने की नीति का अनुसरण करने के लिये बचनबद्ध है। हम अब भी तटस्थता की नीति पर कायम हैं और उसे देखते हुए अन्य सब देशों का समर्थन खोना खतरनाक होगा। यह एक और कारण है कि हमें प्रस्तावों को अस्वीकार नहीं करना चाहिये।

चीनी हथकंडों को और उसकी सैनिक शक्ति जानते हुए, यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम अपनी सैनिक शक्ति बढ़ायें। कोलम्बो प्रस्ताव मानने का अर्थ चीन के साथ युद्ध की समाप्ति या भारत में आपातकालीन स्थिति की समाप्ति नहीं है। हमें अपनी, शक्ति अपने संसाधनों से और मित्र देशों की सहायता से बढ़ानी चाहिये। मुझे आशा है कि विश्व के प्रजातंत्रात्मक देश भी यह अनुभव करेंगे कि कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार करके हम लोकतंत्रात्मक अधिकारों का या राष्ट्रीय अखंडता और मर्यादा का त्याग नहीं कर रहे हैं।

†**श्री प्र० के० देव** : (कालाहांडी) : यह अच्छा होता यदि इस चर्चा से सरकार का मार्गदर्शन होता, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि हमें हो चुके काम पर स्वीकृति की मुहर लगाने को कहा जा रहा है।

हम चीनियों के त्रि-सूत्री सूत्र को पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं। किन्तु हम ने कहा है कि हम ७ सितम्बर, की लाइन की स्थिति बहाल होने की सूरत में बातचीत करने के लिये तैयार हैं। बहुत से सदस्य ऐसे होंगे जो इस निर्णय का स्वागत नहीं करेंगे।

अब उस घोषणा के बाद ४५ दिन गुज़र चुके हैं और इस अवधि में यद्यपि बहुत से देश-भक्तों को जेल में डाला जा चुका है, राष्ट्र की खाई हुई भूमि को वापस प्राप्त करने के लिये कोई पग नहीं उठाया गया। हम ने केवल उन क्षेत्रों पर पुनः कब्जा किया है, जो शत्रु ने खाली कर दिये थे।

हम कोलम्बो प्रस्तावों से सम्बन्धित ६ तटस्थ देशों के आभारी हैं किन्तु मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव सभी देश भक्त भारतीयों की आशा से कम है। इस में चीनी आक्रमण का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है और दोनों देशों को एक ही स्तर पर रखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रस्ताव दो बातों पर आधारित हैं। चीन का विरोध न किया जाय और भारत का समर्थन किया जाये। उन्होंने आक्रामक जिस पर आक्रमण हुआ है, समान माना है। यह या तो इस लिए है कि वे उससे डरते हैं या उनको अपना पक्ष पूरी तरह समझाया नहीं गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

सिवाय इस के कि हमें २० किलोमीटर पीछे हटने के लिये नहीं कहा गया है, ये प्रस्ताव चीन के त्रि-सूची प्रस्तावों के समान हैं। चीनियों को अपने आक्रमण का फल प्राप्त रहेगा। हम लद्दाख क्षेत्र में उन ४२ चौकियों पर कब्जा नहीं कर पायेंगे, जिन पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है।

चीन के साथ हमारा अनुभव यह रहा है कि जब भी हमने उनके साथ बात चीत की, हर बार उन्होंने हमारे क्षेत्र पर और बड़ा दावा पेश किया। समय ने यह सिद्ध कर दिया है कि वर्ष १९५४ का करार जिस पत्र पर लिखा गया था, वह उसके भी लायक नहीं था। अतः फिर बातचीत करना निरर्थक है। इससे हमारे सच्चे मित्रों के दिमाग में इस संकट के समय हमारी नेकनियत पर शक पैदा होगा। इससे लोगों का उत्साह कम हो जायेगा।

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से चाइना का आक्रमण हुआ है, तब से हम देखते हैं कि जब उसकी मर्जी में आया उसने आक्रमण किया और जब उस की मर्जी में आया तो उसने उसको स्थगित भी किया।

आज हमारे सामने कोलम्बो प्रस्ताव विचाराधीन हैं। कुछ लोगों का ऐसा विचार मालूम होता है कि उनको इस बात का अन्देशा है कि चाइना क्या कर रहा है और उसका परिणाम हमारे ऊपर क्या होगा इस को सोच कर हमको कोलम्बो प्रस्ताव पर विचार करना चाहिये।

जब तक कोलम्बो प्रस्ताव हमारे सामने हैं हमको यह सोचने का कोई कारण ही नहीं कि चाइना क्या करेगा। हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुआ। इस का प्रभाव कुछ तटस्थ देशों के ऊपर हुआ। दुनिया के अन्दर जो देश आजादी के मानने वाले हैं, जो जनता की स्वतन्त्रता को मानने वाले हैं और जो मानव कल्याण तथा विश्व शान्ति में विश्वास रखते हैं, वे सच्चे दिल से यह चाहते हैं कि किसी भी तरह से यह युद्ध बन्द हो और शान्ति कायम हो। और इस प्रयत्न में अपनी सदिच्छा से, सद्भावना से, जो कुछ प्रयास कोलम्बो के मित्र राष्ट्रों ने किया है वह सराहनीय है, उनके ईरादों के लिये हमें आदर तथा सम्मान है। उन्होंने जो प्रयत्न किया है उसके लिये हम अनुग्रहीत हैं। इसलिये इस देश के सम्मान तथा स्वाभिमान को कायम रखते हुये हमें उनके प्रस्ताव पर इस दृष्टि से विचार करना चाहिये कि हम उस दिशा में कहां तक जा सकते हैं।

हमें इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री ने तथा सरकार ने जो ८ सितम्बर, की लाइन का प्रोपोजल दिया था वह कम से कम ऐसा है कि जिसको स्वीकार करने में दूसरे पक्ष को दिक्कत न हो और साथ ही में हमारे स्वाभिमान की भी रक्षा हो सके और सम्मान के साथ हम बात चीत के टेबिल पर जा कर बातचीत कर सकें। हमारे प्रोपोजल में और कोलम्बो राष्ट्रों के प्रस्ताव में यहां वहां कुछ थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है। तो उसमें, जब वह हमारे सामने पेश है, अगर कुछ कमी की या अड़चन की बात हो तो उसका स्पष्टीकरण कर लिया जाए। कोलम्बो राष्ट्र अपना जो कुछ स्पष्टीकरण दें उसके साथ में उनके प्रस्ताव को मंजूर करने या नामंजूर करने का अधिकार वास्तव में सरकार को होना चाहिये और इस मंजूरी या नामंजूरी के लिये इसको पार्लियामेंट के सामने लाने की आवश्यकता नहीं। यह अधिकार तो हमें सरकार को ही देना

चाहिये और उसे है ी । हम यहां मुख्य- सिद्धान्तों की चर्चा कर सकते हैं और उसके अनुसार अपनी नीति निर्धारित करके सरकार अपना कार्य कर सकती है ।

कोलम्बो के प्रस्ताव को मंजूर करना एक अहमियत रखता है । हम उसको रिजेक्ट भी करें तो उसकी भी अहमियत है । पर असली बात यह है कि हम उसको मंजूर करें या उसको नामंजूर करें, जो कुछ हम करें हमें मजबूती से करना चाहिये । अगर हम उसको मंजूर करें तो मंजूर भी मजबूती से करना चाहिये और अगर नामंजूर करें तो वह भी मजबूती से करना चाहिये । जब तक हमारे दिलों में इस बात का दृढ़ संकल्प है कि हम किसी भी तरह चीन से दब कर अपने देश की आजादी या स्वाभिमान को कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तब तक अगर हम इस प्रस्ताव को मान कर शांति स्थापित होने की इच्छा से विचार विनिमय करें तो हम कुछ खोने वाले नहीं हैं । यदि हम डर से वहां जाकर बातचीत करेंगे तो उसका बुरा परिणाम होगा । यदि डर के मारे हम इसको रिजेक्ट करते हैं तो भी बुरा परिणाम होने वाला है । हम जो भी करें हिम्मत से करें तो परिणाम बुरा होने वाला नहीं है ।

सही बात यह है कि हमारे देश में अभी तैयारी की कमी है और हम तैयारी को करने में लगे हैं । यह मुख्य चीज है । वह तैयारी हमको पूरी ताकत के साथ और और अच्छी तरह से करनी चाहिये । देश ने जो उत्साह दिखाया है उसका किस प्रकार हम सक्रिय रूप से उपयोग कर सकते हैं इसके ऊपर भी हमको विचार करना चाहिये ।

आज हमको पश्चिमी देशों ने शस्त्रों की और दूसरी मदद बड़ी उदारता के साथ दी है । इसका एक प्रधान कारण है । आज चीन का जो भारत पर आक्रमण है, वह वास्तव में भारत पर आक्रमण नहीं है, वह दुनिया की आजादी पर आक्रमण है । दुनिया में जो स्वतंत्रता को मानने वाले लोग हैं उन पर यह आक्रमण है । आज उसने भारत पर आक्रमण किया है, हो सकता है कि कल पाकिस्तान पर करे, बर्मा पर करे, नेपाल पर करे, भूटान पर करे । वह श्याम, कम्बोडिया वियतनाम आदि पर भी कल आक्रमण कर सकता है । आज पश्चिमी देश जानते हैं कि जब वह भारत को चीनी आक्रमण के खिलाफ मदद दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। मान लीजिये उन्होंने भारत को पूरी मदद देकर इतना सुसज्जित कर दिया कि चीन यह समझे कि हम भारत पर आक्रमण न करें । तो हो सकता है कि कल वह श्याम पर या अन्य किसी राष्ट्र पर आक्रमण करे । तो क्या हम उस अवस्था में यह कहेंगे कि उसने हम पर आक्रमण नहीं किया है, इसलिये हम उस देश की मदद क्यों करें ?

मान लीजिये कि चीन के पास तीन या साढ़े तीन हजार हवाई जहाज हैं, मुझे ठीक पता नहीं कि हैं या नहीं । और हमको उतने हवाई जहाजों की चीन का मुकाबला करने के लिये जरूरत है । अगर अमरीका हमको उतने हवाई जहाज दे देता है तो चीन सोच सकता है कि अब हमको हिन्दुस्तान से नहीं लड़ना है क्योंकि भारत के पास भी हमारे जितने साधन हो गये हैं । उस अवस्था में अगर उसने बर्मा पर या पाकिस्तान पर या और किसी देश पर आक्रमण किया तो क्या पश्चिमी देश हर एक देश को इतना सामान दे सकेंगे कि वह पूरे तौर से चीन का मुकाबला कर सकें । हमको इस दृष्टि से सोचना होगा कि जहां पर भी आजादी पर आक्रमण होगा हमको मदद करनी होगी और इस बात की तैयारी करनी पड़ेगी कि खाली भारत की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, बल्कि सब का सहयोग लेकर और सबकी सद्भावना लेकर हम उस राष्ट्र की मदद करेंगे जिसकी आजादी पर आक्रमण हो । हमको यह विचार रखना होगा कि हम में से जिसकी भी आजादी पर चीन हमला करेगा हम उसके खिलाफ एक दूसरे की मदद करेंगे ।

अभी जब हमारे ऊपर चीन का आक्रमण हुआ तो अमरीका के जो सशस्त्रास्त्र जरमनी में पड़े थे उनको हमारी सहायता के लिये भेजा गया । इसी तरह से मान लीजिये कि हमको अमरीका से हवाई

[श्री कमल नयन बजाज]

जहाज और दूसरे शस्त्रास्त्र मिल जाते हैं और कल को श्याम पर या किसी अन्य राष्ट्र पर चीन का आक्रमण होता है और अमरीका हमसे कहता है कि तुम उन हथियारों आदि को वहां भेजो, तो हम भेजेंगे या नहीं इस बात का स्पष्टीकरण हम करें और फिर व्यवस्थित रूप से इस प्रश्न पर विचार करें। एशिया के सारे राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा की जिम्मेदारी चीन के खिलाफ हमको अपने सिर पर समझनी होगी। हमको इसके लिये तैयार रहना चाहिये कि उनकी आजादी पर यदि किसी भी तरफ से आक्रमण हो--और इस समय तो केवल चीन का ही आक्रमण हो सकता है--तो हम उसका मुकाबला कर सकें। मैं तो समझता हूं कि जो छोटे छोटे देश हैं वे आज चीन से घबराये हुये हैं और उनको भय है कि उनकी आजादी पर आक्रमण हो सकता है। मैं इनमें से कुछ देशों में गया तो मैंने देखा कि उनमें से कुछ की आजादी पर तो चीन का आक्रमण हो चुका है। वह वहां डरते हैं और अगर इस मौके पर उनको पूरा सहयोग नहीं मिलता है तो उनका जो डर है वह कायम रहता है। इसलिये यदि सब आपस में मिल कर उस का वाजाब्ते से इंतजाम किया जाये तो हम काफी कुछ कर सकते हैं।

कोलम्बो राष्ट्रों के प्रपोजल्स के विषय में अपने प्रार्थना प्रवचन में आचार्य विनोबा भावे ने १९ तारीख को कुछ अपने विचार प्रकट किये हैं। चूंकि उनका सीधा संबंध कोलम्बो प्रस्तावों से आता है इसलिये मैं उनमें से कुछ थोड़े से चुने, चुने हिस्से यहां सदन में आपकी रजामन्दी से पढ़ देता हूं :—

> "दुनिया के कुछ तटस्थ देशों ने तय किया है कि इन दो देशों के बीच समाधान हो। इसलिये हम अपील करेंगे कि जो सुझाव पेश किया गया हो वह भले सोलह आने रुचिकर न हो तब भी हमारे देश को उसे मान लेना चाहिये। उसमें थोड़ा फर्क करना हो तो करवाना चाहिये। लेकिन सामान्य तौर पर उनका प्रस्ताव मान्य करना चाहिये।
>
> इस प्रस्ताव पर पार्लियामेंट विचार करेगी, उसके बाद भारत अपना विचार जाहिर करेगा। हम बोल रहे हैं—क्योंकि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोलह आना अपनी बात पर अड़े हुये हैं—चीन में भी ऐसे लोग होंगे। हम समझते हैं कि ऐसा कर के वे विश्व के हित की ओर ध्यान नहीं रखते। विश्व के हित को दृष्टि से देखा जाय। विश्वशांति की दृष्टि से दोनों देशों का भला सोचा जाय तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये। हम अपने देशवासियों से अपील करेंगे कि अपनी बात सोलह आना मंजूर कराने की जिद न रखें। जो जिद रखता है वह कमजोर होता है। जो बलवान होता है वह जिद नहीं करता। वह जानता है कि हम शक्तिशाली हैं। हम समझते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं। इन महीने—दो महीने में हम काफी मजबूत हुये हैं। हमारी ताकत बहुत बढ़ी है और भी हम बढ़ाते रहेंगे।"

यह विचार श्री विनोबा भावे ने १९-१-६३ को अपनी प्रार्थना सभा में कोलम्बो प्रस्तावों के बारे में प्रकट किये हैं। इस तरह के विचार, जो किसी भी तरह के पक्ष या प्रभाव से परे हैं और खाली भारत के ही नहीं अपितु जो समस्त मानव कल्याण की दृष्टि से सोचने वाले हैं, उनका जब इस तरह का मत है तो हमें उन कोलम्बो प्रस्तावों पर अवश्य विचार कर लेना चाहिये। अलबत्ता देश को सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ और हर मामले में आत्मनिर्भर बनाने का हमारे प्रयासों में किसी तरह की कमी न आने पावे और देश को हर खतरे का कामयाबी के साथ सामना करने के लिये पूरी तरह से तैयार करें। हम अपनी तैयारियों में किसी तरह की ढील न आने दें। काफ्रेंस की टबुल पर हम चाहे किसी नतीजे पर आ सकें या न आ सकें परन्तु हम अपनी फैक्टरियों और खेतों में निरन्तर उत्पादन बढ़ाते रहेंगे। हमारी सेना की शक्ति यदि बढ़ गयी तो वहीं काफी हो जायगा और उससे शांति से

जो कुछ समझौता होना है वह उसके बल पर हो जायगा । बस इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं । धन्यवाद ।

†**श्री बसुमतारी** (ग्वालपाड़ा) : प्रधान मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह स्वीकृति के लिये बल्कि चर्चा के लिये है । उन्होंने कहा है कि चीनियों पर विश्वास रखना कठिन है और साथ ही यह भी कहा है कि हम सैनिक आक्रमण के सामने नहीं झुकेंगे । कुछ सदस्य ऐसे हैं जो युद्ध चाहते हैं । यदि युद्ध छिड़ जाये, तो विचारणीय बात यह है कि क्या हम चीन जैसे देश से जो कई वर्षों से अपने पड़ोसियों से लड़ता रहा है, लड़ने के लिये समर्थ हैं ? इसीलिये प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमें अपने आप को मजबूत बनाना है । उन्होंने यह भी कहा है कि चीन ने हमारी आंखें खोल दी हैं । हमें अपने आपको मजबूत बनाना है ताकि नेफा और आसाम की घटनायें दोबारा न हों । नेफा और आसाम के लोगों का उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है ।

जहां तक तटस्थता की नीति का संबंध है, इसके द्वारा हमें सारे विश्व की सहानुभूति प्राप्त हुई है । मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । भविष्य के लिये तैयारी करने का यह सब से अच्छा मौका है ।

श्री बृज राज सिंह (बरेली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान विषय पर बोलने से पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि यह समझ में नहीं आता है कि इसकी जरूरत क्यों उत्पन्न हुई कि सदन के सामने इसको रखा जाये । श्रीमती भंडारनायके चीन गईं और चीन से कुछ मश्विरा कर के वह हिन्दुस्तान आईं । हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें खुला आश्वासन दिया कि जहां प्रिंसिपल में मैं आप के प्रोपोजल्ज को मानता हूं, वहां उनके संबंध में "हां" या "न" कहने की बात पार्लिमेंट के अधिकार में है । इस पर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, शायद पार्लिमेंट का अधिकार प्राइम मिनिस्टर के अधिकार से ऊंचा होगा और पार्लिमेंट की बात को प्राइम मिनिस्टर को मानना पड़ेगा । परन्तु जिस दिन यहां इस मामले पर डिबेट शुरू होने वाली थी, उसके एक दिन पूर्व ही उनका निर्णय मालूम हो गया । अखबारों में खबर छप गई कि प्राइम मिनिस्टर ने उन बातों को, उन उसूलों को, मान लिया है । फिर पार्लिमेंट में क्या होगा ? पार्लिमेंट में कनसिडरेशन होगा । कनसिडरेशन का अर्थ क्या है, यह समझ में नहीं आया । मैं समझता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य अब तक बोले हैं, उनमें से हर एक के हृदय में यही परेशानी रही कि कनसिडरेशन का मतलब क्या है, क्या इसका कोई नतीजा निकलने वाला है, क्या इससे हमें कोई मार्ग मिलेगा, क्या हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे ।

श्री कमल नयन बजाज : माननीय सदस्य कोई सुझाव दें ।

श्री बृजराज सिंह : सुझाव ही आ रहे हैं बराबर, सरकार उनको माने या न माने, उनको समझे या न समझे । सुझाव तो मैं दे दूंगा, लेकिन उन को समझने के लिये बुद्धि देना संभव नहीं है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कनसिडरेशन के द्वारा क्या होने वाला है, यह स्पष्ट नहीं है ।

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि चाइना ने १९५४ में धीरे धीरे भारतवर्ष के ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया था । इस संबंध में मैं तो उसे हमला ही कहूंगा, सरकार की ओर से चाहे किसी भी शब्द का प्रयोग किया जाये । इस वर्ष के अक्तूबर में पहली बार वह घोषणा की गई कि चाइना ने हमला कर दिया है । चाइना धीरे-धीरे हमारी जमीन दाबता चला गया और अपनी पोस्ट्स वहां पर बनाता चला गया । उसको सरकार क्या मानती रही ; यह पता नहीं है । हमें तो केवल अक्तूबर में मालूम हुआ कि हमला हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बृज राज सिंह]

उस हमले के बाद हम लोगों ने पिछले नवम्बर में यहां पर एक प्लेज लिया, एक कसम खाई। उस कसम में हम ने यह कहा कि चाहे कितनी भी लम्बी लड़ाई चले, चाहे कितनी भी देर लगे, चाहे कितने भी हमारे जवान मारे जायें, परन्तु अपने देश से आक्रमणकारियों को भगाने के लिये हम अन्त तक लड़ेंगे और उस अन्त का केवल एक अर्थ होगा—हमारी विजय । जिस प्रस्ताव को पास कर के हम ने वह कसम खाई थी, उस में एक बार भी यह शब्द नहीं आया कि अगर चाइना ८ सितम्बर, की लाइन तक हट गया, तो हम नहां लड़ेंगे या उस को अपने देश से भगाने की कोशिश नहीं करेंगे ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : यह तो सरेंडर है, लड़ाई कहां है ?

श्री बृज राज सिंह : उस प्रस्ताव को पास करने और वह कसम खाने के बाद देश में यह प्रतिक्रिया हुई, मैं समझता हूं कि उस को हर एक आंख वाले ने देखा होगा। एक मज़बूत कदम उठाने पर देश की जो प्रतिक्रिया हुई, उस से कोई आंखें मोड़ नहीं सकता है। जहां एक बूंद खून मांगा गया, वहां हमारा देश और हमारी जनता एक मन खून देने के लिये तैयार हुई। जहां एक व्यक्ति मांगा गया, वहां सहस्रों मांओं के लाल निकल कर सामने आ गए और प्रधान मंत्री जी के पीछे चलने के लिये तैयार हो गए। यह तो भावना की बात है। जब सही भावना उत्पन्न की जाती है, जब सही भावना जागृत की जाती है, तब देश पीछे चलने के लिये तैयार हो जाता है।

उस प्रस्ताव को उलट-पलट कर आज दूसरा रूप दे दिया गया है और यह कहा जा रहा है कि कोलम्बो-प्रोपोज़ल्ज़ तो ८ सितम्बर की स्थिति से भी अच्छी हैं, लिहाज़ा हमें उन को मान लेना चाहिये। इसका अर्थ क्या होगा ? इसका अथ यह होगा कि जिस भावना को ले कर हमारा देश एक आदमी की तरह, एक नेशन की तरह, खड़ा हो गया था, उस भावना को ब़ड़ी ठोकर लगेगी और उस के परिणाम क्या होंगे, डिफेंस आफ़ इंडिया रुल्ज़ के कारण मैं यह कहते हुए डर रहा हूं ।

श्री कमल नयन बजाज : वह माननीय सदस्य पर लागू नहीं होगा। माननीय सदस्य अपने विचारों को प्रकट करने में डरते क्यों हैं।

एक माननीय सदस्य : यहां पर उस का डर नहीं है

श्री बृज राज सिंह : आप जानते हैं कि उस का कितना भयंकर दुष्परिणाम होने जा रहा है। इस देश की यह शक्ति, शैटर हो जायगी, विखर जायगी। जो यूनिटी, जो एकता, हम ने अभी उस रेज़ोल्यूशन को पास करने के बाद कायम की थी, उस भावना को ठोकर लगने से वह नीचे चली जायगी।

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली) : क्या हमारी एकता इतनी कच्ची है ?

श्री बृज राज सिंह : सरकार ने उसको कच्चा बनाया हुआ है, उस को कच्चे धागे से बांध कर रखा है।

एक ही चीज़ को दो प्रकार से देखा जा सकता है। जब लड़ाई शुरु हुई, तो हमारे सुरक्षा मंत्री, श्री चह्वाण, ने हाथ में तलवार ले कर सौगंध खाई। उस वक्त वह तलवार सुन्दर थी, बहादुरी का प्रतीक थी। परन्तु कब कल जब माननीय सदस्य, श्री त्रिवेदी, ने तलवार का ज़िक्र किया और कहा कि हम तलवार से लड़ेंगे, तो माननीय सदस्या, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, बड़ी चिन्तित

और परेशान हो गईं। उन्होंने कहा कि इस युग में क्या तलवार से लड़ाई की जायेगी। जैसा कि मैंने निवेदन किया है, एक ही चीज़ को देखने के दो तरीके हैं। वह तलवार उस समय सिम्बल थी बहादुरी की और किसी विपरीत दल की ओर से तलवार की बात की जाती है, तो वह सिम्बल हो जाती है पागलपन की। तब यह कहा जाता है, "क्या यह तलवार का युद्ध है? हमारे त्रिवेदी जी कौन सी दुनिया में रह रहे हैं?"

जब राष्ट्रीय सुरक्षा कोष स्थापित किया गया, तो जब कभी रेडियो से एनाउन्स किया जाता कि अमुक अंधे भिखमंगे ने तीन आने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिये, तो हम कहते थे, "वाह, वाह" और बड़े प्रसन्न होते थे। जब रुलिंग पार्टी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ़ से, वह एनाउन्समेंट होती है, तो वह भिखमंगे का वह दान कर्ण का दान बन जाता है। और यदि वह हमारी तरफ से हो तो उसके लिये डफली बजाई जाती है और कहा जाता है कि क्या भिखमंगों के दान से लड़ा जाएगा, क्या उनसे पैसा ले कर लड़ा जाएगा, क्या भीख मांग कर लड़ा जाएगा। यह भावना की बात है जितनी बार भी मैं बोला हूं, मैंने इस भावना की कमी के ऊपर ही ज़ोर दिया है।

आज सवाल, कोलम्बो कांफ्रेंस ने हमारे सामने जो सुझाव रखे हैं, उनको मानने या न मानने का है। ठीक है, कि हम को उनको देखना पड़ेगा। लेकिन केवल आज उनके सुझाव आ जाने से और उनको कुछ अन्दर ही अन्दर मंजूर कर लिये जाने से, क्या हम यह समझ बैठें हैं कि वे ही हमारे दोस्त रह गए हैं? उनकी दोस्ती के दाव में और चूंकि उन्होंने हमारे मन की बात कही है कि लड़ाई न हो, शान्ति से काम चले, क्या हम इस बात को भूल जायें कि इस संसार भर में हमारे और भी मित्र हैं? उन सभी को हम मूल जायें? वे सभी हमारे लिये बेकार हो गये हैं? जिस वक्त लड़ाई चल रही थी, वैस्टर्न पावर्ज़ हमारी मदद के लिये आ रही थी तो हमारा नज़रिया शायद कुछ दूसरा था। और आज जिस वक्त कि कोलम्बो प्रोपोजल्ज़ हमारे सामने हैं, हमारा नज़रिया बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अपने मन की बात आपको बता सकता हूं। जिस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात का आश्वासन दिया था कि इन प्रोपोजल्ज़ को मंजूर करना या मंजूर न करना पार्लियामेंट का काम है, और पार्लियामेंट ही कोई अधिकृत निर्णय ले सकती है, और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, तो उस समय तीन चार प्रकार के असर तीन चार जगह गए होंगे, चीन के ऊपर भी उसकी प्रतिक्रिया हुई होगी, कोलम्बो कान्फ्रेंस के जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनके ऊपर भी उसकी प्रतिक्रिया हुई होगी और पाश्चात्य देशों के ऊपर भी हुई होगी और इन सब के साथ साथ देश के ऊपर भी उसकी प्रतिक्रिया हुई। इन सारी प्रतिक्रियाओं को हमने एक प्रकार से आज़ाद छोड़ दिया कि चाहे जो कोई जिधर जाए और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस बात को गिरा दिया। न तो वह ऐसा मोशन लाए कि कोलम्बो कान्फ्रेंस की प्रोपोजल्ज़ पास किए जाएं और न ही उन्होंने ऐसी स्थिति इस हाउस के सामने रखी कि वह उनको आउट-राइट रिजैक्ट कर सकता है। लाए नहीं, यह तो एक बात हुई है इसका नतीजा यह है कि रिजैक्ट यह हाउस नहीं कर सकता है क्योंकि मैजोरेटी उनके हाथ में है, ह्विप चलता है। दोनों स्थितियों में क्या होगा ——

श्री कमल नयन बजाज: ह्विप नहीं चला है।

श्री बृज राज सिंह: उसका सवाल नहीं है। आपको चाहिये था कि उस मोशन को लाते और इसको सदस्यों पर छोड़ देते और कोई ह्विप न चलाते और तब देखते कि हाउस क्या कहता है। हाउस का आदेश ही आपको मानना चाहिये था। लेकिन वह स्थिति नहीं आने दी गई। अब तो कंसिड्रेशन के लिये ही इसको सिर्फ रखा गया है और सोचा गया है कि कोई पाज़ेटिव मोशन न लाई जाए क्योंकि पाजेटिव मोशन आएगी तो ह्विप होगा और ह्विप इशू करके दबा दिया जाएगा। यह जो सारी स्थिति थी, इसको बचा लिया गया है।

[श्री बृज राज सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, एक आखिरी बात कह कर मैं समाप्त करता हूं । गीता की चर्चा यहां की गई है । नवम्बर में जो कसम हमने खाई थी उसमें कहा गया था कि स्वाभिमान और सम्मान को ठेस न लगे और अगर लगती है तो वैसा कुछ हम नहीं करेंगे ।

एक माननीय सदस्य : हो भी तो ।

श्री बृज राज सिंह : हमारे सामने के एक मित्र ने कहा है कि नाथपाई जी ने जो गीता की बार बार बात कही है, यह उनकी समझ में नहीं आता है । उन्होंने कहा है कि गीता की अहमियत समझ में आ सकती है, लेकिन क्या गीता हर जगह लाई जा सकती है और हर जगह लगाई जा सकती है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या केवल इसलिये नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि अपोजीशन बेंचों पर बैठने वाले किसी माननीय सदस्य ने उसका हवाला दे दिया है या उसके बारे में कह दिया है ? और क्या अहिंसा हर जगह लगाई जा सकती है । गीता के सब से बड़े पुजारी गांधी जी थे । उनकी अहिंसा जो उन्होंने गीता से ही निकाली थी क्या वह हर जगह लगाई जा सकती है, क्या वार में अहिंसा चल सकती है, उधर वार के लिये प्रेपरेशन की बात हो, तो क्या अहिंसा की बात को हम यहां सोच सकते हैं ? और अगर नहीं सोच सकते हैं तो गीता जिस में कहा गया है कि सम्मान रहित आजादी और उसके जो कोई माने हैं, उसका रेफ्रेंस जब दिया जाता है तो कहा जाता है कि गीता हर जगह फिट नहीं होती है ।

मेरा इतना ही निवेदन है कि नवम्बर, में जो हमने कसम खाई थी, उस कसम से एक इंच भी कहीं हम विचलित होते हों या किसी को शुबहा भी होता हो कि हम उससे विचलित हो रहे हैं, तो वैसे प्रस्ताव को हमें कभी नहीं मानना चाहिये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : यह कहना गलत है कि हमने चीनियों के सैनिक दबाव से डर कर ऐसा निर्णय किया है । यदि हमने डर के मारे ऐसा करना था, तो युद्ध विराम प्रस्ताव हम उसी समय स्वीकार कर लेते । वास्तव में डर की कोई बात ही नहीं है । हमने एक निर्णय किया था और हम उस पर कायम हैं ।

इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब कि एक विजेता, किसी क्षेत्र पर बलपूर्वक कब्जा करने के बाद अपनी इच्छा से वापस चला गया हो । वास्तव में चीन ने यह अनुभव कर लिया था कि वे वहां पर रह नहीं सकते और जो कुछ उन्होंने किया है उसे वे हजम नहीं कर सकते । उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि हमारे देश में इतनी एकता है । बाद में उन्हें अपने दुस्साहस का पता चला ।

चीन के आक्रमण में केवल देश की प्रतिरक्षा का सवाल नहीं, इस से बड़ी बात यह है कि चीनी आक्रमण तटस्थता की नीति पर आक्रमण था चीन इस आक्रमण द्वारा तटस्थता की नीति को जिसको हमने सफलतापूर्वक अपनाया है समाप्त करना चाहता था । किन्तु वह इस में बहुत असफल रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन ने अब शान्ति का मोर्चा शुरू किया है जो युद्ध के मोर्चे से कहीं खतरनाक है। हमने सावधान रहना है कि शान्ति के अतिक्रमण के क्षेत्र में भी चीन को सफलता प्राप्त न हो। कोलम्बो प्रस्तावों की स्वीकृति का अर्थ यह होगा कि चीन को उस मोर्चे पर भी हार हुई है। चीन उन्हें स्वीकार नहीं करेगा तथा उनसे कुछ परिणाम नहीं निकलेगा। हमें इस मामले में अपनी एकता को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिये।

इस से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी तैयारी करें। प्रधान मंत्री प्रशासन को सुधारें तथा भ्रष्टाचार और अक्षमता को दूर करें ताकि इस महान कार्य को किया जाये। किसी प्रकार की ढील नहीं आनी चाहिये।

जहां तक नेफा का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि हमारे दावे और कोलम्बो प्रस्तावों में कोई अन्तर नहीं है। अब हमारी सेना धोला मेकमोहन लाइन तक जा कर उन स्थानों पर कब्जा कर सकती है। मध्य क्षेत्र में भी हमारी सेनाओं के लिये कोई कठिनाई नहीं है।

सदन के सभी सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वे देश में उचित वातावरण पैदा करें।

†**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** (खम्मम) : ये हम नहीं है जो भयभीत हो रहे है। यह चीन है जो भयातुर हो रहा है। उसे हमारे आर्थिक विकास, प्रधान मंत्री के नेतृत्व, तटस्थता और विश्व के देशों के साथ हमारी मित्रता से डर पैदा हो गया है। विदेशी समाचार पत्रों में भी ऐसा कहा गया है।

मैं श्रीमती भंडारनायके और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। इस बात से कि चीनियों ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये हैं, यह प्रकट होता है कि चीन झगड़े को समाप्त नहीं करना चाहता। भारत की स्वीकृति से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, कि चीन भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा जमाये रखेगा। चीन अफ्रीकी-एशियाई देशों के प्रयत्नों की निन्दा करना चाहता है।

हमें अपनी प्रतिरक्षा मज़बूत बनाने के लिये समय चाहिये। राजनयिक क्षेत्र में हम यह भी देखना चाहते है कि मास्को और चीन के बीच सबन्ध क्या रूप धारण करते है। हमारे प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चीनियों को ७ सितम्बर, १९६२ की लाइन तक वापस जाना है और कि उन के साथ केवल प्रारंभिक मामलों पर बात चीत की जायेगी, हम नवम्बर, के संकल्प पर दृढ़ रहेंगे और अपनी प्रतिरक्षा को मज़बूत बनायेंगे। हमें यह नहीं समझना चाहिये कि हमारा अपमान हुआ है। चीन अपने सब प्रयत्नों में असफल रहा है और हमने मैदान जीत लिया है।

श्री रंगा द्वारा व्यक्त किये गये तटस्थता, तथा हमारी तैयारी न होने सम्बन्धी, विचारों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि तटस्थता ही हमारी तैयारी न होने का एकमात्र कारण थी। चूंकि हमारा इरादा किसी के राज्य-क्षत्र को हड़प लेन का नहीं था, इसलिए हमें यह आशा भी नहीं थी कि कोई देश हम पर हमला करेगा। पाकिस्तान से हमें ऐसा भय था, जिसके लिए हम तैयार थ।

परमाणु युद्ध के प्रसंग में पुराने हथियारों की कोई महत्ता नहीं है। इसीलिए पुरानी प्रकार के हथियार तैयार करना केवल अपने राष्ट्रीय वित्त पर बोझ डालना था। विश्व में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा]

दो विरोधी गट होने के कारण इस बात की सम्भावना ही नहीं थी कि कोई एक गुट वाला देश हम पर हमला करेगा। तटस्थ रह कर भारत की नीति दोनों गुटों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने की रही है। हम जानते थे कि दोनों विरोधी गुट अन्त में तटस्थ भारत को शांति स्थापना के लिए माध्यम बनायेंगे।

हमें यह भी विश्वास था कि समाजवादी देश कभी आक्रमण नहीं करेंगे। अपने, साम्राज्यवाद के साथ, लम्बे स्वतंत्रता संघर्ष के पश्चात् हमारा विचार था कि केवल समाजवाद ही एक अल्पविकसित देश के लिए राहत का उपाय है। परन्तु, आज हमें इस बात का अनुभव हो गया है कि एक तटस्थ राष्ट्र के लिये युद्ध को तैयार रहना, तुलनात्मक दृष्टि से और भी अधिक आवश्यक है।

कोलम्बो प्रस्ताव चाहे कुछ भी हों, परन्तु यह जो युद्ध हम पर ठोसा गया है इसके लिए हमें तैयार होना ही है। बेशक यह संघर्ष अधिक समय तक चलेगा। आध्यात्मक तल्लीनता के पश्चात् यह शारीरिक पक्ष पर जोर भारत के लिए अच्छा है। विश्व इस के बावजूद भी भारत की, शांति स्थापना के लिए उपेक्षा नहीं कर सकता।

†**श्री शिवशंकरन** (श्री पेरुमबुदूर) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, मैं कोलम्बो शक्तियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने चीन और भारत में, आपस में, शांति स्थापित करवाने का प्रयास किया।

कोलम्बो शक्तियों का उद्देश्य समझौता कराना न हो कर केवल ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है जिसे कि वह आपसी झगड़ों का हल ढंढ़ सकें। कोलम्बो प्रस्ताव मामले के गणावगुण के सम्बन्ध में नहीं हैं।

शांति स्थापित करने वाले किसी भी प्रस्ताव को ठुकराना नहीं चाहिए। इन पर शांति-पूर्वक तथा भावनारहित ढंग से विचार करना चाहिए। हम कोलम्बो शक्तियों की सद्भावना पर सन्देह नहीं कर सकते।

प्रधान मंत्री ने जो चीनी आक्रमण सम्बन्धी संकल्प संसद् में पेश किया था, उस अवसर पर संसद् सदस्यों द्वारा, जो कि जनता के प्रतिनिधि हैं, अपने अपने विचार व्यक्त किय गये। संसद् द्वारा, सारे संसार को, समस्त देश ने अपनी प्रतिक्रिया तथा दृढ़ता का परिचय दिया। मुझे हर्ष है कि प्रधान मंत्री का संकल्प संसद् ने पास किया। संसद् ने प्रधान मंत्री को आश्वासन दिया था कि देश तथा संसद् उन के साथ हैं। प्रधान मंत्री ने बार-बार स्पष्ट किया है कि देश के सम्मान तथा अखण्डता का बलिदान कर के चीन से समझौता नहीं हो सकता।

प्रधान मंत्री ने चीन की उपमा एशिया के तालाब में मगर से की। ऐसा कर के उन्होंने संसार को उस का वास्तविक रूप बताया है।

कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार, हमें चीन से निर्भय हो कर मिलना चाहिए। इस न्याय में विश्वास रखते हैं। न्याय तथा सच्चाई को जो आरम्भ में असफलताओं का सामना करना पड़ा है उन से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि राजनैतिक पाखंड सदैव विजयी होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु एक बात के लिए मैं अपना विरोध प्रकट करना चाहता हूं। प्रधान मंत्री ने ही कहा था कि कोलम्बो प्रस्तावों को वह संसद् के निणय के लिए पेश कर रहे हैं; अतः यह वास्तविक अधिकार संसद् के पास हैं। इस प्रकार उन्होंने लोकतंत्र का सम्मान किया था। परन्तु, आज हम क्या देख रहे हैं कि संस् के समक्ष जो प्रस्ताव लाये गये हैं वह प्रधान मंत्री द्वारा पहले ही सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिये गये हैं। यह खेदजनक बात है कि पहले प्रस्तावों को स्वीकृति दे कर प्रधान मंत्री अब उन्हें संसद् के समर्थन के लिए यहां लाये हैं।

डी० एम० के० की ओर से मेरा यह सुझाव है कि हम इन प्रस्तावों को इस आशा से विचारें कि सरकार हमारे देश के सम्मान तथा महान परम्पराओं का खण्डन होने नहीं देगी।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** (करनूल) : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या डी० एम० के० इन प्रस्तावों की स्वीकार भी करती है या नहीं?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह उन को स्वीकार करते हैं।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं विरोधी पक्षों के विचारों का भी स्वागत करता हूं, क्योंकि उन से लोगों का तथा सनिकों का नैतिक स्तर ऊंचा होगा। जो आलोचना इन पक्षों की की गई है या जो विरोध हुआ है उस के पीछे भी देशभक्ति की भावना निहित है। इन विचारों से प्रधान मंत्री को और भी सशक्त होने की प्रेरणा मिलेगी। लोगों को भी मालूम हो जायेगा कि जिन प्रस्तावों पर विचार हो रहा है उन के बारे में भिन्न भिन्न सदस्यों की क्या रायें हैं।

चीन ने हम पर हमला किया। वह अब भी हमारा शत्रु है, चूंकि वह आक्रमणकारी है। इस बातचीत से हम किसी प्रकार भी वचनबद्ध नहीं होते।

विरोधी पक्ष वालों ने कई बार कहा है कि क्यों कोई निश्चित प्रस्ताव पेश नहीं किया गया; या कोई संशोधन क्यों पेश नहीं किया गया। परन्तु हमें संसद् में की गई अपनी प्रतिज्ञा को भुलाना नहीं चाहिये। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार भी जो देश में एकता की लहर पाई जाती है उसे छिन्न-भिन्न किया जाये। हमारा एक एक व्यक्ति, नागरिक, और सरकार आज अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हैं।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह कोलम्बो प्रस्ताव लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केवल एक माध्यम-मात्र हैं। युद्ध में बातचीत निषिद्ध नहीं हुआ करती। इन प्रस्तावों को करार न समझ कर, हमें इन्हें बातचीत का आधार मान लेना चाहिए। हम अब भी युद्ध लड़ रहे हैं। हम ने उनका एक पक्षीय विराम स्वीकार नहीं किया।

युद्ध में भी स्थिति के अनुसार जनरल्ज पग उठाया करते हैं, जिन के समर्थन के लिए उन्हें हर बार संसद् की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने कोलम्बो प्रस्तावों को सिद्धांत रूप में स्वीकृति दे दी थी। ऐसे निश्चय स्वयं लेना सरकार का जन्मसिद्ध अधिकार है, जिस के लिए उन्हें संसद् के पास आने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने केवल परामर्श तथा तर्क के लिए इन प्रस्तावों को हमारे समक्ष ला कर उचित बात की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्यागी]

यह मामला केवल वर्गीय दृष्टिकोण से विचार करने का नहीं है । हम जनता के प्रतिनिधि होने के नाते सरकार के समक्ष देश का विचार तथा प्रतिक्रिया रख रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है ।

मैं तो विरोध का भी स्वागत करता हूं क्योंकि इस से जाहिर होता है कि विरोधी पक्ष वाले भी देश भक्ति की भावना से प्रेरित हैं। यह प्रस्ताव तो अस्थायी प्रकार के हैं, अतः इन का उद्देश्य शत्रु को खदेड़ना है । यदि वह नहीं हटेंगे तो अवश्य ही हम लड़ेंगे। मैं किसी प्रकार भी शत्रु को अपनी मातृभूमि पर रहने देने के पक्ष में नहीं हूं। हम अपने राज्य-क्षेत्र के मामले में सौदेबाजी नहीं कर सकते ।

हमें तटस्थ शक्तियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, जो केवल हमारी सहायता ही करने के लिए तैयार नहीं हैं, वरन् चीनी खतरे से स्वयं भी खबरदार हैं। मुझे विश्वास है कि उन्होंने ऐसा अनुभव किया है। चीन के विस्तारवादी इरादे को समझ जाना हमारे लिए लाभदायक है। चीनी साम्राज्यवादी हैं और विस्तारवादी हैं। उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते । वह सच्चे मानों में साम्यवादी भी नहीं हैं । संसार और भारत भी आज समझ गया हैं कि चीनी विश्वासघाती और झूठे हैं।

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी पीठासीन हुए]

परन्तु मैं इन प्रस्तावों का केवल सशर्त समर्थन करता हूं। मैं नहीं चाहता कि इन प्रस्तावों को मानते हुए हमें जनता के युद्ध सम्बन्धी जोश को ठंडा पड़ने देना चाहिए। सेना में भी हतोत्साह नहीं आने देना चाहिये। रक्षा सम्बन्धी हमारे प्रयत्न और भी बढ़ने चाहिएं। मेरे विचार में पूर्व में सरकार ने इस प्रयोजनार्थ सन्तोषजनक पग नहीं उठाये। अब, जब तक बातचीत जारी रहे, हमें समय का लाभ उठाना चाहिए। हम जानते हैं कि चीनी हटेंगे नहीं। इस स्थिति में युद्ध की तैयारी और भी तीव्र गति से होनी चाहिए। अब तक वह गति मन्द हो रही है ।

मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के प्रचार की गति और ढंग से सन्तुष्ट नहीं हूं, परन्तु प्रधान मंत्री को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने संकट काल में देशों के साथ कूटनीतिक सम्बन्धों में बहुत अच्छा कार्य किया है। वह इस संकट में योग्य सिद्ध हुए हैं। उदाहरणार्थ, तटस्थता की नीति को छोड़ने के लिए हमारे ऊपर काफी प्रभाव डाला गया परन्तु हम अटल रहे। यहां तक कि जो देश तटस्थ नहीं थे वह भी हमारी सहायता करने के इच्छुक हैं। रूस और अमरीका, दोनों से जिस प्रकार सम्बन्ध रखे गये हैं, उस पर मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं। केवल सूचना तथा प्रचार विभाग के कार्य से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह विदेशों में सूचना तथा प्रचार के कार्यों में अधिक ध्यान द।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

चीन के एकपक्षीय युद्ध-विराम के सम्बन्ध में हमें धोखे में नहीं आना चाहिये । वह पहले भी ऐसी चालें चल चुके हैं। यह युद्ध-विराम केवल अपनी कुछ कठिनाइयों के कारण उन्हों ने किया है ।

यदि भविष्य में किसी भी एशियाई देश पर कोई संकट आया तो हम अवश्य ही उन की हर प्रकार सहायता करेंगे ।

चूंकि हमारी सीमायें बहुत लम्बी हैं इसलिए अब हमें शांति का ही नारा न लगा कर युद्ध के लिए तैयारी करनी है ; और अपनी प्रवृत्तियों को भी इसी प्रकार बदलना है। शांति को आधार रूप में बेशक हम मानें ।

जब मेरा सम्बन्ध रक्षा मंत्रालय से था तो एक जनरल के पूछने पर मैं ने उसे कह दिया था कि वह शत्रु के राज्य-क्षेत्र में जा कर उस से लड़ सकते हैं। और उस जनरल ने अपनी नीति से बहुत सफलता प्राप्त की थी।

हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम शांति चाहते हैं, परन्तु आक्रमण होने पर हम युद्ध भी कर सकते हैं, और अपनी रक्षा कर सकते हैं। हमें इस प्रयोजनार्थ हर प्रकार के हथियार लाने चाहिएं। हमें केवल रक्षात्मक दृष्टि से अपने आप को तैयार करना, अथवा युद्ध करना नहीं है। हमें हमला करने के योग्य भी होना चाहिए। यदि एक क्षेत्र में हम पर हमला किया जाय तो इस को किसी अन्य क्षेत्र में हमला करना चाहिए। यदि ऐसा हो तभी हम देश की रक्षा कर सकते हैं।

मैं चाहता हूं कि सरकार युद्ध सामग्री तैयार करे और यद्ध के लिए तैयार रहे। अगर ऐसा होगा तो शत्रु हम पर हमला करने का साहस नहीं कर सकता।

हमें वार्ता करनी चाहिए परन्तु यद्ध की तैयारी करते रहना चाहिए। और हमें अन्य देशों को बताना चाहिए कि जब तक हमारी भूमि हम को नहीं मिल जाती, हम युद्ध करेंगे ; और यह कि हम उस प्रकार शांति चाहने वाले नहीं हैं जिस प्रकार हम को समझा गया है। हम युद्ध में पहल भी करेंगे। हमारे मित्र देशों से सहायता में ढील नहीं होनी चाहिए ; और हमारी तटस्थता की नीति हर सूरत में कायम रहनी चाहिए।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, हर स्थिति में लड़ना ही चाहिए, कोई मध्य का मार्ग और नहीं हो सकता है, मैं उस नीति से सहमत नहीं हूं। परन्तु साथ ही साथ शान्ति चाहे कैसे और कितनी भी महंगी कीमत पर खरीदनी पड़े, वह लेनी ही चाहिए, उस नीति से भी मैं सहमत नहीं हूं। मेरा अपना विश्वास है कि शक्ति और नीति जब दोनों साथ साथ मिल कर चलती हैं, तो ही विजय प्राप्त होती है। उपहार या भेंट में मिली हुई शान्ति किसी भी देश में टिकाऊ या स्थायी नहीं हो सकती हैं। पर शक्ति और नीति के आधार पर जब विजय प्राप्त की जाती है, तो उस में टिकाऊपन होता है, स्थायित्व होता है।

हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कुछ समय पहले इस बात की घोषणा की थी कि जब तक चीनी आक्रान्ता आठ सितम्बर की लाइन से पीछे नहीं जाता तब तक उस के साथ बात-चीत का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पंडित जी की इस घोषणा के पश्चात्, जो कि उन्हों ने कई बार इस सदन में और इस सदन से बाहर भी की, गवर्नमेंट के जिम्मेदार नेताओं, रेडियो ने, समाचार पत्रों ने और पार्लियामेंट के मेम्बरों ने भी इसी बात को स्थान स्थान पर जा कर दोहराया। इस से देश के मस्तिष्क में यह बात बैठ गई कि ८ सितम्बर की प्रधान मंत्री की घोषणा अंगद का पैर था, इसे अब कोई नहीं हिला सकता, यह एक झंडा हमारे स्वाभिमान का है, जोकि हम ने गाड़ दिया है, और इस से पीछे हटने का कोई सवाल ही अब पैदा नहीं होता। लेकिन जब ८ सितम्बर के इस प्रस्ताव से हट कर प्रधान मंत्री कोलम्बो प्रस्तावों को वार्ता का आधार सिद्धान्ततः मानते हैं तो उस देश में यह सन्देह पैदा होने लगा है कि कहीं जो झंडा हम ने गाड़ा था या अंगद के पैर की तरह की जो हम ने घोषणा की है, उस में इस वार्ता के आधार पर कोई कमजोरी तो नहीं आ जायेगी, यह झंडा हिलने तो नहीं लगा है।

परन्तु मैं इस से भी आगे बढ़ कर एक और बात प्रधान मंत्री जी के शब्दों में कहना चाहता हूं। यह गवर्नमेंट का ही पब्लिकेशन है "चीन की चुनौती हमें स्वीकार है"। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के शब्दों को मैं आज स्वयम् पढ़ूं और उन्हें सुनाऊं। उन्हों ने अपने भाषण में यह कहा था :

> "कोई भी स्वाभिमानी देश, जो अपनी स्वतंत्रता और अखंडता से प्रेम करता है, इस चुनौती के आगे घुटने नहीं टेक सकता। निस्सन्देह, हमारा यह प्यारा देश भारत

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

भी अपना सिर कभी नहीं झुकायेगा, चाहे कुछ भी हो । हम इस चुनौती को इस के सारे नतीजों के साथ स्वीकार करते हैं ।"

प्रधान मंत्री जी यह शब्द आप के थे, और इन शब्दों के पश्चात् अब ८ सितम्बर की बात से हट कर कोलम्बो प्रस्तावों को आधार मान कर हम बातचीत का एक पृष्ठ खोलते हैं तो हमारे मस्तिष्कों में सन्देह होता है कि देश में जो एकता और बलिदान की भावना आई है कहीं वह हिल न जाय, उस में कोई कमी न आ जाय ।

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि पहिले तो चीन इन सारे कोलंबो प्रस्तावों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेगा या नहीं इस के संबंध में ही अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । लेकिन इस से भी आगे बढ़ कर मैं जो अगली बात कहना चाहता हूं वह यह जो कुछ आप ने इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में कहा वह चतुर राजनीतिज्ञों का काम नहीं हुआ । माननीय त्यागी जी अभी कह रहे थे कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपने कार्ड्स अच्छी तरह से दूसरे देशों के सामने पेश किये हैं । लेकिन मैं बड़ी नम्रता से उन के सम्मान और उन की सूझ बूझ पुरानेपन की सराहना करते हुए कहना चाहता हूं कि चतुर खिलाड़ियों का यह काम भी नहीं है कि वह अपने कार्डस पहले खोल कर रख दें । चतुर खिलाड़ियों का काम तो यह होता है कि दूसरों के काड्र्स पहले खुलवायें उस के पश्चात् अपने काड्र्स खोल कर रक्खें । हम ने जो घोषणायें समय समय पर कीं कि हम अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाना चाहते हैं, कोलम्बो प्रस्तावों को वार्ता का आधार मान लेंगे । यह ठीक नहीं । डर है कि कहीं ८ सितम्बर की बात पर ही जा कर टिक न जायें और वही वार्ता का आधार और अन्तिम रेखा न बन जाये ।

आज स्थिति यह है कि अभी तो चीन इन प्रस्तावों को मानने के लिये तैयार नहीं है, लेकिन अगर वह उन को मान भी लेता है तो हमें लाल डिक्शनरी पर भरोसा नहीं करना चाहिये । पता नहीं कि वह कल शब्दों के दूसरे अर्थ क्या लगायेगा । लाल डिक्शनरी वालों की ही बात यह देखिये कि जब चीन ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया तो उस ने उसी डिक्शनरी से व्याख्या यह की कि चीन ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण नहीं किया है, बल्कि पंचशील का उल्लंघन भारत की ओर से ही किया गया, और भारत ने ही चीन के ऊपर आक्रमण किया है । आज अगर चाइना इन प्रस्तावों पर टिक भी जायेगा तो कल वह उस की व्याख्या क्या करेगा इस के ऊपर किस प्रकार विश्वास किया जा सकता है ।

दूसरी सब से बड़ी बात यह है कि जिन छः राष्ट्रों ने इन प्रस्तावों को हमारे सामने उपस्थित किया है उन की बात को आज भी चीन मान भी लेता है और उस के आधार पर वार्ता आरम्भ हो जाती है, लेकिन दूसरे दिन ही अगर वह इन प्रस्तावों से मुकर जाता है तो इन छः राष्ट्रों के पास शक्ति है जिस से वे उस को विवश कर सकें । हां, यदि संयक्त राष्ट्र संघ की ओर से मध्यस्थता हुई होती, रशिया की ओर से मध्यस्थता हुई होती, अमरीका की ओर से मध्यस्थता हुई होती, जिन के पास मनवाने की शक्ति है, तो बात समझ में आ सकती थी । लेकिन यह तो ऐसे राष्ट्रों की बात है जो कि अभी तक चीन को आक्रान्ता घोषित नहीं कर सके, प्रस्तावों के एक एक शब्द के लिए उन्हों ने चीन का मुंह देखा है वे छः राष्ट्र इस बात को मनवाने के लिए चीन को विवश कर सकेंगे, मुझे इस में सन्देह दिखाई देता है ।

एक और इस से भी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हम अपना आदर्शस्वरूप दुनियां के सामने उपस्थित तो करना चाहते हैं, लेकिन प्रधान मंत्री जी, मैं बड़ी नम्रता से कहना

चाहता हूं कि दुर्बल आदर्शवाद कभी हानि का कारण भी हो जाता है। कहीं ऐसा न हो कि इस दुर्बल आदर्शवाद के चक्कर में आ कर हम अपने पुराने मित्रों से भी हाथ धो बैठें। हमारे दो मित्र हमारे सम्पर्क में आये। एक तो वह मित्र थे जिन्हों ने आज हमारी विपत्ति की बात सुनी और कल अपनी मदद ले कर हमारी धरती पर पहुंच गया, दूसरा वह मित्र है जिन्हों ने हमारी विपत्ति की बात सुनी और पहले दिये आश्वासन की परवाह किये बिना यह कहता रहा कि हम भी सहयोग देने आ रहे हैं पर युद्ध विराम हो गया और उन का सहयोग भारत में नहीं पहुंच पाया।

अब जिन्हों ने हम को सहयोग दिया उन के सहयोग की बात मैं भी कहना चाहता हूं कि कल जिस समय कश्मीर का सवाल आया तो हम ने यह सुना और इस की समाचार पत्रों में भी चर्चा थी, कि अमरीका और ब्रिटेन की ओर से प्रेशर डाला जा रहा है कि हिन्दुस्तान को कश्मीर की समस्या को पाकिस्तान के साथ सुलझा लेना चाहिए, और शायद वे इसी शर्त पर हमें शस्त्र और हथियार देना चाहते हैं। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिन्हों ने इस सदन के बाहर भी इस बात की घोषणा की, और आज यहां भी यह कहना चाहता हूं, कि अगर अमरीका और ब्रिटेन बांये हाथ से हमें हथियार दे और दायें हाथ से कश्मीर को ले कर जनरल अय्यूब की जेब में डालना चाहें, तो हिन्दुस्तान अपनी मौत मरना पसन्द करेगा, लेकिन उन के हथियार लेना पसन्द नहीं करेगा।

लेकिन जहां मैं यह कहता हूं वहां साथ ही साथ दूसरी बात भी कहता हूं। रूस जिस आधार पर सहयोग का आश्वासन हमें दे रहा है जिस के लिए ईस्ट जर्मनी का मि० ख्रुश्चेव का कम्यूनिस्ट कान्फ्रस का यह भाषण क्या हमारी आंख खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है, जोकि उन्हों ने लाल चीन के प्रतिनिधि को संकेत करते हुए दिया था। मि० ख्रुश्चेव ने कहा कि चीन ने इस समय हिन्दुस्तान पर हमला कर गलती की है ऐसा समय हमला कर के उस ने अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिज्म को हानि पहुंचाई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मि०ख्रुश्चेव का यह अभिप्राय है कि हमला तो करना चाहिए था लेकिन इस समय नहीं करना चाहिए था? क्या मि०ख्रुश्चेव का यह अभिप्राय है कि इस समय हमला कर के चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिज्म को नुक्सान पहुंचाया है ? जो अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिज्म हिन्दुस्तान में पनप रहा था या फैल रहा था, मि० ख्रुश्चेव को लगा कि चीन के इस आक्रमण से उस अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिज्म को फैलाने में नुक्सान हुआ ? प्रधान मंत्री जी, जहां हम इस बात से सहमत हैं, उस का हृदय से समर्थन करते हैं कि भारत को किसी सैनिक गुट में नहीं मिलना चाहिए, वहां साथ ही साथ हम यह भी विश्वास करते हैं कि हिन्दुस्तान की धरती पर, चाहे माऊ त्से तुंग हो हृदय से उनकी नीति में विश्वास करते हैं, चाहे ख्रुश्चेव हों, या फिर हिन्दुस्तान का बड़े से बड़ा कोई नेता हों, अगर वह अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट संगठन को पैर फैलाने का मौका देंगे तो भारत की जनता उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती। मि० ख्रुश्चेव का यह भाषण हमारी आंख खोलने वाला है।

इसके बाद मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कोलम्बो प्रस्तावों में पहली कमजोर बात यह है कि जो चौकियां हमारी रही हैं उनमें से कुछ चौकियां हमें अब छोड़नी पड़ेंगी जो कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से और सैनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह कि कल तक तो हम यह कहते आये हैं कि भारत की एक एक इंच धरती भी चीन को नहीं देंगे, लेकिन अगर यह मान लिया जाये चाहे, थोड़े समय के लिये ही सही हम कोलम्बो प्रस्तावों को आधार मान कर बातचीत आरम्भ करते हैं और इस बात को भी मान लेते हैं, कि इतनी आधी चौकियों पर उनकी पुलिस बैठेगी और शेष चौकियों पर हमारी पुलिस बैठेगी, तो क्या यह राष्ट्र की प्रतिष्ठा के अनुकूल होगा ? लेकिन इससे भी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि जहां पर भी युद्ध विराम अब तक हुआ है, क्या उस युद्ध विराम रेखा को किसी ने पार किया? कोरिया में युद्ध विराम हुआ, हमारे देश में युद्ध विराम हुआ काश्मीर में, इजिप्ट और वियतनाम में युद्ध विराम हुआ। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ।

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

हमें सन्देह है कि कोलम्बो प्रस्तावों के आधार पर जो रेखा खींच ली जायेगी. कहीं वह रेखा ही अन्तिम न बन जाये। कहीं ऐसा न हो कि आगे चल कर फिर उस लक्ष्मण रेखा को लांघा न जा सके। क्योंकि हमारी जो वर्तमान सरकार है वह लड़ाई में तो विश्वास करती नहीं है, वह तो चाहती है कि शान्ति से ही समस्याओं को सुलझाया जाय। क्या हम यह विश्वास करें कि जिस चीन ने आक्साई चिन जैसे सैनिक महत्व का भाग हमारा ले रखा है, जो नेफा लोंग्जू और थांगला इन दो चौकियों को छोड़ने के लिये तैयार नहीं है, कल वह हमारी इन बातों को स्वीकार कर लेगा? क्या कल कोई और हमारे अनुकूल वातावरण बन जायेगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि पूर्वी क्षेत्र के दो भागों के सम्बन्ध में अभी स्थिति अस्पष्ट है, लेकिन मध्य क्षेत्र के सम्बन्ध में क्या हुआ ? हमारी सरकार को पता नहीं क्या हो गया है कि गलत या सही जब किसी भी बात को मनवाना चाहती है तो उसके लिये वातावरण बनाना शुरू कर देती है। अभी दो तीन दिन से आल इंडिया रेडियो की पालिसी भी कुछ बदल गई है। बड़ा होती के सम्बन्ध में सरकार ने कहना शुरू कर दिया है कि वहां तो जाड़ो में हम रहते ही नहीं थे। झगड़ा पहले से ही चला आ रहा है आश्चर्य है हम स्वयं इन बातों को कह रहे हैं। कल फिर इन्हीं बातों को लेकर चीन अपने क्लेम रखेगा उस समय हम उसका क्या उत्तर दे सकेंगे ? भारत सरकार की नीति यह है कि वह पहले से अपने अनुकूल वातावरण बनाती है रेडियो से घोषणा करके और भाषणों में भी बार बार उसे कहते चले जाते हैं। इस समय तो हमारी एक ही नीति होनी चाहिये जैसा कि कुछ समय पहले हमारे नये प्रतिरक्षा मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण ने कहा था। जिस समय श्री चव्हाण प्रतिरक्षा मंत्री बनाये गये उसी दिन चीन के साथ सहस युद्ध विराम भी हुआ। जिस समय प्रतिरक्षा मंत्री से एक सार्वजनिक सभा में चीन के युद्ध विराम के सम्बन्ध में पूछा गया कि उनका उसके सम्बन्ध में क्या कहना है तो उन्होंने बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण भाषा में उत्तर दिया . . कि चीन के युद्ध विराम के पीछे उसका क्या भाव या रहस्य है, इसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन इस बात को मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि हमारा भाव यह है कि हम अपनी धरती पर चीन को नहीं रहने देंगे। मैं चाहता हूं कि यही हमारे हर नेता के सोचने का ढंग होना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने संसद के कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की एक मीटिंग में भाषण दिया। मैंने समाचार पत्रों में उसे पढ़ा। प्रधान मंत्री ने कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को कहा कि हमें गम्भीरता से निर्णय लेना है, हमें जहां वर्तमान को देखना चाहिए वहां हमें भविष्य को भी देखना चाहिए। पर मैं प्रधान मंत्री से कहना चाहता हूं कि वर्तमान को देखना तो ठीक ही है, भविष्य को भी देखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अतीत को भी जरूर देखना चाहिए, आप जिस प्रस्ताव को वार्ता का आधार बनाने के लिए जा रहे हैं क्या आपने स्वयं चीन के नेताओं से पहले बातचीत नहीं की थी; चाऊ एन लाई के साथ बैठ कर सीमा विवाद पर अनेकों बार क्या चर्चाएं नहीं हुईं ? इसी प्रकार क्या आपके अधिकारी भी बार बार उनसे बातचीत करने के लिए नहीं गए ? पांच लाख से ज्यादा शब्दों के विरोध पत्र आपने चीन को भेजे, लेकिन उनका भी क्या कोई परिणाम निकला। न आपकी बातचीत का कोई परिणाम निकला। फिर आप यह कैसे विश्वास करते हैं कि कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार करने के बाद जो वार्ता होगी उसका कोई अच्छा परिणाम निकलेगा। इसी से तो मेरा निवेदन है कि आपको भूतकाल को भी न भूलना चाहिए।

३० अक्तूबर को चीन ने हम पर हमला करके हमें अपने शक्ति जाल में फांसना चाहा, युद्ध विराम की घोषणा करके फिर उसने हमको अपने नीति जाल में फंसाना चाहा, कोलम्बो प्रस्तावों के बाद अब वह हमको अपने नीति जाल में फंसाना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस शक्ति जाल, नीति जाल तथा शब्द जाल से भी बढ़ कर चीन के पास एक और जाल है और वह माया जाल क्या है ?

वह इस बात के बहाने फरवरी के अन्त तक समय टालना चाहता है। उसके बाद धीरे धीरे गरमी आ जाएगी। चीन यह समझता है कि इधर हमारी बातचीत का नतीजा यह होगा कि हिन्दुस्तान की सरकारी तैयारियों में भी ठंडक आ जाएगी और जनता में भी उदासी आ जाएगी। सरकार के बारे में तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जनता में इस बातचीत की चर्चा में ठंडक आनी आरम्भ हो गयी है। इस प्रकार चीन अपने उद्देश्य में कुछ हद तक कामयाब हो गया है।

इस अवसर पर मैं सरकार का ध्यान एक सिपाही के शब्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। गढ़वाल का एक सिपाही अपने भतीजे को बरेली में भरती करवाने लाया था। उस सिपाही की आयु सत्तर बहत्तर साल की होगी। मैंने उससे प्रश्न किया कि तुम इतनी दूर इस लड़के को भरती करवाने क्यों लाये हो, तुम इसको लैंसडाउन में भरती करवा सकते थे। उसने कहा कि मैं इसको यहां इसलिये लाया हूं कि वहां मेरे घर वाले रोते हैं क्योंकि इस लड़के के पिता का नेफा में देहान्त हो चुका है। मैंने उस वीर सैनिक को ऊपर से नीचे तक देखा, उसका भाई नेफा में मारा जा चुका है, उसके भाई की पत्नी विधवा हो कर घर में बैठी है और यह उसके पुत्र को फिर फौज में दाखिल कराने लाया है। मैंने उससे प्रश्न किया कि तुम्हारा भाई मारा गया. उसकी पत्नी विधवा हो गयी, पर तुम्हारे चेहरे पर कोई दुख का चिन्ह नहीं दिखायी देता। उसने कहा कि मेरा भाई मारा गया इसका मुझे दुःख नहीं क्योंकि वह कोई चोरी डकैती में तो नहीं मारा गया, वह देश की रक्षा के लिये ही तो मारा गया है यह उसने मुझसे कहा कि आप प्रधान मंत्री जी से जाकर मेरी तरफ से कह देना कि मुझे इस बात का दुःख नहीं कि मेरा भाई मारा गया, उसकी पत्नी विधवा हो गयी, और अगर मेरा यह भतीजा भी देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाएगा तो मुझे दुःख नहीं होगा, लेकिन मुझे दुःख तब होगा जब हिन्दुस्तान की सरकार शत्रु के सामने झुक कर कोई समझौता कर लेगी। उस सेवा निवृत्त वृद्ध की भावना है। मैं चाहता हूं कि आप इस भावना को रियलाइज करें। हमारे जो जवान नेफा में शहीद हुए हैं आज उनकी आत्मायें आकाश से आपकी ओर देख रही हैं। नेफा की पहाड़ियों पर शहीद हुए हैं सैनिकों के खून से वहां की पहाड़ियां अभी गीली हैं। जिन भावनाओं के अधीन उन्होंने अपना बलिदान किया उनको प्रधान मंत्री को कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार करते समय अपने ध्यान में रखना होगा।

पहिले भी विभाजन का इतिहास हमारे देश के लिए बड़ा अहितकर रहा है। एक समय ऐसा आया कि हमने अपने देश से पंजाब और बंगाल के भागों को छोड़ा। फिर काश्मीर का एक तिहाई भाग और हमारे हाथों से निकल गया। हमने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ५५ करोड़ रुपया पहिले दिया और ८४ करोड़ रुपए देने का अब लिखित वादा किया, नदियों का पानी दिया, बिजली घरोंकी बिजली दी। लेकिन आज फिर वह जनमत के नाम पर अड़ा है और काश्मीर पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार बताता है। मुझे खतरा है कि कहीं हमारी इसी नीति के कारण वह लाइन जो कोलम्बो प्रस्तावों में है स्थायी रेखा न बन कर रह जाए और भारत को दुर्भाग्य से वह दिन देखना पड़े। मैं यह इसलिए कहता हूं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है।

एक अन्तिम बात कह कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात का ध्यान अवश्य रखे कि जिन मित्र राष्ट्रों ने विपत्ति के समय हमको सहयोग दिया उनकी इन कोलम्बो प्रस्तावों के प्रति क्या प्रतिक्रिया हैजानी जाये। जो विपत्ति में हमारे साथी रहे हैं, यह नैतिकता का भी तकाजा है और यह नीति का भी कि हम उन से इस मामले में राय लें।

यहां गीता की भी कई बार चर्चा हुई। मैं यहां उन शब्दों को दुहराना नहीं चाहता जिनको कह कर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर कर गांडीव उठाया था। मैं तो केवल एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस समय अर्जुन ने मोह में आकर यह कहा कि भले ही ये

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

लोग मुझे मार दें तो अच्छा है, मैं तो पाप का भागी नहीं बनूंगा, आने वाली पीढ़ियां या संसार मुझे क्या कहेंगा। यह कह कर अर्जन ने गांडीव रख दिया। उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन से सब से पहली ही बात यह कही थी कि

कुतस्त्वा कश्मलभिदं विषमे समपस्थितम्

इसमें आप "कहा विषमे" शब्द पर ध्यान दें। उन्होंने अर्जुन से कहा कि इस गलत स्थान पर तेरे मस्तिष्क में यह कमजोरी कैसे पैदा हो गयी। यदि तुझे यही करना था तो युद्ध से पहले बताना था। जब युद्ध की चर्चाएं चल रही थीं उस समय मुझे यह बात बतानी थी। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि आज जब हमारे हजारों जवान मारे जा चुके हैं, जब नेफा की पहाड़ियां हमारे जवानों के खून से रंगी जा चुकी हैं और गंगा यमुना उनके खून से लाल हो कर आ रही हैं, उस समय कोई भी दुर्बलता की बात करना पस्थितियों के प्रतिकूल होगा और उसका अच्छा प्रभाव नहीं होगा।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मु तथा काश्मीर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वतन्त्र दल तथा जनसंघ के सदस्यों की आलोचना को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने न केवल इन प्रस्तावों की आलोचना की वरन् उन राष्ट्रों की भी आलोचना की जिन्होंने ये प्रस्ताव पेश किये हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यदि चीन कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करता है तो ये राष्ट्र उसे वैसा करने के लिये किस प्रकार बाध्य कर सकते हैं? मेरा निवेदन है कि आज सैनिक शक्ति ही सब कुछ नहीं है। उन्होंने जिस भावना से यह सम्मेलन आयोजित किया और ये प्रस्ताव तैयार किये उनकी चीन सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकता है।

मैंने आज के समाचार पत्र में यह पढ़ा कि जम्मू की प्रजा परिषद के प्रधान ने श्री नेहरू के विचारों पर खेद प्रकट करते हुए यह कहा है कि उनसे जम्मू तथा काश्मीर के देशभक्त लोगों को बहुत धक्का पहुंचा है जिनके पूर्वजों ने लद्दाख के लिये अपने जीवन की आहुति दी थी। मेरा निवेदन है कि हमें इस समय की परिस्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिये। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि चूंकि हमारे पूर्वजों ने कुछ किया था इसलिये हमें वैसा ही करना चाहिये।

यह कहा गया कि इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने से यह समझा जायेगा कि भारत ने हार मान ली है। जहां तक इस देश के नागरिकों का सम्बन्ध है, वे जानते हैं कि हम एक इंच भूमि भी किसी आक्रामक को नहीं देंगे। परन्तु वे यह भी समझते हैं कि जब तक युद्ध का वातावरण ख़त्म नहीं होगा तब तक हम आर्थिक प्रगति नहीं कर सकेंगे जो कि समाजवादी समाज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आवश्यक है।

जहां तक सैनिक चौकियों की स्थापना तथा सैनिक नीति की आलोचना का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि उसका निर्णय हमें अपने सैनिक अधिकारियों पर छोड़ देना चाहिये। केवल नक्शों के अध्ययन के आधार पर हम सही जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये हमें अपने अधूरे ज्ञान के आधार पर सैनिक नीति में परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं देने चाहिये।

अन्त में मैं उन छै मित्र देशों के प्रति आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने बड़ साहस से ये प्रस्ताव पेश किये हैं। इस सम्बन्ध में संयुक्त अरब गणराज्य के प्रधान मंत्री श्री अली साबरी के प्रयत्न विशेष रूप से सराहनीय हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बाकर अली मिर्जा : (वारंगल) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के सदस्यों ने इन प्रस्तावों के प्रति असहमति प्रकट की है। यह धारणा सर्वथा गलत है कि ये राष्ट्र चीन के हाथ के खिलौने हैं तथा उन्होंने चीन के आदेशानुसार ये प्रस्ताव पेश किये हैं। यदि ऐसा होता तो फिर चीन उनको अस्वीकार क्यों करता ?

फिर स्वतन्त्र दल और प्रजासमाजवादी दल के सदस्यों ने कहा कि हमें अमरीकी गुट में शामिल ो जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि अमरीका ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि तटस्थता सर्वोत्तम नीति है। रूस का हमारी सहायता करना इसका प्रमाण है। परन्तु यदि हम अमरीकी गुट में होते तो एक विश्वव्यापी युद्ध छिड़ गया होता। इस प्रकार हमारी तटस्थता की नीति हमारे लिये लाभकर रही है। अमरीका तथा रूस दोनों ही हमारी सहायता करना चाहते हैं क्योंकि वे चीन को नहीं बढ़ने देना चाहते हैं क्योंकि उसकी जन-शक्ति उनके लिये एक बड़ा ख़तरा है।

यह भी कहा गया कि हमें युद्ध जारी रखना चाहिये। मेरा निवेदन है कि यहां हमें भावना में न बह कर यह विचार करना चाहिये कि क्या युद्ध करना देश के लिये हितकर होगा? मैं समझता हूं कि यदि भारत और चीन आपस में लड़ते रहगे तो हम संसार के अन्य देशों से बहुत पिछड़ जायगे। इसी प्रकार जहां तक बातचीत करने का सम्बन्ध है, उसमें कोई बरी बात नहीं है क्योंकि यदि शर्तें हमें स्वीकार नहीं होंगी तो हम बातचीत ख़त्म कर सकते हैं। यह कहना भी ठीक नहीं है कि ८ सितम्बर की लाइन अस्थिर है। यदि उसमें थोड़ा सा हेर-फेर करके चीन को सन्तुष्ट किया जा सके तो मैं उसमें कोई हानि नहीं समझता हूं।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि हमें युद्ध का उन्माद नहीं उत्पन्न करना चाहिये क्योंकि उससे किसी को लाभ नहीं होगा। अतः हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री बिशनचन्द्र सेठ (एटा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना व्याख्यान शुरू करने से पहले आप के सामने एक उपमा रखना चाहता हूं। गीता का तो बहुत जिक्र आया है, लेकिन मैं रामायण की एक बात की याद दिलाना चाहता हूं

भगवान राम जंगल में बैठे हैं और भगवती राजरानी सीता पास में बैठी हैं। इन्द्र का पुत्र, जयन्त, कौए के रूप में आता है और भगवती राजरानी के पैरों में अपनी चोंच मारता है। अगर आज के कानून की नज़र से यह बात देखी जाए, तो इसका मकदमा चलना चाहिए और बहुत मुमकिन है कि उसको एक हफ़्ते की सज़ा हो जाए। परन्तु भगवान राम ने, जो कि हमारे देश की परम्परा के प्रतीक हैं, जब उस का जजमेंट दिया, तो यह कहा कि इसने जो अपराध किया है, उसके लिए तो इसको मृत्यु-दंड देना चाहिए, इसको मौत की सजा मिलनी चाहिए। मैं इस विषय में बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब जयन्त की सारी खतायें माफ़ की गईं, तब भी उसको यह सज़ा दी गई कि भगवान ने अपने तीर से उसकी एक आंख निकाल दी।

मैं इस उपमा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह की स्पीचिज़ कांग्रेस बैंचिज़ की तरफ से हुई हैं, दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है, कि ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से सज्जनों ने अपनी आत्मा की बात को अन्दर ही अन्दर दबा लिया है, उस पर पर्दा डाल कर कुछ और ही बोलने की चेष्टा की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चीन जिस समय हटा तो हमारे देश और सारे संसार ने अनुभव किया कि आक्रमण करने के बाद वह स्वतः हटा इसके अन्दर कुछ भारी राज़ है। आज चीन से सामझौते के बारे भी जो चीज़ सामने आती है, उसें देख कर मुझे आश्चर्य होता है। ऐसा क्यों है? अभी श्री बाकर अली

[श्री बिशनचन्द्र सेठ]

मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि मैकमेहन लाइन के बिल्कुल पैरेलल वह चला जाएगा। नेफा यह ठीक हो सकता है। लेकिन लद्दाख को शायद वह भूल गए। वहां पर सोलह हज़ार वर्ग मील हमारी भूमि आज भी ३६ के कब्ज़े में है।

सारी चर्चा जो इस समय चल रही है उसका बहुत साफ यह अर्थ मालूम पड़ता है कि इस सारे झमेले में, इस सारी वार्ता के बाद जो ज़मीन चीन ने दबा ली वह आपको वापिस नहीं आएगी और चर्चा खत्म हो जाएगी। श्री नाथपाई जी के भाषण को पकड़ कर कहा गया है कि उन्होंने पहला फ्रेज़ ही यह इस्तेमाल किया कि हम शान्ति से नैगोशिएशन करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी कायदे का इंसान इस दुनिया में नहीं होगा जो चाहता हो कि लड़ाई हो या लड़ाई की जाए। अपनी आजादी कायम रखने के लिए जो आदमी बार बार यह कहे, हर बात के पहले फ्रेज़ में ही कहे कि हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, हम शान्ति को मान्यता देंगे तो मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उसको कायर ही कहा जाएगा। आज हमारे सामने बड़ी क्लीयर पोज़िशन है। दुनिया देख रही र कि अगर हम ने इस तरह की किसी भी परिस्थिति को मान्य किया, तो देश के अन्दर, जैसा हमारे एक पूर्व वक्ता ने कहा, उत्साह में कमी आ जमाएगी। सारे देश के अन्दर जो लहर पैदा हुई थी सारा देश जो एक सूत्र में बंध गया था, छिन्न भिन्न हो जाएगा, अथवा एकता खंडित हो जाएगी। जब देश में मज़बूती नहीं होगी तो चाइना की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। वह तो बहुत बड़ी लड़ाई र। मैं कांग्रेस वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी महता को ध्यान है में रखें और देश के उत्साह में कमी न आने दें, देश में एकता को बनाये रखें मैं एक और निवेदन कर देना चाहत हूं। जो बेरूबाड़ी के सम्बन्व में है। बेरूबाड़ी पाकिस्तान को दे बिया गया। ऐसा प्रतीत होता था कि बहुत से लोग, विशेषतः जो हमारे बंगाल के भाई हैं, वे इसका पूरा विरोध करेंगे। विरोध हुआ भी। इसका विरोध बंगाल लैजिस्लेचर में भी किया गया है परन्तु अन्त में क्या हुआ। बेरूबाड़ी दे दिया गया। बेरूबाड़ी दे देने के बाद भी क्या हुआ है, यह मैं आपको बतलाना ाहता हूं। अभी एक दो दिन हुए एक प्रश्न मैंने यहां पर किया उसका उत्तर मेरे पास है। यह प्रश्न INDIAN POLICE PERSONNEL KIDNAP-PFDBY PAKISTAN के सम्बन्ध में है। इसका जवाब जो दिया गया उसका एक पार्ट मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। Ten police personnel and seven civilians were arrested by Pakistan Rangers when the Indian party went in pursuit of Pak. Raiders

एक माननीय सदस्य : इसका कोलम्बो कांफ्रेंस के प्रस्ताव से क्या सम्बन्ध है।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : मैं सीधे उसी पर आ रहा हूं, इधर उधर नहीं जा रहा हूं। यह चीज़ बताती है कि पाकिस्तान के साथ जितनी भी मुलायमियत हम कर सकते थे, की लेकिन उसका फल बताता कि किस तरह से हमें अपनी हंसाई या ह्यमिलियेशन बरदाश्त करनी पड़ती है। सारी बातें होने के बाद भी आज पाकिस्तान किस तरह का बरताव हमारे साथ कर रहा है, हर रोज़ हमारी टैरिटरी पर, हमारे आदमियों पर हमला कर रहा है, वह आपके सामने है। कोई न कोई बात रोज़ होती है। किसी भी दिन के अखबार को आप देख लीजिये, कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। अब कैसे यकीन कर लिया जाए कि जिस चीन ने इस तरह का व्यवहार हमारे साथ किया, वह आगे ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। आदरणीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू कैसे तसल्ली कर रहे हैं कि आगे इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है।

कोलम्बो प्रोपोज़ल्स दुशाले में चढ़ा कर लाई गई हैं। इनके बारे में जो स्पीचिज़ हुई हैं, उनसे ज़ाहिर होता है कि उनको मानने के लिए सरकार तैयार बैठी है। कुछ सज्जनों ने कहा है कि सिर्फ डिसकशन करना है। मुझे माफ किया जाए अगर मैं यह कहूं कि आप भी पार्लियामेंट में चुन कर आए हैं और हम भी चुन कर आए हैं हमें पता है कि जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं करते हैं उसको देखते हुए कैसे यकीन कर लिया जाए कि सौ फीसदी आप उनको कबूल नहीं कर लेंगे। उसको आपने सौ फीसदी कबूल करने की शक्ल में पार्लियामेंट के सामने रखा है।

मैं त्यागी जी से एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ और ईमानदारी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब से एक बात कही है . . . .

एक माननीय सदस्य : महाबीरी के साथ कही है।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : जी हां। मैंने आदरणीय प्रधान मंत्री जी के सामने मुल्क की फतह की एक बात कही थी। वहां पर हमारे जनरल्स भी बैठे हुए थे। वहां मेरी बात को उन्होंने लगने नहीं दिया। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं कि सीमा पर जो हमारी पुलिस है वह मुंतज़िर है हुक्म की। उन्हें बताना पड़ता है कि क्यों उन्होंने बन्दूक चलाई। त्यागी जी ने ठीक बात कही कि जब एक जनरल ने उनको टैलीफोन किया और पूछा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की क्या पालिसी है, तो जो जवाब उनका था मिनिस्टर की हैसियत से और इंडिविजुअल की रसियत से भी, वह इस बात का सबूत है . . . .

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मिनिस्टर का जवाब था।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : मिनिस्टर तो थे ही, मगर इंडिविजुअल कैपेसेटी में भी था। एक और बात मैं सदन के सामने रखना चांहता हूं। इसको कहते हुए मुझे बड़ी शर्म आती है। बार बार यह कहा गया है कि हमारा मुल्क तैयार नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं कि हुकूमत करने की जिम्मेदारी अगर आपने ली है तो यह जिम्मेदारी कौन लेगा कि मुल्क तैयार था या नहीं, क्या यह जिम्मेदारी बिशन चन्द्र सेठ लेगा? मुल्क पर शासन करने की जिम्मेदारी आपने ली तो इस चीज़ को देखना भी आपका ही फ़र्ज़ था कि मुल्क तैयार है या नहीं। अगर यह कहा जाए कि पता नहीं लगा, तो यह भी गलत है। मैंने सैंकड़ों स्पीचिज़ हिन्दुस्तान में घूम घूम कर दी है और उनमें मैंने कहा है कि आंखें खोल कर बैठो, यह मौका इस तरह का नहीं है कि चैन से बैठा जाए। हमारे देश के सामने खतरा है जो ज्वालामुखी के समान है। आपकी आंखों के सामने क्या चीज़ थी? इतनी स्पीचिज़ के बाद भी क्या यह बात आपकी समझ में नहीं आई। सी० आई० डी० वाले रक्षा करने के लिए मेरे साथ चलते हैं . . . .

अध्यक्ष महोदय : सेठ जी बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं कि उनकी स्पीच मेरी समझ में तो आ गई र, मगर गवर्नमेंट की समझ में नहीं आई। वह मुझे मुखातिब करके बात कहें।

श्री बिशन चन्द्रसेठ : गवर्नमेंट के लिए यह कहना कि तैयारी नहीं थी, मुनासिब नहीं है अगर तैयारी नहीं थी तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर र। मैं बड़े अदब के साथ आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि अगर किसी दूसरे देश में जिसकी नकल हम करते हैं, इस तरह की बात हो गई होती, इस तरह की गलती वहां की गवर्नमेंट से हो गई होती तो शायद वहां की गवर्नमेंट अपने आप, खुद ही सीटें छोड़ देती। परन्तु यहां की स्थिति इसके बिल्कुल

[श्री बिशनचन्द्र सेठ]

विपरीत है । हमारा देश शक्ति पूजक रहा है । ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने के बाद भी आज किसी के दिमाग में नहीं आता कि जिन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, उनको हट कर दूसरे आदमियों को भी मौका देना चाहिये ।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं । कैनेडी का नाम इससे पहले किस ने सुना था । संभवतः किसी ने भी नहीं सुना था । मगर आज वह अमरीकन गवर्नमेंट की मुख्य सीट पर हैं और उनके बारे में दुनिया कह रही है कि (ही इज़ ए वेरी कम्पीटेंट प्रेज़ीडेंट आफ अमरीका)। मैं पूछना चाहता हूं....

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : आज लड़ कर केवल दो आए हैं, अधिक नहीं ।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : भीख मांग कर नहीं आया हूं, लड़ कर आया हूं । नामिनेट हो कर भी नहीं आया हूं ।

हमारी गवर्नमेंट अपने वादों में सोलह आने फेल हो चुकी है । उसे इस बात का क्या अधिकार है कि देश की भावना के विपरीत जा कर वह इस तरह की प्रोपोज़ल्ज़ को मान्यता दे । कहा जाता है कि चीन बहुत तकड़ा है और अगर उस पर चढ़ाई की तो मुम्किन है कि हम नाकामयाब हो जाएं । मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं.....

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : कसने कहा हैं ?

श्री बिशन चन्द्र सेठ : मैं नहीं कहता हूं कि किसी ने कहा है । मैंने कहा है कि कहा जाता है । आपका नाम मैंने नहीं लिया है ।

अगर आप लड़ाई की बात को देखें तो हमारी फौज किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं हैं । हमारी मिलिटरी की शूरवीरता की बात एक माननीय सदस्य अभी बता रहे थे । मैं तफसील में नहीं जाना चाहता । मैं इतना ही बतलाना चाहता हूं कि चार हजार हिन्दुस्तान के जवान खड़े थे, और उन्होंने अनगिनत चीनियों के छक्के छड़ा दिये । आप देश की भावना पर विश्वास तो करें । लेकिन आप देश के मारेल पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं । आपके दिल में एक रट आ गई है कि हम कमज़ोर हैं, और उसी रट के कारण आप सारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : दुबारा आप मुझे नहीं मुखातिब कर रहे हैं । क्या रट मेरे दिल में आ गई है ?

श्री बिशन चन्द्र सेठ : आप का मतलब है गवर्नमेंट । आपके ज़रिये से मैं सारी गवर्नमेंट को मुखातिब कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप गवर्नमेंट का नाम लीजिए, मेरा नहीं ।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : कोलम्बो प्रपोजल्स के संबंध में जिस तरह से हमारी सरकार ने प्रस्ताव को रखा है में बड़ अदब से कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्दर की भावनाओं को बड़ी सफाई से ढ़ंकने की चेष्ठा की गई है । इस का कारण क्या है ? सवाल इस बात का है कि हमें लढ़ाई लड़नी ही है । हम ने १४ तारीख को खड़े हो कर तय किया है । मैं बड़ा आश्चर्य करता हूं कि यहां पर किस तरह की चीजें की जाती हैं । अगर किसी एक आदमी से गलती हो जाती है तो सारा मोहल्ला, सारा समाज उसे बुरी नजर से देखता है, लेकिन यह जो सुप्रीम बाडी है देश की, चुने

हुए नुमाइन्दों के बीच में आप ने खड़े हो कर कसम दी थी कि हम अपने देश की एक एक इंच भूमि से चाइना को हटायेंगे। क्या इस प्रपोजल को मानने के बाद हमारी सरकार उम्मीद करती है कि हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे यहां कोलम्बो प्रपोजल्स की बात हो रही है, कारीडोर की बात हो रही है। हमारा सवाल २०, ३० या ५० हजार वर्ग मील वापस लेने का है, मैं इस की तफसील में नहीं जाना चाहता।

श्री त्यागी : पचास हजार वर्ग मील जमीन को वापस लेने के लिए नेगोशिएशन करने के वास्ते यह प्रपोजल है।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : हम ने पाकिस्तान के साथ बहुत से प्रपोजल किये, पाकिस्तान से हम ने बहुत से समझौते किये, लेकिन जो कुछ हम को वापिस मिला वह हमारी आंखों के सामन है। पिछले किर्ड के मातहत, जिसके आधार पर हमने आप को जांचा है और समझा है, साफ मालूम होता है कि आप को कुछ करना धरना नहीं है। जो कुछ होने वाला है वह यह है कि यह जमीन उनके पास चली जायेगी।

कुछ माननीय सस्दय : आप अध्यक्ष महोदय को न कहें।

श्री बिशनचन्द्रसेठ : आप से मेरा मतलब गवर्नमेंट से है, माननीय सदस्यों को यही समझना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब आप मुझे बहुत कोस चुके। मैं चाहता हूं कि अब में कह दू कि आप का समय समाप्त हो गया।

श्री बिशनचन्द्र सठ : मैं आप की सेवा में एक बात और कहना चाहता हूं। आज अगर ऐसा मान लिया जाय कि पंडित नेहरू ने यह प्रस्ताव पार्लियामेंट में पेश नहीं किया होता तो क्या होता। बड़ी साफ सी बात है कि सरकार के सामने अपोजीशन एक तिनके के बराबर है, जिस तरह से वह चाहे मजाक कर सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल साइड तो आप को देखनी पड़ेगी। अगर सरकार ने अपोजीशन की भावना को मान्यता नहीं दी और सरकार ने यह समझा कि उस की संख्या साढ़े तीन सौ है और विरोधी संख्या डेढ़ सौ है, तो इसका नतीजा देश पर क्या पड़ेगा? यह विचार करन की बात है आज यहां पर इस चीज को न लाने का एक बिशेष कारण है और वह यह कि इस भ्रम जाल को रख कर सारे देश के सामन, सरकार चाहती है, ताकि उपमा उपस्थित की जा सके कि उसने सारी पार्लियामेंट की भावना के अन्तर्गत इस रेज्योल्यशन को पास किया गया। साथ ही १४ नवम्बर के रेजोल्यूशन को सच्ची भावना के साथ इस को पास किया। लेकिन यह नहीं हो सकता कि डिप्रेस्ड मन्टेलिटी के साथ हम इस भावना को मंजूर कर लें जिस से कि हमारे सारे सपने सारा कार्य-क्रम दूषित हो जाय।

मैं यहां पर चीन के सम्बन्ध में एक बात कह कर समाप्त कर दूंगा। सीज फायर के उपरान्त ब्रिगेडियर होशियार सिंह के साथ साथ अनेकों हमारे सैनिक मारे गये। मैं यहां उन की तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि हमारी फौज भी गई थी लड़ने के लिये और चाइना की फौज भी आई थी। तो क्या हमारी फौज अहिंसा का सिद्धान्त लेकर भेजी गई थी कि एक भी चाइनीज प्रिजनर नहीं बनाया गया। यही बहादुरी की आप ने। और हमारे हजारों लोग पकड़े गये। मैं जानना चाहता हुं सरकार से कि आखिर इस का मतलब क्या है? केवल यह कि हमारी सरकार आन्तरिक भावना से लड़न के लिये तैयार नहीं। मौका निकाल कर कोई न कोई समझौता करना उसका लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के कारण हमारे हजारों आदमी मारे गये मैं पूछना चाहता हूं कि जब चाइना ने सीज फायर किया तो क्या किस्मत से कोई न्यामत हम को मिल गई? सीज फायर के बाद हमारी फौजों को आगे मार्च करना चाहिये था या नहीं? सीज फायर का मौका मिल गया और हम खुद खिसक कर पीछे

[श्री बिशनचन्द्र सेठ]

आ गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि इस तरह की परिस्थिति में बगैर मारेल के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अगर आज बहादुरी के साथ हम अपने देश को इस लायक बनाये रखगे कि हम लड़ाई लड़ सकें तो चाइना के साथ कोई समझौता होगा अन्यथा कोई होने वाला नहीं।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : हमारा यह अनुभव रहा है कि चीनी अधिकारियों की राजनीति सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित नहीं है। इसी कारण कोलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी संदेह उत्पन्न होता है। अधिकांश भाषणों से ऐसा ही आभास होता है। अतः इस सम्बन्ध में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिये। प्रधान मंत्री अनेक बार यह कह चुके हैं कि हमें चीन की सरकार का विरोध करना चाहिये चीन की जनता का नहीं। मेरा निवेदन है कि चीन की तानाशाही व्यवस्था में उन दोनों के दृष्टिकोण प्रायः एकसे ही हैं। वहां स्कूलों में विद्यार्थियों को इस आशय के गीत सिखाय जाते हैं कि हम चीनी हैं और दक्षिणी क्षत्र के स्वामी हैं। आकाशवाणी द्वारा परिचालित "हन्ड्रैड फ्लावर्स" नामक पुस्तक में भी यह बताया गया है किचीनी विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है।

दूसरी बात यह है कि इस के पहले हम ने जब जब भी चीन के साथ बात चीत की है तो उस के बाद उस ने हमारे देश का कुछ भूभाग अपने अधिकार में कर लिया है। जब १९५४ में नेहरू–चाऊ बातचीत चल रही थी तभी चीनियों ने भारतीय राज्य क्षेत्र पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। उन्हों ने यही तरीका अपनाया है। इसलिये कोलम्बो की बातचीत के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की आशंका उत्पन्न होती है। यही नहीं, चीन ने यह कहा है कि कोलम्बो प्रस्ताव का वह अपना निर्वचन करेगा और निर्वचन के सम्बन्ध में मतभेद उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिये कोलम्बो के प्रतिनिधि ने यह बताया कि नेफा में हमें मैकमोहन रेखा तक जाने की अनुमति है। परन्तु प्रस्तावों में मैकमोहन रेखा का कोई उल्लेख नहीं है। अतः हमें यह विचार करना होगा कि क्या चीन उसे स्वीकार करेगा ?

मेरा विचार है कि हमें युद्ध की तैयारी जारी रखनी चाहिये क्योंकि कमजोर की बात को कोई नहीं मानता है। कोलम्बो प्रस्तावों की सफलता अपनी शक्ति पर ही निर्भर है। विदुर न भी कहा था :

एकः क्षमावता दोषः द्वितीयो नोपपधते,
य नं क्षमया युक्तम दुर्बलं मन्यते जनाः।

अर्थात् जो व्यक्ति दूसरों की बात सहन करता जाता है उसे कमजोर समझा जाता है।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिबसागर) : कोलम्बो राष्ट्रों का यह प्रयत्न वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं ने २० नवम्बर को कांग्रस सदस्यों की बैठक में जो दो सुझाव दिये थे उन में एक सुझाव यह था हमें अपने कुछ मित्र देशों की सहायता से चीन को युद्धविराम के लिये सहमत कर लेना चाहिय ताकि हमें युद्ध के लिये तैयारी करने का अवसर मिल सके। उससमय उस प्रस्ताव को घोर विरोध किया गया था। परन्तु अगले दिन ही चीन न अपनी ओर से युद्ध विराम का प्रस्ताव किया और मेरी बात सार्थक हुई। मेरा विश्वास है कि यदि उस समय वैसा प्रस्ताव न आता तो समस्त आसाम हमारे हाथ से निकल गया होता। अतः मैं कोलम्बो प्रस्तावों का स्वागत करता हूं क्योंकि बातचीत करने का मौका मिलेगा। परन्तु इस के साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि हमें अपनी प्रतिरक्षा संबंधी तैयारी में कोई शिथिलता नहीं लानी चाहिये। क्योंकि इस समय शक्ति ही हमारी स्वतन्त्रता और सम्मान की रक्षा कर सकती है। खेद है कि इस संबंध में सरकार सुस्ती बरत रही है। उत्तर रेलव के ३००० कर्मचारी, जिन्ह सैनिक शिक्षा के लिये बुलाया गया था, तीन महीने से बकार बैठ हुए हैं। जिस गति से भरती का काम हो रहा है वह भी सन्तोषजनक नहीं है। अच्छा हो कि देश भर में अधिकाधिक भर्ती केन्द्र खोले जायें।

जहां तक प्रतिरक्षा सामग्री के उत्पादन का संबंध है, देश के समस्त इंजीनियरिंग उद्योगों को इस काम मे लगाया जा सकता है । खद है कि सीमान्त क्षेत्रों में जो सड़कें बनाई गई वे दोषपूर्ण हैं । इस प्रकार के अपराधों के लिये कड़ा दंड दिया जाना चाहिये । इस के अतिरिक्त नेफा और आसाम के प्रशासन में समन्वय भी लाया जाना चाहिये । नेफा को शीघ्र विकसित करके उसे सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाया जाना चाहिये ।

अन्त में मैं आसाम की बाढ़ों की समस्या की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा । इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिये । क्योंकि बाढ़ों पर नियंत्रण किये बिना स्थायी प्रतिरक्षा व्यवस्था संभव नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं सभा से कोलम्बो प्रस्ताव को स्वीकार करलेने का अनुरोध करूंगा ।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सदन में आज जो कोलम्बो प्रपोजल्स के बारे में चर्चा. . .

†**अध्यक्ष महोदय** : आज हमें कम से कम साढ़े छः बजे तक बैठना होगा और प्रधान मंत्री कल उत्तर देंगे ।

श्री मौर्य : अध्यक्ष महोदय, कोलम्बो प्रपोजल्स जो सदन के सामने आये हैं उन के ऊपर बोलते हुए . . . .

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से एक सैकंड के लिये इंटरप्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि यह क्या बात है कि जो यहां पर बोलना चाहते हैं उन को बोलने का कोई समय नहीं मिलता है । कम से कम १२ बजे रात तक आज हमें यहां पर बैठना चाहिये । जब सब जगह काम के घंटे बढ़ रहे हैं तो फिर यहां क्यों न बढ़ें ?

अध्यक्ष महोदय : यह अपोजीशन ग्रुप्स के लीडर्स बोलने वालों के जो नाम देते हैं उन को जितना समय मिल सकता है बोलने के लिये दे दिया जाता है । आप के ग्रुप को दो से ज्यादा को चांस नहीं मिल सकता । जो आपके ग्रुप के लीडर ने दो नाम दिये थे वह दोनों बोल लिये ; मैंने उन दोनों को बला लिया इस पर भी मालूम नहीं अपोजीशन ग्रुप वालों को क्या शिकायत है ?

श्री यशपाल सिंह : उधर का टाइम वजीर लोग पी जाते हैं और इधर का पार्टी लीडर्स पी जाते हैं बीच के मेम्बर बेचारे बेकार मुंह ताकते रह जाते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: श्री मौर्य अपना भाषण जारी रख ।

श्री मौर्य : श्रीमन्, २६ अगस्त, १९५४ को आदरणीय बाबा साहब डा० अम्बेडकर ने राज्य सभा में हिन्दुस्तान की विदेश-नीति पर भाषण करते हुए यह भविष्यवाणी की थी कि ल्हासा पर चीनियों को कब्जा कर लेने देने से भारत पर निरन्तर आक्रमण होते रहेंगे ।

इस उद्धरण को इस सदन के सामने रखने का तात्पर्य यह है कि जिस राष्ट्र के बारे में कोलम्बो प्रोपोजल्स की चर्चा है, उस की नीति को, उस के रोजाना के कथनों को और आज तक उस ने जो कदम उठाए हैं, उन को सामने रखना पड़ेगा । अगर हम उन को अपने सामने रखेंगे, तो मेरा विश्वास है कि जो गलतियां अब तक हुई हैं, जिन के लिये एक मात्र आदरणीय प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू, जिम्मेदार हैं, वे भविष्य में नहीं हो पायेगी ।

यह बात १९५४ में कही गई थी कि चाइना हिन्दुस्तान पर हमला करेगा और आज वह बात पूरी हुई । प्रधान मंत्री जी ने उस समय उसका जो जवाब दिया था और जो अन्य बहुत सी बातें कही थीं

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मौर्य

उन की चर्चा में नहीं करना चाहता हू। इस सदन ने १४ नवम्बर, १९६२ को जो पवित्र प्रस्ताव निर्विरोध रूप से पास किया था, इस समय में उस की भावनाओं को ले कर कुछ कहना चाहता हूं। उस प्रस्ताव के अन्तिम शब्द ये थे : "यह सभा भारत की पुण्य भूमि से हमलावर को खदेड़ देने के लिये, चाहे इस के लिये कितना ही लम्बा तथा कठिन संघर्ष क्यों न करना पड़े, भारतीय जनता के दृढ़ संकल्प का आशा और विश्वास के साथ समर्थन करती हैं।"

यह प्रस्ताव अपनी जगह पर अद्वितीय था और इतिहास में अपनी जगह पर अंकित किया जाने वाला था। आज जब कि हम कोलम्बो-प्रोपोजल्ज़ की चर्चा कर रहे हैं, क्या हमने इस प्रस्ताव की भावनाओं को अपने सामने रखा है ? उस समय इस सदन की ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की यह भावना थी कि हम चाइनीज़ को अपने देश में निकाल देंगे। क्या हम ऐसा कर पाये हैं ? मैं केवल यही कहूंगा कि उन भावनाओं को पीछे छोड़ कर आज हम किसी राष्ट्र की शक्ति और उस की धमकियों से, उस के खूनी हाथों से डर कर, दब कर, एक सहमी हुई आवाज़ में बोल रहे हैं। १४ नवम्बर, १९६२ को जो भावना इस सदन में थी, उस में और आज की भावना में ज़मीन आस्मान का फ़र्क है। वह भावना भारतीय भावना थी और यह भावना भारतीय भावना नहीं कही जा सकती।

आदरणीय प्रधान मंत्री ने इसी सदन में कहा था कि जब तक हम दुश्मन को अपनी भूमि से बाहर नहीं निकाल देते, तब तक हम उस से कोई भी बात नहीं करेंगे। ८ सितम्बर, १९६२ की रेखा का आदरणीय प्रधान मंत्री की भावनाओं से बड़ा ताल्लुक है। क्या वे भावनायें पूरी हुई हैं ? आज वह उस के दूसरे मायने इस सदन के सामने रख सकते हैं, लेकिन वह भावना पूरी नहीं हुई है। अगर हम ८ सितम्बर, १९६२ की स्थिति और कोलम्बो-प्रोपोजल्ज़ को सामने रख कर उन की तुलना करें और उन को एनालाइज़ करें, तो हम पाते हैं कि ८ सितम्बर, १९६२ की भावनायें पूरी नहीं हुईं--विरोधी दल के अनुसार, और कम से कम भारतीय रिपब्लिकन दल के अनुसार, वे भावनायें पूरी नहीं हुई हैं। वह तो सरकार की कम से कम मांग थी, लेकिन वह भी पूरी नहीं हो पाई। वह मांग यह थी कि दुश्मन की फ़ौजें ८ सितम्बर, १९६२ की लाइन पर चली जायें। उस में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं था--जैसा कि कोलम्बो प्रोपोजल्ज़ में डिमिलिट-राइज्ड ज़ोन सम्बन्धी सुझाव दिया गया है--कि दुश्मन की फ़ौजें जिस क्षेत्र से पीछे हटेंगी, वहां पर दोनों देशों का निज़ाम रहेगा, दोनों की सिविल पोस्ट्स रहेंगी। इस सुझाव को यदि ८ सितम्बर, १९६२ की स्थिति वाले सुझाव से मिलाया जाये, तो दोनों में टकराव मिलता है।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि ये दोनों सुझाव एक दूसरे से बहुत नज़दीक हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वे एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं और उन का एक दूसरे से कोई लगाव नहीं है। हां, यह ज़रूर है कि इस संकट से बहुत से लोगों की गद्दियां छिन जाने का जो डर है, उस की वजह से ये दोनों सुझाव एक दूसरे से बहुत ज्यादा नज़दीक नज़र आते होंगे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं अपनी कोई बात यहां पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, बल्कि मैं स्वयं प्रधान मंत्री के शब्दों को आप के सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि हमारा ८ सितम्बर की स्थिति कायम करने का प्रस्ताव बहुत सीधा साधा था। चीन के नवीनतम आक्रमण से हुई क्षति को मिटाने का यही एकमात्र उपाय है।

आगे अपनी इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करते हुए उन्होंने इस सदन में कहा था कि यदि हम चीन को पीछे नहीं हटायेंगे तो वह भविष्य में हमारा और भी राज्य-क्षेत्र मांगेगा । तो क्या यह बात आज कोलम्बो प्रोपोजल्ज़ में पूरी हो रही है ? ८ सितम्बर, १९६२ वाली मांग में ऐसा कहीं नहीं आया था । कम से कम इस सदन में प्रधान मंत्री जी ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था कि चीन ने हमला करके जो क्षेत्र लिया है, वहां से वापस जाते वक्त वहां पर उस की सिविल पोस्ट्स रहेंगी । डीमिलिटराइज्ड ज़ोन का जो सुझाव कोलम्बोबप्रोपोजल्ज़ में दिया गया है, वह ८ सितम्बर, १९६२ वाले सुझाव से मेल नहीं खाता है । प्रधान मत्री ने बहुत सी ऐसी चर्चा की थी । मैं ज्यादा ज़ोर दे कर सिर्फ़ यह कहना चाहता हूं कि आज प्रधान मंत्री स्वयं अपने शब्दों से पीछे जा रहे हैं ।

उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा था :

> "इसे हम मंजूर नहीं कर सकते कि हिन्दुस्तान की आज़ादी पर हमला हो, हिन्दुस्तान की ज़मीन पर हमला हो और दुश्मन आ कर उस पर कब्ज़ा करे और हम सर झुकायें उस के सामने । यह नामुमकिन बात है, चाहे जो कुछ हो । मैं समझता हूं कि इस मामले में यह कोई मेरी राय नहीं है, न किसी और की राय है । यह लोक-सभा और पार्लियामेंट के एक एक मेम्बर की राय है, यह हिन्दुस्तान के हर मर्द, औरत और बच्चे तक की राय है ।"

क्या आज आदरणीय प्रधान मंत्री को लोगों की भावनाओं का पता है ? क्या उन की भावनाओं को उन्होंने जाना है ? क्या इस सदन के हर एक माननीय सदस्य की यह भावना है कि हम कोलम्बो प्रोपोजल्ज़ को मान कर खूनी और हत्यारे लोगों से दबकर बात-चीत करें, खूनी हाथों से शान्ति के हाथों को मिलवायें और उन से शान्तिपूर्वक बातें करें ? क्या यह इस सदन की भावना है ? क्या इस देश के नौजवानों, स्त्री पुरुषों और बच्चों की यह भावना है ? वास्तव में राष्ट्र की यह भावना नहीं है । अगर यह भावना होती, तो कम से कम मैं यहां पर ऐसा नहीं कहता । आज प्रधान मंत्री देश की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं ।

मैं चीन के बारे में ज्यादा लम्बी बातें नहीं कहना चाहता । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हम ने हमेशा चीन को अपना मित्र माना और हम ने हमेशा चीन की मित्रता के लिए कुर्बानियां दीं । क्या चीन की कम्यूनिस्ट सरकार को भारत ने तुरन्त ही मान्यता नहीं दी ? क्या चीन के लिए भारत ने यू० एन० ओ० में लड़ाई नहीं लड़ी ? क्या चीन की भावनाओं का भारत ने सदा ध्यान नहीं रखा ? क्या भारत ने चीन की मित्रता की वेदी पर तिब्बत की आहुति नहीं दी ? फिर भी लाल चीन ने भारत के दामन को क्यों चाक किया ? क्या इस का कोई भी उत्तर यहां पर मिल सकेगा ? मैं इन बातों को ज्यादा विस्तारपूर्वक नहीं कहना चाहता हूं । मैं सिर्फ़ यह कहना चाहता हूं कि आज कोलम्बो प्रोपोजल्ज़ में तो हम हर तरह से दबे हुए हैं ।

अगर हम कोलम्बो-प्रोपोजल्ज़ का ऐनेलेसिज़ करें, एक एक प्रोपोजल को देखें, तो हम पाते हैं कि भारत के हितों की बहुत उपेक्षा की गई है । पहले आप पूर्वी खंड पर आइये । पूर्वी खंड में ८ सितम्बर, १९६२ की लाइन और उस के अलावा इन्टरनेशनल सीमा, उन दोनों के हिसाब से अगर हम नक्शे को देखें, जो कि भारत सरकार और सारे संसार के नक्शे हैं, तो उन के अनुसार थागला रिज, ढोला और लांगजू, ये भारत की सरहद में हैं । क्या कोलम्बो-प्रोपोजल्ज़ ने इस बात का ध्यान रखा है ? उन में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है, बल्कि जिस के लिए लड़ाई लड़ी गई, जिस के ऊपर झगड़ा हुआ, जिस के लिए हज़ारों बच्चे यतीम हो गये, उस को ज्यों का त्यों रहने दिया गया है । "पंचों का कहना सिर माथे पर, लेकिन पतनाला इधर से ही बहेगा ।" यह भावना वहां पर है । मैं पश्चिमी खंड को लेता हूं । चीन की जो लाइन उन्होंने वहां दिखाई है, उसको

आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अक्साई चिन के अन्दर जहां अक्साई रोड बनी थी वहां दिखाई है। सारा विश्व जानता है कि यदि कोई कम्युनिस्ट राष्ट्र अपनी सड़क सरहद पर बनाता है, तो अपनी सरहद का अन्त देखते हुए ही बनाता है। हमारी सरकार ने इस पर आपत्ति की। अक्साई चिन की रेखा को छोड़, वहां पर उस सड़क की बात को छोड़ आप देखिये कि बहुत सी जगहें जहां पर चीन ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वे उसकी हो सकती हैं, उसको मिल रही हैं। डेरा एक ऐसी ही जगह है। इस तरह की और भी जगहें हैं। आज कोलम्बो प्रस्तावों के कारण वे जगहें भी खटाई में पड़ रही हैं। आप मिडल सैक्टर को लें जो उत्तर प्रदेश में आता है। वहां पर बाराहोती की बात है। १९५४ में इसका झगड़ा शुरु हुआ था, लिखा पढ़ी शुरु हुई थी, बड़े लम्बे लम्बे पत्र लिखे गये थे। अगर मैं भूल नहीं करता हूं तो ह्वाइट पेपर का सब से पहला पन्ना ही बाराहोती के ऊपर लिखा हुआ है। बाराहोती के बारे में झगड़े का अंकन किया गया है। आज बाराहोती को और भी ज्यादा खटाई में डाल दिया गया है। इस तरह से देश की रक्षा नहीं हो सकती है, राष्ट्र का सम्मान नहीं हो सकता है।

मैं पूछना चाहता हूं कि चीन ने सीज़ फायर क्यों किया। जब वह जीतता चला जा रहा था तो क्यों उसने ऐसा किया, क्यों अपनी फौजें पीछे हटाईं। सीज़ फायर किसी बहुत बड़े महत्वपूर्ण कारण से हुआ है और जो वह पीछे हट रहा है उसके पीछे भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। इन कारणों को अगर हम समझ लें तो हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। जब कभी भी प्रधान मंत्री जी से बातें हुई हैं तो उन्होंने हमें ऐसे बताया है कि हम आज लड़ने को तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लड़ने को तैयार नहीं हैं तो आज हम गुलाम बनने को भी तैयार नहीं हैं, दबने को तैयार नहीं हैं, किसी भी कीमत पर हम गुलाम बनना बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। मुल्क का ऐसा हिस्सा, मुल्क का ऐसा भाग जो कि हमारे साथ रहने को तैयार नहीं है बावजूद हमारे अरबों रुपया खर्च कर चुकने के बाद भी उसके लिए तो हम खूनरेज़ी करने के लिए तैयार हैं लेकिन जहां के लोग भारतीय हैं, जो भारतीय सभ्यता को मानते हैं, जो लाल झंडे के नीचे रहने को तैयार नहीं हैं, जो भारत के गुण गान करते हैं, तलवार के नीचे बैठ कर भी भारतीय सभ्यता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, उनकी खातिर क्या हम दब कर बात करें, यह कैसे हो सकता है ? यह बात बड़े राज़ की है। जहां तक प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की कंसिस्टेंसी का सम्बन्ध है, मैं उस बात को नहीं कहूंगा, उसको मैं वापिस लेता हूं, यह ठीक नहीं होगा, बहुत ज्यादा सख्त बात हो जायेगी। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा। एक बात पर वह टिके हुए हैं कि किसी भी तरह से उनकी अपनी भावना को ठेस न पहुंचे, चाहे पूरा राष्ट्र संकट में पड़ जाये। यहां पर एक शायर ने जो कुछ कहा है, वह मैं कहना चाहूंगा :

रहेंगी अगर यों ही हवायें ज़माने की
न खैर होगी चमन की न आश्याने की।

अगर इसी तरह से हम दुश्मन के सामने दबते चले गये, अगर इसी तरह से हम तिब्बत से ल्हासा और ल्हासा के बाद अक्साई चिन और अक्साई चिन के बाद तमाम राष्ट्र की बाउंडरी को देते चले गये तो कोई हद नहीं रहेगी। महाराजा अशोक को आप जानते हैं, इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं। उनके समय हमारे देश की सीमायें कहां थीं और आज कहां हैं और आज के बाद वे कहां पहुंच जायेंगी, इस पर आप विचार करें। हम अपनी ही लाइन पर चलते जा रहे हैं। हमें इन सब बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिये। हम एक कम्युनिस्ट देश से डर करके, उसकी फौज से डर करके, उससे दब करके, राष्ट्र को ज्यादा दिनों तक ज़िन्दा नहीं रख सकते हैं।

मैं अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी इस तरह की भावनाओं को अगर दबाया गया, अगर दब करके बात की गई, अगर देश की सीमाओं के साथ, देश की सरहद के साथ सौदागिरी की गई तो इस सदन में और बाहर हम बगावत करेंगे। हम मजदूर हैं, मज़लूम हैं, शोषित वर्ग के लोग हैं, हम कटना जानते हैं, दबना नहीं जानते हैं। अगर हम को दबाने की कोशिश की गई, हमें दबने के लिए मज़बूर किया गया तो हम बगावत करेंगे और बगावत में कानून शिकनी करने की ज़रूरत होगी तो कानून शिकनी करना भी अपना फर्ज़ समझेंगे। मैं पूरी शक्ति से भारतीय रिपब्लिक पार्टी के बिहाफ पर यह बात कहता हूं। ये जो कोलम्बो प्रोपोजल्ज़ हैं, ये रूस के दबाव से चीन के द्वारा एक विशेष मुल्क, एक विशेष राष्ट्र के ज़रिये श्रीमती भण्डारनायके के पर्दे में आये हैं, जो एक बहुत बड़ा राज़ है। इनका हम पूरी शक्ति के साथ विरोध करते हैं।

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, कोलम्बो प्रस्ताव सदन के सम्मुख है और आज भी उस पर विचार विमर्श हो रहा है। सब से पहले तो मैं श्रीमती भण्डारनायके और अन्य नान-एलाइंड पावर्स को उनकी कूटनीतिज्ञता तथा दूरदर्शिता और स्टेट्समैनशिप के लिये बधाई देना चाहती हूं। मैं समझती हूं कि श्रीमती भण्डारनायक ने आज सारे संसार के स्त्रीवर्ग का सिर ऊंचा कर दिया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इन प्रस्तावों की उपयोगिता और प्रस्तावकर्ताओं की नीयत पर सन्देह प्रकट किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि चाइनीज़ एग्रेशन का इन लोगों ने खुल कर क्यों विरोध नहीं किया है और क्यों उसको एग्रेसर घोषित नहीं किया है। श्रीमान्, वैसे तो सन्देह और शुबह का कोई इलाज नहीं है। यदि शक का भूत उनकी आत्मा में घुसकर न बैठ गया होता तो उन्होंने इस प्रस्ताव के टैक्स्ट को पढ़ने के बाद इस प्रकार का शक और शुबह न उठाया होता। श्रीमन्, इस प्रस्ताव का एक एक शब्द प्रमाणित करता है कि कोलम्बो पावर्स ने अपने प्रोपोज़ल्स के एक-एक शब्द के द्वारा चीनी आक्रमण को एग्रेशन कहा है।

मुझे खेद है कि इस प्रस्ताव का कुछ माननीय सदस्यों ने समर्थन करने के बाद भी इसको ठीक तरह से नहीं समझा है। बड़े अफ़सोस की बात है कि विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्य इस नाज़ुक समय में भी अपने व्यक्तिगत तथा पार्टीगत लाभ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आज मैंने विरोधी दलों के माननीय सदस्यों की स्पीचेज़ पढी हैं। मैं समझती हूं कि उनमें से तीन चौथाई स्पीचिज़ के टैक्स्ट में केवल आत्म-प्रशंसा ही देखने को मिलती है और साथ ही साथ शकों और शुबहाओं का इज़हार ही देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वही पुरानी घिसी पिटी दलीलें ही दी हैं जोकि वे हमेशा दिया करते हैं।

श्रीमन् यह डिबेट काफी दिलचस्प रही है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सारी डिबेट का सब से बड़ा लैंडमार्क इर्रेलेवेंस रहा है। हमारे एक कांग्रेसी भाई ने इस प्रस्ताव को अपना कंडिशनल स्पोर्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि कम से कम वह इस कंडिशन पर स्पोर्ट दे सकते हैं कि लोगों का उत्साह कम न होने दिया जाए। मैं बड़े ही विनम्र शब्दों में कहना चाहती हूं कि इस प्रस्ताव का देश के वातावरण या उत्साह को बढाने के साथ कोई सम्बन्ध नही है। यह प्रस्ताव तो केवल ऐसा वातावरण और ऐसी स्थिति पैदा करता है कि जो निर्णय हमने लिया है इस सदन में प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा से लिया था कि जब तक इस देश की एक एक इंच भूमि को हम चीनियों के चंगुल से नहीं छड़ा लेंगे,तब तक दम नहीं लेंगे, चैन नहीं लेंगे, उसको मज़बूत बनायें उसको पूरा करें। हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी जिस में हम अपने निश्चय को शान्तिपूर्ण ढंग से पूरा कर सकें। मैं समझती हूं कि जो इरेलेवेंट बातें कही गई हैं, जो कंडिशंज़ लगाई गई हैं वे बिल्कुल भी यहां पर वाजिब नहीं हैं। इस प्रस्ताव में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है कि हम

लोग युद्ध की तैयारी न करें, हम लोगों का उत्साह न बढायें या अपनी शक्ति को दिन दुगुना और रात चौगना न बढ़ायें। हमारे प्रधान मंत्री जी ने बहुत ही ज़ोरदार शब्दों में कह दिया है कि हम लोग बराबर युद्ध की तैयारी करेंगे और जब तक एक एक इंच भूमि चीन के चंगुल से नहीं छुड़ा लेंगे, उनको अपनी भूमि से नहीं खदेड़ देंगे, तब तक चैन नहीं लेंगे। मुझे खेद है कि कुछ विरोधी दलों के सदस्यों ने अपनी दलीलों में हर स्थान पर इस नाजुक स्थिति का बेजा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने नान एलाइनमेंट की पालिसी की भी निन्दा की है। श्रीमन् कभी भी आज तक नान-एलाइनमेंट की पालिसी ने इतने जबर्दस्त टैस्ट बरदाश्त नहीं किये हैं, जितने इस बार किए हैं। इस टैस्ट में हमारी नान-एलाइनमेंट की पालिसी और भी निखर आई है और यह साबित हो गया है कि हमारे लिए ही नहीं, भारत के लिए ही नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और संसार की शान्ति के लिए भी, संसार को विश्वयुद्ध के खतरे से बचाने के लिए भी अगर कोई नीति सब से ज्यादा सफल साबित हो सकती है तो वह नान-एलाइनमेंट की नीति ही हो सकती है, दूसरी कोई नीति नहीं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने वावजूद उन तमाम क्लेरेफिकेशन्ज़ के जिनके बाद ही हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, अब भी शक का इज़हार किया है और कहा है कि इन प्रस्तावों के पीछे कोई गलत नीयत है या गलत कदम उठाने की चेष्टा की गई है। एक माननीय माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे प्रधान मंत्री जी चतुर खिलाड़ी नहीं हैं क्योंकि वह अपनी बात को पहले रख देते हैं। मैं समझती हूं कि आज भी प्रधान मंत्री जी के शान्ति और सच्चाई की नीति अपनाने के कारण उसकी प्रतिष्ठा कराने के कारण, संसार में हमारे प्रधान मंत्री जी का तथा इस देश का नाम ऊंचा हुआ है। मैं चाहती हूं कि हमेशा वह ऐसे ही भोले भाले खिलाड़ी बने रहें और अपने पत्ते पहले से ही रख दिया करें क्योंकि इस में हमारे देश का ही नहीं पूरे संसार का कल्याण है।

मुझे खेद है कि श्री नाथ पाई आज बीसवीं सदी में रहते हुए भी चौदहवीं सदी की विचारधारा रखते हैं। उन्होंने कहा कि हिटलर ने जब ब्रिटेन और रूस के सामने शांति प्रस्ताव रक्खे तो उन्होंने ठुकरा दिया। यह भी उन्होंने कहा कि कोई स्थिति बदली नहीं है और नेगोशिएशन टेबल पर बैठने के माने घुटने टेकना है। मुझे बड़ा अफ़सोस है कि वह आज भी हिटलर के प्रेत के इतने नज़दीक हैं लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर हैं। उन्हें आज मालूम नहीं है पिछली सदी में १००वर्षों में कंट्रीज़ में जितने परिवर्तन नहीं हुए उतने आज एक एक दिन में हो रहे हैं। जिस तरह से क्यूबा की क्राइसिस टली है, जिस तरह से चाइना का आइसोलेशन कम्यूनिस्ट कंट्रीज़ ने किया है चाइना के कम्यूनिस्ट होने के बावजूद क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि आज स्थिति हिटलर के जमाने से बहुत बदल चुकी है ? मैं उनसे यह कहना चाहती हूं कि वह अपने ककून से निकलें। आज स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। जमाने की मांग यह है, आज युग की पुकार यह है कि हम लोग अपनी नीति को बदलें, और इस नीति की पुकार को सुनकर आज प्रधान मंत्री ने कोलम्बो प्रस्तावों के सिद्धांतों को स्वीकार किया है, और उन सिद्धांतों को स्वीकार करके संसार के सामने यह प्रमाणित कर दिया है कि आज तमाम दबावों के बावजूद, आज की भयानक स्थिति के बावजूद, हम ने अपनी शांति की नीति को नहीं छोड़ा, और भारत आज भी, बावजूद इसके कि उस को कुछ रिवसज उठानी पड़ी हैं, शांति का अग्रदूत कहलाने का अधिकारी संसार के सामने है। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक बात है कि हम नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठें, दूसरी ओर वह सब से शर्मनाक बात की खुद सिफारिश करते हैं। वह चाहते हैं कि हम वेस्टर्न ब्लाक में चले जायें, बावजूद इस के कि वेस्टर्न पावर्स ने जिन्होंने हमारी मदद की, साफ़ कहा कि हम नान अलाइनमेंट की पालिसी को न छोड़ें। हम से कहा जा रहा है कि हम बेगिंग बाउल ले कर जायें और वेस्टर्न पावर्स से कहें कि हम तुम्हारे

ब्लाक में शामिल होना चाहते हैं। मैं समझती हूं कि इस से ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती है कि हम कोई ब्लाक ज्वाइन करें, इस से बड़ी घुटने टेकने की बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती है। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूं कि बड़ा अफ़सोस है कि आज भी, इस बीसवीं सदी में सैंकोपान्जा और डान क्विग्जोट हमारे हाउस में मौजूद हैं और उन्होंने तलवार से चाइना का सामना करने की सिफारिश की। अगर हम डान किवग्जोट और सैंकोपान्जा की बात को मान भी लें तो यह तो होगा ही कि हम अपने को खत्म कर देंगे, साथ में यह भी होगा कि हम सारे संसार को तृतीय विश्व युद्ध के भयंकर मुंह में झोंक देंगे। आज यह चीज़ समझ ली जानी चाहिये कि संसार इस समय दोराहे पर खड़ा हुआ है। दुनियां के एक ओर शांति है और दूसरे ओर प्रलय है। हालांकि हम कह चुके हैं कि आज हमें भले ही प्रलय के मुंह में अपने को और सारे संसार को झोंकना पड़े लेकिन हम चाइना को देश से बाहर जरूर निकालेंगे। मगर इस के लिये हम शांतिपूर्ण तरीका क्यों न अपनायें ?

इन शब्दों के साथ मैं यह चाहती हूं कि हम लोग उसी निश्चय के साथ, जो कि हमने इस सदन में लिया था, कि जब तक हम लोग एक एक इंच भूमि को चाइनीज़ से नहीं ले लेंगे तब तक दम नहीं लेंगे, इन प्रस्तावों पर विचार करें और जो सरकार ने नीति अपनाई है कि वह इस को सिद्धांततः स्वीकार करती है, मैं उसका हार्दिक समर्थन करती हूं और साथ ही साथ मैं इन कोलम्बो प्रस्तावों के लिए कोलम्बो पावर्स को और वेस्टर्न पावर्स को धन्यवाद देती हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री आल्वा।

श्री गु० सिं० मसाफिर (अमृतसर): अध्यक्ष महोदय, श्री अल्वा की तरह मेरी भी यह प्रोटेस्ट है कि यह प्रोसीजर गलत है कि अगर कोई मेम्बर एक दफ़ा बुलाया जाय और इत्तफ़ाक़ से वह मौजूद न हो तो फिर उस का नाम ही काट दिया जाय क्योंकि कभी कभी उठ कर जाना तो पड़ता ही है, कोई बाथरूम चला गया या खाना खाने चला गया तो उस का नाम ही फ़ेहरिस्त से निकाल दिया जाय यह ठीक नहीं है।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : नेहरू सरकार के सामने तीन मुख्य समस्याएं आई हैं। वे हैं खाद्यान्न, भूमि और बाहम आक्रमण। इन में से प्रथम दो को भली प्रकार हल किया जा चुका है। जहां तक तीसरी समस्या का सम्बन्ध है, इस देश की समस्त जनता उसका सामना करने के लिए तैयार है। इस संबंध में श्रीमती भण्डारनायके का प्रयत्न प्रशंसनीय है जिन्होंने अपने पति की हत्या के पश्चात् लंका का शासन भार संभाला था।

जो लोग अमरीका की सहायता की बात करते हैं उनसे मैं यह कहूंगा कि अमरीका की राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार श्री चेस्टर बोउल्स ने यह कहा है कि भविष्य में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका को आपस में समझौता करना होगा। अतः मेरे विचार से हमें अमरीका पर आश्रित न हो कर अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। चीन से बात करने के लिये भी यह आवश्यक है क्योंकि कमजोर व्यक्ति को हमेशा दबाने का प्रयत्न किया जाता है हमें शान्ति के साथ साथ अपनी शक्ति बढ़ाने की नीति अपनानी चाहिये।

मेरे विचार से चीन के साथ दो शर्तों पर बातचीत की जानी चाहिय। पहली शर्त तो यह है कि चीन ने जो बातें स्वीकार कर ली हैं वे लिपिबद्ध करली जायें क्योंकि हम उनके वचनों पर अधिक विस्वास नहीं कर सकत हैं। दूसरी शर्त यह है कि चौकियों के सम्बन्ध में हम केवल उनकी स्थिति की चर्चा करेंगे और किसी बात की नहीं। ये दोनों बहुत साधारण शर्तें हैं।

---

†मूल अंग्रजी में

श्री गोपालन ने कहा कि शक्ति बढाने की क्या आवश्यकता है ? क्या वह चाहते हैं कि हम कमजोर बने रहें और चीन हमारे ऊपर हावी हो जाये ? हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि चीन की सैनिक शक्ति बहुत अधिक है। स्वर्गीय श्री उमा चरण पटनायक, जो प्रतिरक्षा के विषय के बड़े अच्छे जानकार थे, ने चीन के प्रतिरक्षा संगठन के सम्बन्ध में यह कहा था कि वह अत्यन्त दृढ़ हैं। अतः हमें भी अपनी सैनिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना होगा ताकि हम उनका भली प्रकार सामना कर सकें। हमें अपने सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध की शिक्षा भी देनी चाहिये। अन्त में मैं यही कहूंगा कि यह बहुत नाजुक समय है अतः हम सब को सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये।

†**श्री मु० इस्माइल** (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, कोलम्बो प्रस्तावों पर विचार करते समय हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि युद्ध विराम का प्रस्ताव कोलम्बो सम्मेलन के राष्ट्रों ने नहीं किया। यह प्रस्ताव तो चीनियों ने अपने निजी कारणों से किया था। कोलम्बो सम्मेलन के राष्ट्रों ने तो उनकी पुष्टि की और उनको स्थायी बनाया। परन्तु मेरे मित्र इसको यह समझते हैं कि कोलम्बो सम्मेलन के राष्ट्रों के प्रस्ताव हमारी ८ सितम्बर की लाइन तक चीनियों को वापस ले जाते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वह जानते हैं कि कोलम्बो सम्मेलन के राष्ट्रों के प्रस्ताव हमारे प्रस्तावों के अनुसार हैं। यदि कृपा करके वह ध्यान दें तो उनको मालूम होगा कि यह प्रस्ताव थे कि चीनी ८ सितम्बर की लाइन तक पीछे हट जायें और हमारा प्रदेश हमें मिल जाये। यह तो हमारी न्यूनतम मांग थी जिसके आधार पर बातचीत हो सकती थी। इस लिये आवश्यक है कि बातचीत का आधार बनाने के लिये तथा चीनी लोगों की नेक नीयती के परिणामस्वरूप उनको ८ सितम्बर की लाइन से पीछे हट जाना चाहिये।

कोलम्बो प्रस्तावों में दिया है कि वर्तमान नियंत्रण रेखा तथा ८ सितम्बर की रेखा के बीच के इलाके पर दोनों सरकारों का नियंत्रण रहना चाहिये। उन्होंने यह नहीं कहा कि उसपर भारत सरकार का अधिकार बना दिया जाये। इसके अतिरिक्त मैं तो इसका भी अर्थ नहीं समझा कि दोहरे नियंत्रण का अर्थ क्या है ?

यह बताया गया है कि चीनी पूर्वी क्षेत्र में लोंगजू तथा थागला को छोड़ कर तथा मध्य क्षेत्र में बाढ़ाहोती को छोड़कर मैकमोहन रेखा तक हट जाने को तैयार हैं। परन्तु पश्चिम क्षेत्र, जो कि सब से महत्वपूर्ण है वह उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों ? क्योंकि यहां पर अकसाईचिन रोड हमारे प्रदेश में से गुजरती है। और इसी बात से पता लग जाता है कि उनकी नीयत कितनी नेक है।

मैं तो समझता हूं कि यदि हम कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लेते हैं तो यह स्वीकृति उसी के समान हो जो जैसे एक पराजित को विजेता के सामने पड़ती है। इन प्रस्तावों के स्वीकार कर लेने से हमारा उत्साह मंद पड़ जायेगा। जो राष्ट्र सहायता दे रहे हैं वह सहायता नहीं देंगे और इस प्रकार चीन की राजनीति को सफलता मिलेगी।

मैं सभा का ध्यान हाल में ही प्रकाशित भारत सरकार की प्रकाशन शाखा की एक पत्रिका के बारे में दिलाना चाहता हूं। उसमें भारत सरकार तथा प्रधान मंत्री ने बताया है कि हम चीन से तब तक कोई बात चीत नहीं करेंगे जब तक वह ८ सितम्बर तक की रेखा तक नहीं हट जायेगा। मेरा यही अंत में कहना है कि हमें अपने इन्हीं शब्दों पर दृढ़ रहना चाहिय जिससे हमारे देश की स्वतन्त्रता और बनी रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुब्बरामन** (मदुरै) : हमने १४ नवम्बर, १९६२ को सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था कि हम चीन से तब तक कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक वह हमारी धरती से हट नहीं जाते हैं तथा ८ सितम्बर, १९६२ की स्थिति में नहीं आ जाते हैं। तब से अब तक बहुत सी घटनायें हो गयी हैं। इकतरफा युद्ध विराम हो गया है। कोलम्बो में छः राष्ट्र मिल चुके हैं। उनके प्रस्ताव हमें मिल चुके हैं। यद्यपि इन प्रस्तावों से हमारी पूरी शर्तें नहीं होती हैं परन्तु फिर भी वह अच्छे हैं और और उनका स्वीकार किया जाना ही उचित है। यह बताया गया कि कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार चीनी हमारे पूरे इलाके से नहीं हट जायें और इसी लिये उनको स्वीकार नहीं करना चाहिये। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पूर्वी तथा मध्य क्षेत्र में ८ सितम्बर की रेखा केवल कुछ स्थानों को छोड़कर प्रस्ताव के समान ही है। केवल पश्चिमी क्षेत्र में चीनियों की कुछ चौकियां रह जाती हैं जो सितम्बर ८ की रेखा के पश्चिम में हैं। इन सभी के बारे में बातचीत की जा सकती है।

हमें केवल सतर्क रहने की आवश्यकता है और केवल बात-चीत के कारण ही चीनियों पर विश्वास नहीं कर लेना है। हमें अपने प्रतिरक्षा तथा आर्थिक विकास के प्रयत्नों में कमी नहीं आने देनी चाहिये। हमारे खेतों तथा कारखानों में उत्पादन बढ़ना चाहिये। मुझे विश्वास है कि इन्हीं चीजों से तो हमारी शक्ति बढ़ेगी।

हमें यह भी समझना चाहिये कि यदि हम कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करते तो युद्ध आरम्भ हो जायगा। यदि हम युद्ध के परिणामों के सम्बन्ध में विचार करें तो हम युद्ध से बचना ही चाहेंगे। हम शांति उपायों में विश्वास करते हैं और जब हमें उनमें सफलता न मिले तो निश्चित रूप से दूसरा तरीका अपनाना चाहिये।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि यह हमारे ८ सितम्बर की रेखा तक उनको हट जाने के प्रस्तावों के अनुसार ही है।

†**श्री भानु प्रकाश सिंह** (राजगढ़) : चीनी आक्रमण के राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दो पहलू हैं। राष्ट्रीय पहलू के अनुसार तो हमें हार का सामना देखना पड़ गया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय पहलू के अनुसार यह युद्ध साम्यवाद तथा लोकतन्त्र के सिद्धांतों का युद्ध है।

मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज जनसाधारण ने आक्रमण से जूझने का जो उत्साह दिखाया है, जिस प्रकार राष्ट्रीय रक्षा कोष में अपनी पूंजी लगाई है तथा सरकार के पीछे जिस प्रकार एक होकर जो कटिबद्ध हो गये हैं हमें उनका ध्यान रखना चाहिये। हमें यह जानने का प्रयत्न करना चाहिये कि उनकी क्या राय है और उसके बाद कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार करना चाहिये।

आज सारे देश में प्रधान मंत्री को लोग जी जान से चाहते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं तथा जनता भी उनसे जानना चाहती है कि विपक्ष में साम्यवादी जो उनकी प्रशंसा करते हैं वह किस कारण से करते हैं। मैं आशा करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में बतायेंगे।

आज देश में इस प्रकार की भावना है कि प्रधान मंत्री ने आकाशवाणी से कहा था कि वह अपनी भूमि से चीनियों को खदेड़ बाहर करेंगे। मैं चाहता हूं कि कृपा करके वह इस बात को स्पष्ट करें।

अन्त में मैं आशा करता हूं कि इन प्रस्तावों को स्वीकार करने तथा अस्वीकार करते समय माननीय प्रधान मंत्री भारत के गौरव तथा प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। बैठने से पहले मैं एक शेर पढ़ देना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रा० गि० दुबे** (बीजापुर उत्तर) : आज प्रातः हमने दो भाषण भावना तथा देश भक्ति से ओतप्रोत सुने। मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्र के भाग्य का निबटारा करते समय भावनाओं में नहीं बहना चाहिये ।

चीन ने इस प्रकार का बर्ताव हमारे साथ किया है कि जिससे हम हक्का बक्का रह गये हैं। अब वह पूर्वी क्षेत्र में तो मैकमोहन रेखा तक हट गये हैं परन्तु समस्या केवल पश्चिमी क्षेत्र की रह जाती है। मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में हमें बातचीत से इन्कार नहीं करना चाहिये ।

आज अफ्रीका तथा एशिया के बहुत से देश स्वतन्त्र हो गये हैं क्या वहां पर साम्राज्यवाद समाप्तप्राय है परन्तु यदि हम चीन की ओर देखें तो मालूम होता है कि चीन अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है। हमें इसका निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि अफ्रेशियाई एकता बनाये रखने के लिये कहीं ऐसा न हो कि हमारी स्वतन्त्रता समाप्त न हो जाये। हमें इसका भी ध्यान रखना है कि इस एकता का गुणगान करने से गौर वर्ण की जातियों से हम नफरत न करने लगें ।

प्रधान मंत्री ने प्रश्न काल में हाल में कहा था कि हमें प्रतिरक्षा मामलों पर इस प्रकार बातचीत नहीं करनी चाहिये। मैं उनकी इस बात को मानता हूं परन्तु साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि संसद् को अन्धकार में रखना भी ठीक नहीं है ।

मेरा अन्त में यही कहना है कि नेफा और लद्दाख की हमारी हार से हमारा आदर विश्व के सामने कम हो गया है। इस लिये हमें अपना वह मान पुनः प्राप्त करने के लिये अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिये ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे जो माननीय मित्र बोले, उन्होंने कहा कि इस प्रश्न को भावनाओं के साथ हम तय न करें, बल्कि ठंडे दिल से उस पर विचार करें। उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आजादी और राष्ट्रीयता जैसे प्रश्न भावनाओं के साथ ही तय किये जाते हैं और आजादी की रक्षा उसीसे की जा सकती है और इस तरह ठंडे दिल से बैठ कर लेन-देन से नहीं हो सकती है।

कल से कोलम्बो-प्रस्तावों पर बहस हो रही है। प्रधान मंत्री ने तो कल ही गरज दिया था कि हमने उसको मान लिया और उस गरज को उन्होंने राज्य सभा में दूनी आवाज से सुना दिया। माननीय सदस्य, श्री त्यागी, और ऐसे ही दूसरे माननीय सदस्य अगर यह समझते हों कि इस प्रस्ताव पर केवल बहस हो कर समाप्त हो जायगी और उसका निर्णय नहीं माना जायगा, तो प्रधान मंत्री जी ने अपने बयान से इस बात को साफ कर दिया है। इस देश के निवासियों और इस सदन के माननीय सदस्यों को इस बारे में कोई शुबहा और धोखा नहीं रहना चाहिए और उनको अपने मन में अच्छी तरह से इसको समझ लेना चाहिए ।

१५ अगस्त, १९४७ से पहले इसी कांग्रेस के बूढ़े नेताओं ने, जिनका धीरज बुढ़ौती उम्र के कारण टूट चुका था, चाहे फूटा ही ताज मिले, उसको पहनने की लालसा से, देश का बंटवारा कुबूल कर लिया था और उस बंटवारे का अभिशाप आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। उससे विरासत में जो समस्यायें हमको मिलीं, आज तक हम उनका कोई निदान नहीं कर सके। और आज हम कोलम्बो–प्रस्तावों को मान कर हिन्दुस्तान की हजारों वर्ग मील पवित्र भूमि दे रहे हैं। यह दूसरा अभिशाप है और इसके लिए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए दोषी रहेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री त्यागी : दे कहां रहे हैं ?

श्री रामसेवक यादव : दे रहे हैं। दे दिया, इसमें शक नहीं है।

श्रीमती भंडारनायके के जो कोलम्बो-प्रस्ताव हैं, उनमें सब बातों का जिक्र है। जिस छोटे से कारीडार में बिना-पल्टनी इन्तजाम रहेगा और जहां हिन्दुस्तान और चीन की राय से चौकियां स्थापित होंगी, उसके बारे में भी अभी उनकी ओर से अन्तिम निर्णय नहीं आया है। वह उसको बुरा मानते हैं। लद्दाख के बारह, चौदह हजार वर्ग-मील क्षेत्र के बारे में तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। प्रधान मंत्री जी कल इस बहस का जवाब देंगे। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि यदि कहीं किसी तरह से भूल में, या बहुत दोस्ती में फंस कर, उसको दे दिया हो, तो बता दें मुल्क को। उसके लिए क्यों इतनी जानें मरवाई जाती हैं।

श्री त्यागी : उसी को लेने के लिए नेगोशिएशन्ज हो रही हैं।

श्री रामसेवक यादव : काश्मीर में हम आठ बरस से नेगोशिएशन्ज कर रहे हैं। आजादी के पंद्रह सालों का हमारा कारनामा क्या है ? गांधी जी के त्याग, तपस्या, सदाचार और कुर्बानी को छोड़ कर ** हमने भ्रष्टाचार को बढ़ाया, कुनबापरवरी को बढ़ाया।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : श्रीमान्, मैंने कल इस शब्द पर औचित्य प्रश्न उठाया था और इसको निकाल दिया गया था।

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इस बारे में आप जो निर्णय देंगे, मैं उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन दुनिया के इतिहास में यह जायगा कि यह शब्द अनपार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : स्पीकर साहब ने उसको इस लिए अनपार्लियामेंटरी कहा था कि वह किसी खास शख्स के लिए कहा गया था। आज माननीय सदस्य सारे समाज के लिए कह रहे हैं।

श्री रामसेवक यादव : आज जब कि चीन का हमला हुआ है, मौज-मस्ती में पड़ रहना.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शब्द को निकाल दिया जाये। माननीय सदस्य को अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए।

श्री रामसेवक यादव : जिस मौज-मस्ती में हम पंद्रह साल रहे, आज भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि अगर हम यह फैसला करते हैं कि हम अपनी एक एक इंच जमीन वापस लेंगे, तो हमें कुर्बानी और कठिन जिन्दगी के लिए तैयार होना पड़ेगा।

कोलम्बो-प्रस्तावों का आधार चीन की एक-तरफा युद्ध-बन्दी योजना है। भारत सरकार और प्रधान मंत्री यह कहते रहे हैं कि चीनी सेना को कम से कम ८ सितम्बर, १९६२ की लाइन पर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन कोलम्बो-प्रस्तावों में ७ नवम्बर, १९५९ की स्थिति का हवाला है, जिसका जिक्र चीनी प्रधान मंत्री के पत्र में पाया जाता है। इसका

---

†मूल अंग्रेजी में

**अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

[श्री रामसेवक यादव]

अर्थ यह है कि प्रधान मंत्री जिस बात का अभी तक विरोध कर रहे थे, आज वह उसी को स्वीकार करने जा रहे हैं। यह स्पष्ट है कि कोलम्बो-प्रस्ताव उनकी भी ८ सितम्बर, १९६२ की स्थिति वाली मांग को पूरा नहीं करते हैं। जहां तक हम लोगों का सवाल है, हम तो ८ सितम्बर, १९६२ की रेखा को ही नहीं मानते। १४ नवम्बर, १९६२ को इस सदन ने जो निश्चय लिया, ये प्रस्ताव बिल्कुल उसके प्रतिकूल हैं।

प्रधान मंत्री जी हमेशा परस्पर-विरोधी बातें कहते रहे हैं और अक्सर एक ही भाषण में। उन्होंने ८ सितम्बर, १९६२ का हवाला दिया और यह कहने की जुर्रत की कि हमने इस सदन की मन्जूरी ले ली है। लेकिन यह बात गलत है और इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने ८ सितम्बर की बात कही है और बातें भी कही हैं। उनके प्रति उनको वफादार होना चाहिए। १३ मार्च सन् १९६२ के सरकारी नोट में, जो कि श्वेत पत्र नम्बर ६ में है, यह कहा गया है :

> "दोनों सरकारों के बीच बातचीत के लिए भावना बनाना सबसे आवश्यक कदम है तथा जो चीनी सेनाओं के भारतीय प्रदेश से हट जाने से पैदा हो जायेगी।"

इन शब्दों को प्रधान मंत्री भूल रहे हैं जैसे कहा ही नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बोलिए जिससे मैं भी समझ सकूं।

श्री रामसेवक यादव : अगर सब अपनी देशी भाषा में बोलते तो शायद आज यह चीनी खतरा हमारे ऊपर न आता।

अंग्रेजी कोई चीनियों से लड़ने वाला हथियार नहीं है।

दूसरा उदाहरण मैं आपको सन् १९५७ की यथास्थिति का देना चाहता हूं। वह वही स्थिति थी जो कि १५ जून सन् १९४७ की थी। लद्दाख में अक्साई चिन में चीनी सन् १९५७ में सर्व प्रथम आए, सन् १९५१ या १९५० में नहीं आए यह उस नोट में स्वीकार किया गया है।

आखिरी उदाहरण मैं २२ अगस्त सन् १९६२ का देना चाहता हूं, जिसमें विदेश मंत्रालय ने कहा है :

> "यदि चीन सरकार बातचीत करने को उत्सुक है तो उसे लद्दाख में से हट जाना चाहिए।"

मैं ये उदाहरण उनकी याद दहानी के लिए सदन के सामने रख रहा हूं। ये शब्द उनके ही हैं लेकिन आज उनको वे भूल रहे हैं।

जब चीन का भारी आक्रमण २१ नवम्बर १९६२ को हुआ तो घबरा कर ८ सितम्बर सन् १९६२ की बात करने लगे। इससे हमें भय लगता है कि अगर चीन ने और भारी आक्रमण किया, जैसा कि वह कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं तो कहीं प्रधान मंत्री जी घबराहट में २१ नवम्बर १९६२ को भी आधार बना कर दोस्ती की बात कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय आज जब मैं सोचता

हूं तो प्रधान मंत्री जी की इन सब बातों को अपने सामने रखता हूं। जब मैं ऐसा करता हूं तो मुझे भय लगता है।

प्रधान मंत्री ने लद्दाख के बारे में कहा कि वह ऊसर और बंजर है, बंजर का लगान खर्च से बहुत कम है। नवम्बर १९५९ और सितम्बर १९६२ में केवल दो ढाई हजार का अन्तर है। क्या इस मामूली अन्तर के लिये बड़ी भारी लड़ाई लड़ना उचित होगा।

फिर सन् १९६३ में कोलम्बो प्रस्ताव के बारे में कुछ राष्ट्र प्रेमी लोगों ने प्रधान मंत्री को सुझाव दिए जिस पर ध्यान नहीं दिया गया ।

सन् १९५० में डा० लोहिया ने तिब्बत् के समझौते के बारे में कहा कि यह शिशु हत्या के समान है तो उन से कहा गया कि तुम हमारी दोस्ती में खलल डालना चाहते हो।

उसके बाद डा० राजेन्द्र प्रसाद ने और लक्ष्मी मेनन ने कहा कि तिब्बत के मामले में भूल हुई है उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा तो कहा गया कि यह जाहिरा बेवकूफी है, मैनीफेस्ट नानसेंस है ।

हमें याद है कि सरकार के एक मंत्री ने सन् १९५९ में कहा था कि लद्दाख में सड़कें बनानी चाहियें। शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये और वहां थोड़ा सा उद्योग धंधे का काम शरू करना चाहिये और दस्तकारी शरू करनी चाहिये तो बिगड़ गये प्रधान मंत्री और कहा यह असम्भव बातें हैं, यह कैसे हो सकता है और उनकी हंसी उडाई और कहा कि राम सभग सिंह यह कहना क्यों भूल गए कि लद्दाख में एक समद्री बंदरगाह बनाया जाए। लेकिन चीन ने इक्साई चिन में सड़कों का जाल बिछा कर दिखा दिया कि वहां सब कुछ हो सकता है। जब इन सारी चीजों को अपने सामने रखता हूं तो भय होता है कि इस कोलम्बो प्रस्ताव का क्या मतलब होता है।

मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए।

नान-एलाइनमेंट की बात कहीं जाती है। मैं भी उसका हामी हूं अगर वह सृजनात्मक हो । लेकिन इस प्रश्न पर हमारी सरकार दो भागों में बंट गयी है। एक भाग अमरीका की तरफ चला जा रहा है तो दूसरा भाग रूस और चीन की तरफ चला जा रहा है । यह कैसा नान-एलाइनमेंट है। सरकारी स्तर पर एक दूसरे की नुक्ताचीनी होने लगी और अफसरों को दोष दिया जाने लगा।

फिर कहा जाता है कि चीन आइसोलेट हो गया। मैं बताना चाहता हूं कि चीन आइसोलेट नहीं हुआ बल्कि वह रंगीन दुनिया का नेता बन रहा है हमारी कमजोरी की वजह से। उसके दुनिया में तो आइसोलेट होने की बात तो अलग हम उसको अपने मुल्क में आइसोलेट नहीं कर सके, और देश में एक चाइना लाबी मौजूद है। आप अपनी पार्टी में चीन को आइसोलेट नहीं कर सके, आपकी पार्टी में चाइना लाबी मौजूद है, अपने मंत्रि-मंडल में उसको आइसोलेट नहीं कर सके, उसमें भी चाइना लाबी मौजूद है। तो यह आइ-सोलशन की बात है ।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया की संसदीय परम्परा के इतिहास में यह अजीब बात है कि लोक सभा बैठ रही हो और प्रधान मंत्री ने कहा हो कि जब तक हम लोक सभा की अनुमति नहीं ले लेंगे कोई निर्णय नहीं करेंगे, लेकिन लोक सभा के बैठने के पहिले और लोक सभा में कोई पाजिटिव प्रस्ताव लाने के पहिले ही उन्होंने ऐक दम से घोषित कर दिया कि हम इस प्रस्ताव को मानने को तैयार हैं। इससे ज्यादा अविश्वास प्रधान मंत्री में और किस बात से नहीं हो सकता। प्रधान मंत्री को अगर जरा भी पार्लियामेंटरी पद्धति का ज्ञान

[श्री रामसेवक यादव]

है और अगर उनमें थोड़ा भी देश प्रेम है तो उनको स्वयं इस्तैफा दे देना चाहिए क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह ऐसा प्रस्ताव लाते।

इन शब्दों के साथ मैं इन प्रस्ताव का विरोध करता हूं। हिन्दुस्तान के लोक तंत्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा कि आज सरकार कर रही है। हम विरोधी दल वाले इस देश के राष्ट्र प्रेमी लोगों से और कांग्रेस में भी जो राष्ट्र प्रेमी और देश भक्त हैं उनसे निवेदन करते हैं कि इस तरह की चर्चाओं के बन्द करें और उनका सख्त विरोध करें।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : हमारे सामने आज मुख्य प्रश्न यह है कि हम आज समझौते की शर्तों पर बिचार नहीं कर रहे हैं। हम इस समय कोलम्बो प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। हमने युद्ध विराम अभी स्वीकार नहीं किया है। विरोधी पक्षों को सुनने के बाद ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने बातचीत का आधार तथा समझौते की शर्तों दोनों को ठीक तरह से नहीं समझा है और समझौते की शर्तों पर ही वह अधिकांशतः बोले हैं।

हमने तथा प्रधान मंत्री ने सभा को बताया है कि हम चीनियों से बातचीत करने को तैयार हैं यदि वह ८ सितम्बर की रेखा से पीछे जाते हैं। हम अपनी इस बात पर दृढ़ हैं और इसीलिए हमने कोलम्बो प्रस्तावों को मानने का निश्चय किया है क्योंकि वह हमारे ८ सितम्बर के प्रस्तावों से मिलते जुलते हैं।

यहां पर सदस्यों ने भारत के मान की दुहाई दी है। हम भी भारत का सम्मान रखना चाहते हैं। परन्तु यदि हम कोलम्बो प्रस्तावों को अस्वीकार कर देते है तो हमें उसके परिणाम भी सोच लेने चाहिए। ये प्रस्ताव चीन ने नहीं रखे हैं अपितु कोलम्बो में एकीकृत छः राष्ट्रों ने हमारे सामने रखे हैं। क्या हमें उनसे कह देना चाहिए कि हम उनको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमें तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। हम जानते हैं कि चीनी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तब यदि हम विचार करें तो हमारी स्थिति और अधिक दृढ़ हो जायेगी। हम इस प्रकार शांतिपूर्वक अपनी नीति बनाये रखकर विश्व में सम्मान से रह सकेंगे।

इस के पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, २५ जनवरी, १९६३/५ माघ, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, ४ जनवरी १९६३

४ माघ, १८८४ शक

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३५९—८२
तारांकित प्रश्न संख्या		
४५५	सरकारी अस्पतालों में फीस लिया जाना	३५९—६०
४५६	सोने का भाव	३६०—६१
४५९	स्वर्ण बांड योजना	३६१—६२
४७४	स्वर्ण नियन्त्रण नियम	३६२—६५
४५८	विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि	३६५—६७
४६०	आयुर्वेदिक कालिज, दिल्ली	३६७—६८
४६१	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच रैंड विद्युत् का वितरण	३६८—६९
४६२	प्रशासन में मितव्ययता	३६९—७१
४६३	राष्ट्रीय रक्षा कोष	३७१—७५
४६४	गुलाटी आयोग का प्रतिवेदन	३७५
४६५	कार्यालयों का दिल्ली से बाहर भेजा जाना	३७५—७९
४६६	अपर सिलेरु जल विद्युत् योजना	३८०—८१
४६७	सहायक नस प्रशिक्षण पाठयक्रम	३८१—८२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१९	भारतीय सेना में एक चीनी की कथित भर्ती	३८२—८४
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३८४—४१०
तारांकित प्रश्न संख्या		
४५७	ताप विद्युत् जनन	३८४
४६८	लोक निर्माण विभाग का पुनर्गठन	३८४—८५
४६९	दाहिने किनारे की भाखड़ा विद्युत् परियोजना	३८५

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों क लिखित उत्तर—जारी	
तारांकित प्रश्न संख्या	
४७० अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों के लिये भारतीय पदाधिकारी . .	३८५—८६
४७१ एम० बी० बी० एस० कोर्स . .	३८६
४७२ राजस्थान नहर . . .	३८६—८७
४७३ दिल्ली में बिजली का संकट . .	३८७
४७५ दिल्ली में परिवार नियोजन .	३८७
४७६ विद्युत् परियोजनायें . . .	३८७—८८
४७७ खाद्य पदार्थों तथा औषधियों में मिलावट . .	३८८
४७८ सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्तदान	३८८
४७९ कोलार की सोने की खानें . .	३८८—८९
४८० कैंसर के लिए हिमालय की जड़ी बूटियां .	३८९
४८१ गोदावरी तथा कृष्णा नदियां . .	३८९
४८२ ठेकेदारों के लिये लाभांश (बोनस) . .	३८९—९०
४८३ दिल्ली की वृहद योजना .	३९०
४८४ बैंक आफ चाइना .	३९०—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या	
१०५१ केरल में समुद्र द्वारा तट के कटाव को रोकना . .	३९१
१०५२ गोआ के व्यापारियों द्वारा देश केन्द्रीय बिक्री कर . .	३९१
१०५३ रियासतों के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कोष में अंशदान .	३९२
१०५४ जवानों के लिये रक्तदान	३९२
१०५५ सतपुरा तापीय विद्युत् परियोजना	३९२
१०५६ जीवन बीमा निगम द्वारा बोनस . .	३९३
१०५७ शव रक्त	३९३
१०५८ उच्चतर शिक्षा के लिये विदेश जाने वाले भारतीय छात्र . .	३९४
१०५९ नर्सों की ट्रेनिंग	३९४—९५
१०६० दिल्ली में बिजली की दरें	३९५—९६
१०६१ भूमि अर्जन और विकास योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम की निधि	३९६—९७
१०६२ दण्डकारण्य में परिवारों को बसाना . . .	३९७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर---जारी

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१०६३ नेफा के शरणार्थी . . . ३९८

१०६४ देश में जादू टौना का प्रचलन . . ३९८

१०६५ संसद् सदस्यों के लिये फ्लैट्स ३९८

१०६६ पंचकुइयां मार्ग, नई दिल्ली पर नये क्वार्टरों का निर्माण . . ३९८-९९

१०६७ आवास योजनायें . . . ३९९

१०६८ विदेशों में प्रतिरक्षा बाण्डों की बिक्री . ३९९-४००

१०६९ वंशधारा जल-विद्युत् परियोजना . . . ४००

१०७० बिहार में सिंचाई और जल-विद्युत् योजनाएं . . ४००-०१

१०७१ जीवन बीमा निगम के निर्धारित व्यापार में कमी . ४०१

१०७२ नई दिल्ली में रिहायशी मकानों का सामान्य पूल . ४०१

१०७३ बाल पक्षाघात की रोक थाम . . ४०१-०२

१०७४ दिल्ली में सीमेंट और ईंटों के दामों में वृद्धि . . ४०२

१०७५ पलाई सेंट्रल बैंक . . ४०२-०३

१०७६ कोट्टागुडम में तापीय विद्युत् सन्यन्त्र . . . ४०३

१०७७ भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के कृत्य और शक्तियां . ४०३

१०७८ पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों द्वारा भारत में बैंकों को रकम भेजना . ४०३-०५

१०७९ प्रीफेब्रीकेटिंग प्लांट ४०५

१०८० व्यास परियोजना नियन्त्रण बोर्ड . ४०५-०६

१०८१ रक्त प्लास्मा . . . ४०६-०७

१०८२ फेनी नदी पर छोटे बांधों (स्परों) का निर्माण . . ४०७

१०८३ दिल्ली में बाल स्वास्थ्य योजना . . ४०७-०८

१०८४ सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर . . ४०८

१०८५ दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय का स्थानान्तरण . . ४०८-०९

१०८६ कुठियाडी और बलियापट्टम परियोजनायें . . ४०९

१०८६क राजस्थान में जल सम्भरण ४०९-१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ४१०-११

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने १८ जनवरी, १९६३ को पश्चिम रेलवे के पातालपानी स्टेशन के निकट हुई रेलवे ट्रौली की दुर्घटना की ओर रेलवे मन्त्री का ध्यान दिलाया ।

रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४११–१५

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा ११४ की उप-धारा (३) के अन्तगत, दिनांक १ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६०४ में प्रकाशित बीमा (संशोधन) नियम, १९६२।

(ख) आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा ५ की उप-धारा (६) के अन्तगत, दिनांक २८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३९४५ में प्रकाशित आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा योजना।

(ग) आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत, दिनांक २८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३९४६ में प्रकाशित आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा योजना।

(घ) आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक २८ दिसम्बर, १९६२ की एस० ओ० संख्या ३९५३, जिसमें उक्त के अधीन बीमा न की जा सकने वाली वस्तुएं बताई गई हैं।

(२) आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा २० के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २८ दिसम्बर, १९६२ की एस० ओ० संख्या ३९४७।

(ख) दिनांक २८ दिसम्बर, १९६२ की एस० ओ० संख्या ३९४८।

(३) जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २९ के अन्तर्गत दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६१ को भारत के जीवन बीमा निगम के तीसरे मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(४) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष १९६१–६२ की वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत, हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(५) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २१ जुलाई, १९६२ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित त्रिपुरा खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एफ० ५ (१८) एम० पी० एच०/६०।

(ख) दिनांक ५ दिसम्बर, १९६२ के अन्दमान और निकोबर गजट में प्रकाशित अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या २५४/६२/१०६-२७/६२–(जी)-खण्ड १।

(६) १८ से २४ सितम्बर, १९६२ तक नई दिल्ली में हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय समिति के पन्द्रहवें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(७) दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री-कर) एक्ट, १९४१, की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री-कर नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १७ नवम्बर, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ४(३३)/६२-फिन-(ई) की एक प्रति।

विषय

पटल पर रखे गये पत्र—क्रमश:

(८) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६५२।

(ख) दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६९३।

(ग) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १७३७।

(घ) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १७३८।

(ङ) दिनांक ८ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० ५८।

(च) दिनांक १२ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० ७३।

(९) आय-कर अधिनियम, १९६१ की धारा २८७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत, दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३८६८ की एक प्रति, जिसमें उन व्यक्तियों के नाम और अन्य ब्यौरा दिया हुआ है, जिनमें से प्रत्येक पर पांच हजार रुपये से अधिक जुर्माना किया गया।

(१०) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६१४।

(ख) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६५७।

(ग) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६५८।

(घ) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६५९।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र---क्रमशः

(ङ) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६६०।

(च) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६६१।

(छ) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६६२।

(ज) दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १७०१।

(झ) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १७४२।

(ञ) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १७४३।

(ट) दिनांक २९ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १७९४।

(११) समुद्र-सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :---

(क) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १९५६।

(ख) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६६४, जिसमें दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १४०३ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(ग) दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० १६९८।

(घ) दिनांक १२ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० ६९।

(ङ) दिनांक १२ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० ७०।

(१२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :---

(क) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, औद्योगिक वित्त निगम (बांडों का जारी किया जाना) विनियम, १९४९ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या १६/६२।

(ख) सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, १९६२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक १२ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५ में प्रकाशित सम्पदा शुल्क (वितरण) नियम, १९६३।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(ग) पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत, ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त हुए वर्ष के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के लेखे की एक प्रति, उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित ।

(१३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष १९६१–६२ की वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(१४) नौसेना अधिनियम, १९५७ की धारा १८५ के अन्तर्गत दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३२९ में प्रकाशित भारतीय रक्षित नौसेना और भारतीय रक्षित नौसेना स्वयंसेवक (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(१५) उड़ीसा विधान सभा, १९६१ के लिये तीसरे आम चुनाव के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य : ४१५-१६

(एक) इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) ने इस्पात के उत्पादकों द्वारा देय धन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ८२० पर श्री महावीर त्यागी के अनुपूरक प्रश्न के ६ सितम्बर, १९६२ को दिये गये उत्तर के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

(दो) खाद्य तथा कृषि राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) ने "भूखों को भोजन खिलाओ" आन्दोलन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या २६४ पर सर्वश्री सुरेन्द्रपाल सिंह और हरिविष्णु कामत के अनुपूरक प्रश्नों के २० नवम्बर, १९६२ को दिये गये उत्तरों को शुद्ध करने के लिए एक वक्तव्य दिया ।

(तीन) वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) ने स्वर्ण नियन्त्रण योजना के बारे में एक वक्तव्य टेबल पर रखा ।

कोलम्बो प्रस्थापनाओं के बारे में प्रस्ताव ४१६–६०

२३ जनवरी, १९६३ को प्रस्तुत किये गये कोलम्बो प्रस्थापनाओं के बारे में प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी स्थानापन्न प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

२५ जनवरी, १९६३/५ माघ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

कोलम्बो प्रस्थापनाओं के बारे में प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी स्थानापन्न प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बारे में प्रस्ताव पर भी चर्चा ।

GMGIPND—LS III 2579 (Ai) LSD— 15-2-63—140.

श्री बाकेर अली मिर्ज़ा ४४१
श्री बिशन चन्द्र सेठ ४४१–४६
श्री च० का० भट्टाचार्य ४४६
श्री प्र० चं० बरुआ . ४४६–४७
श्री मौर्य . ४४७–५१
श्रीमती सावित्री निगम ४५१–५३
श्री जोकीम आल्वा . ४५३–५४
श्री मु० इस्माइल ४५४
श्री सुब्बरामन ४५५
श्री भानु प्रकाश सिंह . . . ४५५
श्री रा० गि० दुबे . ४५६
श्री राम सेवक यादव . ४५६–६०
श्री अ० ना० विद्यालंकार ४६०
दैनिक संक्षेपिका ४६१–६८

PLS. 41. XII. 30. 63.
140

© १९६० प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।